

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2020 की प्रतिवेदन संख्या 16

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

**सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों
के निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

**संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2020 की प्रतिवेदन संख्या 16**

_____ को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया।

विषय - सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	<i>i</i>
कार्यकारी सार	<i>iii-viii</i>
सिफारिशों का सार	<i>ix-xiv</i>
अध्याय 1: प्रस्तावना	1-10
अध्याय 2: सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों का कर आधार	11-41
अध्याय 3: सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों के लिए विशिष्ट कर प्रावधान का अनुपालन	43-91
अध्याय 4: सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों के निर्धारण से संबंधित अनुपालन मामले	93-123
परिशिष्ट	125-128

प्राक्कथन

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान संघ सरकार के आयकर विभाग, राजस्व विभाग द्वारा सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के पूर्ण किए गए निर्धारण के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं, जो मार्च 2019 से सितम्बर 2019 तक की गयी लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

सहकारी क्षेत्र में सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के रूप में पंजीकृत सत्व की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। 2009-10 से 2016-17 के दौरान, पंजीकृत सहकारी समितियों में 39.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सहकारी समिति अधिनियम (राज्य अथवा केन्द्रीय अधिनियम) के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक को एक “निर्धारिती” के रूप में माना जाता है, जो आयकर का भुगतान करने के लिए दायी है तथा जिसका आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारण किया जाता है। यह विषय आयकर नेट में सहकारी समितियों की कवरेज; कर आधार का विस्तार करने एवं मजबूत बनाने तथा सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सीमा की जांच को ध्यान में रखते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित की जांच करना था:

- i. क्या सहकारी क्षेत्र के सभी सत्व कर नेट के तहत आते हैं तथा क्या आयकर रिटर्न भर रहे हैं और कर की देय राशि के उदग्रहण के लिए निर्धारित किए गए हैं;
- ii. आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन की प्रकृति और सीमा तथा
- iii. निर्धारण प्रक्रिया के दौरान अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के लिए अनुपालन की प्रकृति और सीमा।

निष्पादन लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पूर्ण किए गये सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के निर्धारणों को कवर किया। नमूना बहु-राज्यीय सहकारी समिति (एमएससीएस) की वेबसाईट पर उपलब्ध बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की सूची से पहचाने गये मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए जोखिम निर्धारणों के अनुसार 2014-15 से 2016-17 की अवधि के लिए आयकर विभाग (आयकर विभाग) द्वारा प्रदान किए गये डेटा से प्राप्त किया गया था। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए 1,726 निर्धारण प्रभारों से सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों से संबंधित 9,282 नमूना मामलों के अभिलेखों (एमएससीएस के 81 मामलों सहित) को मांगा था। चयनित नमूनों में से, 400 मामले सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की श्रेणी में नहीं आते थे तथा बाकी 8882 मामलों में से, 8470 मामलों (95.36 प्रतिशत) को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है:

- लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि संबंधित राज्यों/क्षेत्रीय विनियामक प्राधिकरणों/पंजीकरण प्राधिकरणों के अभिलेखों के अनुसार सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की संख्या आयकर विभाग के अनुसार संख्या की तुलना में बहुत अधिक थी, जो यह दर्शाती है कि कई सहकारी समितियां और बैंक आयकर विभाग के कर दायरे में नहीं थे।

(पैराग्राफ 2.1.1)

- आयकर विभाग के पास पंजीकरण प्राधिकरणों के साथ सहकारी समितियों/ बैंकों की जानकारी का नक्शा तैयार करने का तंत्र नहीं है ताकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति का सत्यापन किया जा सके। सहकारी समिति पंजीयक के डेटाबेस में पैन डालने और निर्धारिती द्वारा घोषित पंजीकरण स्थिति के किसी भी परिवर्तन की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, जो आयकर विभाग के साथ सूचनाओं के संस्थागत और संरचित आदान-प्रदान में एक प्रमुख बाधा है।

(पैराग्राफ 2.1.1)

- आयकर रिटर्न के नॉन-फाइलर्स/ स्टॉप-फाइलर्स के प्रति शुरू की गई कार्रवाई का कोई प्रमाण नहीं था। आयकर विभाग ने आयकर विवरणी गैर-फाइलर्स तथा स्टॉप-फाइलर्स की पहचान करने तथा उन्हें कर के दायरे में लाने के लिए सर्वेक्षण और खोज एवं जब्ती कार्यों के संचालन के माध्यम से इसके पास उपलब्ध उपकरणों का उपयोग नहीं किया।

(पैराग्राफ 2.5.1, 2.2)

- हालांकि सहकारी समितियों/ सहकारी बैंकों को एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि फर्मों, व्यष्टियों के निकाय (बीओआई), कंपनियों, स्थानीय प्राधिकरणों आदि के रूप में वर्गीकृत निर्धारिती सहकारी समितियों/ सहकारी बैंकों के निहितार्थ कटौतियों का अनियमित रूप से लाभ उठा रहे थे। इसमें सहकारी क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल निर्धारितियों से संबंधित गलत जानकारी प्रदान करने की भी संभावना है।

(पैराग्राफ 2.3, 3.1)

- लेखापरीक्षा में निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा प्रस्तुत डेटा सेटों के अनुसार आय और दावों या कटौती की राशि में विसंगतियों और त्रुटियों के मामले पाए गए। निर्धारण अभिलेखों के अनुसार डेटा और डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा प्रस्तुत निर्धारण डेटा में बेमेलता न केवल खराब समन्वय और डेटा अद्यतन पर नियंत्रण का संकेत है बल्कि सूचना की सटीकता का भी एक प्रतिबिंब है।

(पैराग्राफ 2.4.2)

- लेखापरीक्षा में ऐसे मामले देखे गए जहां आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सहकारी क्षेत्र के मामलों में निर्धारितियों द्वारा उपयुक्त प्रपत्र अर्थात् आईटीआर 5 का उपयोग नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.5.2)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहकारी समितियों/ सहकारी बैंकों के रूप में सत्व के पंजीकरण का सत्यापन अपर्याप्त था तथा रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ-साथ समितियों के सदस्यों के विवरण का प्रत्यक्ष प्रमाण या तो निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था या निर्धारण अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, ऐसे मामलों में, लेखापरीक्षा द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी कि क्या वास्तविक निर्धारितियों द्वारा कटौती प्राप्त की गई थी।

(पैराग्राफ 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3)

- सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के लेखाओं की एक पैनल लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने की आवश्यकता थी और इसका ब्यौरा आईटीआर-5 के माध्यम से एकत्र किया जाना था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि इस महत्वपूर्ण आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार, लेखाओं की विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(पैराग्राफ 2.6.4.1, 2.6.4.2)

- आयकर विभाग ने उन सत्वों का सहकारी बैंकों के रूप में निर्धारण किया जिनके पास बैंक के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से वैध लाइसेंस नहीं था जिससे अपात्र निर्धारितियों को कटौती की अनुमति हुई।

(पैराग्राफ 2.6.5)

- अधिनियम की धारा 36(1)(viiए), 36(1)(viii), 36(1)(xvii) तथा अधिनियम की धारा 80पी की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत कटौतियों की अनियमित अनुमति के मामले थे, जहाँ पर उक्त प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं की गई जिसमें 649 मामलों में ₹ 694.50 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

(पैराग्राफ 3.1 से 3.7, 3.10, 3.11, 3.12)

- बैंकिंग, क्रेडिट तथा वित्तीय सेवाओं से जुड़े निर्धारितियों के संबंध में कटौती के अनियमित दावों की अपेक्षाकृत उच्च प्रवृत्ति थी जो पहचानी गई अनियमितताओं की कुल संख्या का 68.7 प्रतिशत बनती थी।

(पैराग्राफ 3.1)

- संवीक्षा निर्धारण करते समय, यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों ने संवीक्षा के लिए मामलों में चयन अर्थात् अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत बड़े कटौतियों के दावे के लिए आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों की विधिवत जाँच नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अनियमित अनुमति मिली।

(पैराग्राफ 3.1)

- विभिन्न उपधाराओं के बीच, जिसके अंतर्गत सहकारी/समितियां सहकारी बैंक कटौतियों का लाभ उठा सकते थे, यह देखा गया कि अधिनियम की उपधाराओं 80पी(2)(डी), 36(1)(viiए) तथा 80पी(2)(ए)(i) के अन्तर्गत अननुपालन का अपेक्षाकृत उच्च जोखिम था, जो लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई अनियमितताओं की कुल संख्या क्रमशः 56.55 प्रतिशत, 18.18 प्रतिशत और 17.72 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 3.1)

- पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुपालन के निर्धारण में मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा किया गया सत्यापन अपर्याप्त था। निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के दावों के समान मामलों के निर्धारण में अलग-अलग कदम उठा रहे थे। इससे सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

(पैराग्राफ 3.2.3)

- कटौती के दावे की अननुमति के लिए मुख्य कारण निर्धारित थे जो या तो सहकारी समितियों के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट गतिविधियों में नहीं लगे हुए थे या मुख्य गतिविधि या व्यवसाय की तुलना में छोटे अनुपात में लगे हुए थे। इससे पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित काम न करने वाले का सत्वों का मुख्य जोखिम हुआ, गलत तरीके से लाभों का दावा किया गया तथा सहकारी समितियों पर प्रभावी प्रावधानों का संभावित दुरुपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 3.8)

- निर्धारण अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों और कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के रूप में वर्गीकृत निर्धारितियों के निर्धारण को पूरा करते हुए अधिनियम की धारा 80पी के अन्तर्गत दावित कटौती की अनुमति के विभेदक दृष्टिकोण को अपना रहे हैं।

(पैराग्राफ 3.9)

- जिस आय की प्रकृति पर सहकारी समितियों द्वारा कटौती का दावा किया जा रहा है, उसकी निगरानी के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। सहकारी समितियों द्वारा कटौती के दावे पर आय की अधिनियम की धारा 80पी की उपधारा के संबंध में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं करता, जिसके आधीन निर्धारित अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती का दावा करता है।

(पैराग्राफ 3.10.1)

- अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत की गई कटौती के विशिष्ट तथा वास्तविक दावे को आईटीआर के मौजूदा प्रारूप में नहीं लिया गया है।

(पैराग्राफ 3.11)

- लेखापरीक्षा ने 858 मामलों में ₹ 12,328.40 करोड़ के कर प्रभाव वाली कटौतियों/ व्ययों/ समंजन की अनुमति और हानियों को अग्रणीत करने पर कर और ब्याज की संगणना में गलतियों, टीडीएस की गैर-कटौती, शास्ति के गैर-उद्ग्रहण आदि के संबंध में अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अननुपालन के उदाहरणों को देखा। यह ध्यान देना तर्कसंगत है कि निर्धारण प्रक्रिया स्वचालित थी और निर्धारण आयकर विभाग की प्रणालियों और अनुप्रयोगों के माध्यम से पूरे किये जा रहे थे। यह निर्धारण प्रक्रिया और आयकर विभाग की आंतरिक नियंत्रणों

में कमजोरियों की ओर संकेत करता है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 4.1, 4.2, 4.3, 4.14)

- 20.7 प्रतिशत मामले (151 अभ्युक्तियां) उन सत्वों से संबंधित हैं जो एओपी के रूप में पंजीकृत नहीं थे। पैन पंजीकरण में एकरूपता के अभाव में निर्धारितियों के समान वर्ग की श्रेणी, सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किए गए इस मामले में, आयकर विभाग अपने पास उपलब्ध आंकड़ों से सार्थक जानकारी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होगा।

(पैराग्राफ 4.1)

- संवीक्षा के दौरान मामलों की पर्याप्त जांच नहीं की गई थी। संवीक्षा निर्धारण मामलों में से 131 मामलों में, जहां चयन के लिए मानदंड 'अधिनियम के अध्याय VIए के तहत बड़ी कटौतियां थी, उसकी पर्याप्त रूप से जांच नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 4.1)

- लेखापरीक्षा में मांग को उठाने के ऐसे दृष्टांत पाए गए जहां निर्धारण के विभिन्न चरणों में रिटर्न की गई आय निर्धारण की गई आय के बराबर थी, अर्थात् आईटीआर का इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण, सुधार, पुनर्निर्धारण आदि लेखापरीक्षा ने इन मांगों को उठाने के लिए अनेक कारणों को देखा जैसे आईटीआर चरण के प्रसंस्करण में पूर्व प्रदत्त करों का लेखांकन, गलत शीर्ष के तहत जमा किए गए अग्रिम कर को सीपीसी बेंगलुरु द्वारा भुगतान के रूप में नहीं माना जाना आदि। ऐसे मामले इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि दावों और भुगतानों के डेटा को निर्धारण के समय में मिलान नहीं किया गया है।

(पैराग्राफ 4.12)

- लेखापरीक्षा ने निर्धारण के दौरान किए गए उच्च मूल्य परिवर्धनों से जुड़े मामलों की जांच की और उन उदाहरणों को देखा जहां अधिनियम की धारा 80पी(4) के तहत कटौती के दावे को इस बहाने पर अस्वीकृत किया गया था कि सहकारी समिति बैंकिंग कारोबार में लगी हुई थी। मौजूदा गतिविधि कोड सहकारी बैंको को प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस) से अलग नहीं करते हैं। आयकर विभाग को प्रभावी निगरानी के लिए कारोबार या गतिविधि की प्रकृति के अनुसार कोड आवंटित करना चाहिए।

(पैराग्राफ 4.13)

सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि:

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अपने डेटाबेस में पैन की सीडिंग की शुरुआत करने और सूचनाओं के संरचित और संस्थागत आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय और राज्य स्तरीय पंजीकरण निकायों और नियामक प्राधिकरणों से अनुरोध करने पर विचार कर सकता है। निर्धारिती की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का पता लगाने और निगरानी करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की जा सकती है।

(पैराग्राफ 2.1.1)

- कर अपवंचन का पता लगाने के लिए नॉन-फाइलर्स/स्टॉप-फाइलर्स के प्रति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाए। सर्वेक्षण का उपयोग उन सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों की पहचान करने के लिए किया जाए जो अभी भी कर के दायरे से बाहर हैं और उन्हें कर के दायरे में लाया जाए।

(पैराग्राफ 2.2.1, 2.2.2)

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि आयकर विभाग सहकारी समितियों को पैन आवंटित करते समय किए गए अपने नाम और गतिविधि की तुलना में आवेदक की वास्तविक स्थिति की जांच करे। निर्धारितियों द्वारा प्राप्त छूटों की आसानी से पहचान और निगरानी करने के लिए, आयकर विभाग सहकारी समिति के पैन के साथ चौथे अक्षर के रूप में 'ए' को जोड़ने पर विचार कर सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि निर्धारितियों की स्थिति में परिवर्तन की पर्याप्त जांच की जाए।

(पैराग्राफ 2.3, 3.1)

- रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र और सदस्यों के विवरण का प्रत्यक्ष प्रमाण निर्धारण पूरा करने के लिए आवश्यक है। आयकर विभाग निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है और साथ ही आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

(पैराग्राफ 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3)

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निर्धारण अधिकारियों को यह अनुदेश दे कि वे सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के खातों को तभी स्वीकार करें जब उनकी लेखापरीक्षा पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों द्वारा की गई हो। इसके अलावा, इस नियामकीय आवश्यकता का अनुपालन न करने के मामलों की सूचना संबंधित नियामक प्राधिकरणों (सहकारी समिति पंजीयक, भारतीय रिजर्व बैंक आदि) को दी जाए।

(पैराग्राफ 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3)

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सिस्टम में कमजोरियों को खत्म करने के उद्देश्य से निर्धारण अभिलेखों के अनुसार डेटा तथा आयकर विभाग के बीच बेमेलता के होने के कारणों की जांच करें। आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।

(पैराग्राफ 2.4)

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उन मामलों में शुरू की गई कार्रवाई की जांच करें जहां सहकारी क्षेत्र में निर्धारितियों द्वारा गलत आईटीआर फॉर्म दायर किए गए थे और यह सुनिश्चित करें कि सीपीसी बेंगलुरु में आईटीआर प्रसंस्करण चरण में ऐसे रिटर्न को अमान्य के रूप से व्यवहारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के रूप में अनुमेय कटौती के दावे, यदि कोई हो, तो उसे अस्वीकृत किया जाए।

(पैराग्राफ 2.5.2)

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों के संवीक्षा निर्धारणों के दौरान पारस्परिकता के सिद्धांतों की जाँच के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है। यह सहकारी समिति के निर्धारण के लिए नियमित सदस्यों के रूप में असमान अधिकारों के साथ जुड़े हुए तथा नाम-मात्र और सहयोगी सदस्यों के पंजीकरण की प्रक्रिया को संबोधित करने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर सकता है जो पारस्परिकता के सिद्धांत को विफल करता है।

(पैराग्राफ 3.2.3)

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय की जांच करते समय भी सहकारी समिति द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति की प्रभावी निगरानी के

लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है जिस पर सहकारी समितियों/बैंको द्वारा कटौती दावा किया जा रहा है ताकि पात्र निर्धारितियों के दावे की अनुमति को सुनिश्चित किया जा सके।

(पैराग्राफ 3.8)

- दावों की प्रभावी निगरानी, अपात्र दावों की संभावना कम करने के लिए तथा केवल पात्र निर्धारितियों को कटौती की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारितियों के गतिविधि कोड तथा स्टेटस कोड को अधिनियम की उपधाराओं 80पी तथा 36(1) के साथ जोड़ा जा सकता है जिसके अंतर्गत आयकर रिटर्न फाइल करने के चरण पर कटौती का दावा किया जाता है। निर्धारण के दौरान जिन मामलों में अयोग्य गतिविधियों में लगे निर्धारितियों द्वारा दावा की गई कटौती को अस्वीकार कर दिया गया था, उनका उपयोग अनुवर्ती वर्षों में संवीक्षा के लिए चयन में प्राथमिकता प्रदान करने के लिए गतिविधियों, क्षेत्र और निर्धारितियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसकी सूचना संबंधित नियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को भी दी जाए।

(पैराग्राफ 3.10)

- अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत की गई कटौती के वास्तविक दावे को कटौती के प्रभाव के निर्धारण, बेहतर प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस), बेहतर निगरानी के लिए आईटीआर फार्म की प्रासंगिक अनुसूची में ग्रामीण अग्रिम तथा कुल आय पर कटौती के अलग आंकड़ों/विवरणों के साथ दर्ज किया जा सकता है क्योंकि मौजूदा प्रारूप में वास्तविक दावे को दर्ज नहीं किया जा रहा है।

(पैराग्राफ 3.11.2)

- अधिनियम के अंतर्गत धाराओं तथा निर्धारितियों के वर्गों, जहाँ दावों की अनियमित अनुमति की संभावना अधिक थी, की पहचान तथा निगरानी की जानी चाहिए। आयकर विभाग कटौतियों की अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्धारण अधिकारियों के उपायों के लिए उसकी रूपरेखा की एक जाँच सूची तैयार कर सकता है।

(पैराग्राफ 3.1 से 3.7)

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समान स्थितियों में समान कानून को लागू करने में व्यापक भिन्नताओं के कारणों की जाँच कर सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो, सहकारी क्षेत्र में समान गतिविधियों में लगे हुए निर्धारितियों के समान वर्ग के निर्धारण में एकरूपता तथा अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नियामक निकायों के अनुसार सहकारी बैंकों की संरचना के तहत वर्गीकरण के अनुसार ऐसे निर्धारितियों के निर्धारण को संरेखित करने के लिए नियामक निकायों के साथ समन्वय भी कर सकता है। निर्धारण प्रक्रिया के दौरान देखे गए सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न अपात्र निर्धारितियों को स्वीकार्य कटौती का दावा करने वाले अयोग्य निर्धारण के मामलों की सूचना नियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को दी जाए।

(पैराग्राफ 3.9)

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए कि कटौती की अनुमति केन्द्रीय और राज्य स्तर पर चीनी के मूल्य निर्धारण के संबंध में सरकारी नीतियों के अनुसार हो, धारा 36(1)(xvii) के तहत चीनी विनिर्माण सहकारी समितियों द्वारा किए गए दावों के निर्धारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर सकता है।

(पैराग्राफ 3.13)

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आय, कर, ब्याज आदि की संगणना में त्रुटियों और अनियमितताओं से जुड़े निर्धारणों को पुनरीक्षण कर सकता है और परिहार्य त्रुटियों की संभावना को समाप्त करने और निर्धारण अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र रख सकते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता पूर्ण आश्वासन तंत्र पेश कर सकता है कि कर की गणना में त्रुटियां कम से कम की जाएं।

(पैराग्राफ 4.2 से 4.10)

- अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों होने के बावजूद अस्वीकार्य दावों और व्यय की मदों और कटौतियों की अनियमित अनुमति के कारणों की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समीक्षा की जा सकती है। आयकर विभाग अनियमित अनुमति की उच्च प्रवृत्ति के साथ व्ययों और कटौतियों की मदों की पहचान कर सकता है और निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपयोग के लिए एक जांच बिंदु की रूपरेखा तैयार कर सकता है।

(पैराग्राफ 4.4)

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह पता लगा सकता है कि क्या त्रुटियां/अनियमितताएं भूल वश हुई गलतियां हैं और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। आयकर विभाग त्रुटियों और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय कर सकता है।

(पैराग्राफ 4.2 से 4.10)

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि आयकर विभाग को दावों और भुगतानों में अन्तर का निपटान करने के लिए सक्रिय रूप से सीपीसी बेंगलुरु के माध्यम से दावों के मिलान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसी के गैर-मिलान की संभावनाओं से बचने के लिए साधन विकसित करने चाहिए।

(पैराग्राफ 4.12)

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार कटौती के दावों की प्रभावी निगरानी के लिए निर्धारण के दौरान अभिनिश्चित किए गए कारोबार या गतिविधि की प्रकृति के अनुसार कोड को निर्दिष्ट/अद्यतन करने पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 4.11)

- आईटीआर-5 में एक सहकारी समिति के सभी सदस्यों की सूची उनके पैन के साथ पिछले वर्ष की रिटर्न दाखिल करने के निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक हो सकती है सहकारी समितियों द्वारा एक सीमा राशि से ऊपर प्राप्त की गयी जमा राशि के लिए पैन का उद्धरण अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रसंभाव्य वित्तीय अनियमितताओं की निगरानी को सरल बनाने के लिए विनियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक

आदि) को अस्पष्टीकृत नकदी साख की महत्वपूर्ण मात्रा वाले उदाहरणों की रिपोर्टिंग करने पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 4.9)

लेखापरीक्षा के अवलोकन तथा सिफारिशों के लिए आयकर विभाग की प्रतिक्रिया की लेखापरीक्षा की आगामी टिप्पणियों के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चर्चा की गई है।

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 विहंगावलोकन

सहकारी संस्थाएं

सहकारी¹ व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो संयुक्त रूप से स्वामित्व तथा लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से एकजुट होते हैं। सहकारी संस्थाएं, सदस्यों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित किए जाने वाली कानूनी रूप से स्थापित संस्थाएं अथवा कारोबारी उद्यम होती हैं, जिसके लिए वे कार्य भी करती हैं। कारोबारी स्वामित्व के अन्य रूपों से सहकारिता को पृथक करने की मूल विशेषता यह है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय सदस्यों के लिए कार्य करना है।

1.2 सहकारी समितियां: परिभाषा, शासकीय अधिनियम

1.2.1 भारत में सहकारी समितियों का गठन तथा कार्य चालन सहकारी समिति अधिनियम 1912, केन्द्रीय अधिनियम द्वारा शासित किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 4 सहकारी समिति को “एक ऐसी समिति के रूप में परिभाषित करती है जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार इसके सदस्यों के आर्थिक हितों का संवर्धन करना है”। यह अधिनियम कृषकों, दस्तकारों और सीमित साधनों के व्यक्तियों के बीच मितव्ययिता तथा स्वयं सहायता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों के गठन को सुगम बनाता है।

तत्पश्चात, भाग IXबी को संविधान (सत्तानवें संशोधन) अधिनियम, 2011 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। यह सहकारी समितियों को ‘किसी भी राज्य में वर्तमान में लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत या पंजीकृत समझे जाने वाली समिति’ के रूप में परिभाषित करता है।

आगे, सहकारी समितियां को भारतीय संविधान² की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है। राज्य के कानून सहकारी समितियों (बहुराज्यीय सहकारी समितियों के अलावा जो एक से अधिक राज्य में

1 स्रोत: संयुक्त राष्ट्र वेबसाइट, www.un.org/development/desa/Co-operatives

2 भारत के संविधान की अनुसूची VII, सूची II, मद 32

परिचालित होती है) के निगमन, नियमन तथा समापन को शासित करते हैं जो कि स्वैच्छिक गठन के सिद्धांत, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी, स्वायत्त कार्यचालन पर आधारित है। संबंधित राज्य सरकारें तथा राज्य द्वारा नियुक्त किए गए सहकारी समिति पंजीयक (आरओसीएस) राज्यों में सहकारी समितियों को मॉनीटर तथा विनियमित करते हैं।

कोई सहकारी समिति, सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिए स्थापित तथा पंजीकृत की जा सकती है। सहकारी समिति का पंजीकरण कराने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। पंजीयक द्वारा हस्ताक्षरित पंजीकरण का प्रमाण-पत्र इस बात का निर्णयात्मक साक्ष्य होगा कि इसमें उल्लिखित समिति विधिवत पंजीकृत है जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि समिति का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। पंजीयक भी समिति को उपविधि में प्रमुख प्रयोजन के अनुसार शासकीय अधिनियमों में निर्धारित समितियों की श्रेणी तथा उप-श्रेणी में वर्गीकृत करता है।

1.2.2 एक से अधिक राज्य में कार्य करने वाली सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन तथा समापन को बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 द्वारा शासित किया जाता है। संघीय सहकारी समितियों को उनकी गतिविधियों के स्वरूप के सन्दर्भ में वर्गीकृत किया जा सकता है। संघीय सहकारी समिति को परिचालन के एक ही क्षेत्र में सामान तथा एकरूप प्रयोजन में एक से अधिक समिति को पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

1.3 सहकारी बैंक: परिभाषा, शासकीय अधिनियम

1.3.1 सहकारी बैंक एक सहकारी समिति होती है जोकि किसी राज्य या केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होती है अथवा पंजीकृत की गयी समझी जाती है तथा जो बैंकिंग कारोबार से जुड़ी हुई हो। इस प्रकार सहकारी बैंक वे हैं जो उन केन्द्रीय अथवा राज्य नियामक कानूनों द्वारा शासित होते हैं जो एकल राज्य सहकारी समितियों तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियों को शासित करते हैं जो भारत के संविधान में केन्द्रीय विषय³ के रूप में सूचीबद्ध 'बैंकिंग' को शासित करने वाले विनियामक कानूनों के अलावा हैं। बैंकिंग गतिविधियों को शासित करने वाले लागू कानून निम्नवत् हैं:

3 भारत के संविधान की सूची-I, मद 45, अनुसूची VII

- क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934;
- ख) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 का भाग V जो सहकारी बैंकों पर लागू है;
- ग) बैंकिंग विनियम (संशोधन) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 2004; तथा
- घ) बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर लागू) अधिनियम, 1965

1.3.2 बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 को उसमें धारा 56 को समाविष्ट करके 1966 में सहकारी बैंकों पर लागू किया गया था। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, के महत्वपूर्ण प्रावधान जो सहकारी बैंकों पर लागू हैं, निम्नवत् हैं:

- (क) अधिनियम प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस⁴) तथा किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक पर लागू नहीं होगा।
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंक को दिया गया लाईसेंस रद्द कर सकता है यदि बैंकिंग कारोबार को बैंक बन्द कर देता है अथवा बैंक लाईसेंस जारी करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई किन्हीं शर्तों का पालन नहीं करता है।

1.4 सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों की कर देयता

1.4.1 आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 2(19) के अनुसार सहकारी समिति का अर्थ उस सहकारी समिति से है जो सहकारी समिति अधिनियम 1912 (2 से 1912) अथवा सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए किसी राज्य में लागू उतने समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत है। सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक, जो सहकारी समिति अधिनियम (राज्य अथवा केन्द्रीय अधिनियम) के अन्तर्गत पंजीकृत है, उसे एक 'निर्धारिती' ही माना जाता है जो आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत आयकर का भुगतान करने के लिए दायी है तथा इसलिए प्रत्येक ऐसी सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक को अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है और किसी अन्य निर्धारिती की तरह ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर का निर्धारण करने के लिए दायी है।

4 प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) एक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्था है जो जिला अथवा राज्य स्तर पर प्रचलित होती है तथा जो ग्रामीण सहकारी बैंकिंग खंड का भाग है।

1.4.2 सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक के मामले में आय की कर देयता के लिए कोई सीमा-रेखा नहीं है। निर्धारण वर्षों के संबंध में सहकारी समितियों के लिए लागू वित्त अधिनियमों में निर्धारित स्लैब दर पर कर लगाने के लिए आय दायी होती है। कोई सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक को आयकर रिटर्न भरने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचित नियत तिथि तक आईटीआर-5 प्रपत्र में आय की रिटर्न भरनी होती है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के लिए अपेक्षित अन्य अनुपालन के साथ-साथ स्थायी खाता संख्या (पैन⁵) प्राप्त करना तथा कर कटौती व संग्रहण खाता संख्या (टैन⁶) पंजीकरण, अग्रिम करों का भुगतान, स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस⁷) की त्रैमासिक रिटर्न भरने सहित स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधानों, अधिनियम की धारा 44ए के अन्तर्गत निर्धारित लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण; अधिनियम की धारा 44एबी के अन्तर्गत लेखापरीक्षा यदि कारोबार से प्राप्तियां निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हैं; वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी⁸) का उदग्रहण शामिल है।

1.5 हमने यह विषय क्यों चुना

सहकारी क्षेत्र में सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के रूप में पंजीकृत सत्वों की संख्याओं में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ से स्पष्ट है।


क. सहकारी समितियों के संबंध में वृद्धि: 2009-10 से 2016-17 के दौरान सहकारी समितियों में 39.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

5 स्थायी खाता संख्या (पैन) आयकर विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति को आवंटित एक विशिष्ट दस अंकों की अल्फा न्यूमेरिक संख्या है जो इसके लिए आवेदन करता है।

6 टैन अथवा कर कटौती व संग्रहण खाता संख्या दस अंकों की अल्फा न्यूमेरिक संख्या है जो उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त करना आवश्यक है जो कर की कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।


7 आयकर अधिनियम के अनुसार, कोई व्यक्ति (कटौतीकर्ता) जो किसी अन्य व्यक्ति (कटौती होने वाला) को निर्दिष्ट प्रकृति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, स्रोत पर कर कटौती करेगा और केन्द्र सरकार के खातों में उसे प्रेषित करेगा।

8 वैकल्पिक न्यूनतम कर, वह न्यूनतम कर है जो अधिनियम की धारा 115जेसी के अन्तर्गत सामान्य कर के प्रति वैकल्पिक उदग्रहण है तथा जो व्यक्तियों के संघ (एओपी) सहित गैर-निगमित कर दाताओं के लिए लागू है।




स्रोत: एनसीयूआई, सांख्यिकीय प्रोफाइल 2018

ख. बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के संबंध में वृद्धि: बहु-राज्यीय सहकारी समितियों का पंजीकरण वर्ष 2012 से 2014 के दौरान अपेक्षाकृत उच्च था, जैसा कि नीचे देखा जा सकता है:



स्रोत: <https://mscs.dac.gov.in/ChartYear.aspx>

ग. सहकारी बैंकों की वृद्धि: वर्ष 2014-15 के बाद सहकारी बैंकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। वि. वर्ष 2013-14 से वि. वर्ष 2017-18 के बीच की अवधि के दौरान देश में सहकारी बैंकों की संख्या को नीचे चार्ट में दिखाया गया है:



स्रोत: आरबीआई

जैसा कि ऊपर बताया गया सहकारी क्षेत्र सहकारी समितियों के साथ-साथ सहकारी बैंकों दोनों की संख्याओं में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। वे उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार कर के अधीन है। इस विषय का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए किया गया था ताकि निम्नलिखित सीमा तक उसकी जांच की जा सके:

- आयकर नेट में सहकारी समितियों की कवरेज;
- कर आधार को विस्तृत तथा मजबूत बनाना; और
- वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन।

1.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित की जांच करना है:

- क्या सहकारी क्षेत्र में सभी सत्व कर नेट में है तथा आयकर रिटर्न भरी जा रही हैं और कर की देय राशि के उदग्रहण के लिए निर्धारित किया जा रहा है;
- आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों को विशिष्ट प्रावधानों के लिए अनुपालन की प्रकृति तथा सीमा; और
- निर्धारण प्रक्रिया के दौरान अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के लिए अनुपालन की प्रकृति तथा सीमा।

1.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों के संबंध में रिटर्न का डेटाबेस वि.वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए आयकर महानिदेशालय (सिस्टम) [डीजीआईटी (सिस्टम)] से मांगा गया था। डीजीआईटी (सिस्टम) ने सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) [2,36,997 अभिलेख] के संबंध में वि.वर्ष 2014-15 से 2016-17⁹ के दौरान निर्धारित आयकर रिटर्न (आईटीआर¹⁰) का निर्धारण अधिकारी-वार कुल डेटा तथा निर्धारित वार डेटा प्रदान किया। सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के नमूना चयन के लिए 1,97,898 अभिलेखों की संख्या पर पहुँचने के लिए अनन्य कारोबार कोड 807 (एनबीएफसी से संबंधित) को बाहर रखा गया। तथापि, डीजीआईटी (सिस्टम) ने लेखापरीक्षा के साथ साझा किए गये मामलों के प्रास्थिति कोड¹¹ प्रदान नहीं किए थे। 1,97,898 अभिलेखों का वित्तीय वर्ष वार विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

तालिका 1.1: वि.वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा साझा किए गये अभिलेखों का विवरण

[राशि ₹ करोड़ में]

वि.वर्ष	अभिलेखों की संख्या	विवरणी की आय	निर्धारित आय	उठाई गई मांग	अशोदय तथा संदिग्ध ऋणों की राशि	अशोदय तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	धारा 80पी के अन्तर्गत कटौती
2014-15	47241	7060.06	28883.23	9121.22	17.82	410.15	3301.36
2015-16	68330	22065.93	38128.69	6709.82	156.35	1387.11	8938.62
2016-17	82327	47267.70	65210.30	5678.52	331.81	2016.77	88495.51

स्रोत: डेटा डीजीआईटी (सिस्टम), आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया गया

- 9 डीजीआईटी (प्रणाली) के सहकारी क्षेत्र से संबंधित आईटीआर के कुल डेटा तथा निर्धारित वार डेटा जिसे वि.वर्ष 2017-18 के दौरान निर्धारित किया गया था तथा जिसे क्षेत्रीय लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले योजना बनाने के उद्देश्य से मांगा गया था, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की पूर्णता (सितम्बर 2019) की ओर प्रेषित किया गया।
- 10 आयकर रिटर्न (आईटीआर) एक प्रारूप है जिसमें कर-दाता अपनी अर्जित आय तथा उपयुक्त आय कर की जानकारी आयकर विभाग को देता है।
- 11 प्रास्थिति कोड- प्रास्थिति कोडों को, करदाता की स्थिति, चाहे व्यक्तिगत हो, हिन्दु अविभाजित परिवार (एचयूएफ), फर्म, स्थानिय निकाय, सहकारी बैंक, सहकारी समिति, कोई अन्य एओपी या बीओपी, सरकारी कंपनी, निजी कंपनी, अथवा अन्य की स्थिति को पहचानने के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रयोग किया जाता है। सहकारी बैंक के लिए प्रास्थिति कोड 03 है तथा सहकारी समिति के लिए 04 है।

1,97,898 अभिलेखों का विश्लेषण किया गया था तथा लेखा मानदंडों पर आधारित निष्कर्षण को नमूना पर पहुँचने के लिए क्षेत्रवार अलग किया गया था, जिसका विवरण इस अध्याय के पैरा 1.8 में दिया गया है।

1.8 चयनित और लेखापरीक्षित नमूना

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए नमूना, लेखापरीक्षा द्वारा किए गये जोखिम निर्धारण के अनुसार, 2014-15 से 2016-17 की अवधि के लिए आयकर विभाग (आयकर विभाग) द्वारा प्रदान किए गये डेटा से लिया गया था। इस नमूना में अतिरिक्त निर्धारण मामले भी शामिल थे जिसे 2014-15 से 2016-17 के लिए आयकर विभाग डेटा से प्राप्त किए गये नमूनों से चयनित पैन के संबंध में 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान अन्तिम रूप दिया गया तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के मामले बहु-राज्यीय सहकारी समिति (एमएससीएस) की वेबसाइट पर उपलब्ध बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की सूची से पहचाने गये थे। सभी राज्यों/क्षेत्रों¹² के संबंध में लेखापरीक्षा के लिए चयनित मामलों के विवरण नीचे सारणीबद्ध किए गये हैं:

तालिका 1.2: नमूना चयन

क्रम संख्या	चयनित नमूना	मामलों की संख्या
1	चयनित प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त की संख्या	291
2	चयनित निर्धारण प्रभागों की संख्या	1726
3	नमूना आकार	9282 ¹³
4	प्रस्तुत नहीं किए गये मामलों की संख्या	412
5	आयकर विभाग द्वारा भेजे गये डेटा में मामलों की संख्या जो सहकारी समिति अथा सहकारी बैंकों की श्रेणी नहीं आते	400 ¹⁴
6	कुल (4+5)	812
7	निष्पादन लेखापरीक्षा (3-6) में कवर किए गये मामलों की संख्या	8470

निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किए गये उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये सहकारी समितियों तथा सहकारी

12 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल

13 81 एमएससीएस मामलों सहित

14 इन मामलों में कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, ट्रस्ट अथवा एओपी के पैन पंजीकरण की प्रास्थिति के साथ निर्धारणों के निर्धारण शामिल थे लेकिन सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक के रूप में पंजीकृत नहीं थे।

बैंकों के संबंध में 128 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 में पृथक रूप से शामिल किया गया है।

1.9 बाध्यताएँ/ अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण

लेखापरीक्षा ने, लेखापरीक्षा संविक्षा के लिए 1,726 निर्धारण प्रभारों से सहकारी समिति तथा सहकारी बैंकों से संबंधित 9,282 नमूना मामले के अभिलेखों (एमएससीएस के 81 मामलों सहित) की मांग की थी। चुने हुए नमूनों में से, 412 (4.44 प्रतिशत) मामले लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गये थे।

आयकर विभाग ने सहकारी क्षेत्र से संबंधित निर्धारितियों के विशिष्ट वर्गीकरण तथा संहिताकरण के लिए सहकारी समितियों (04) तथा सहकारी बैंकों (03) को विशिष्ट प्रास्थिति कोड दिये थे जिसे निर्धारितियों द्वारा भरी गई आईटीआर के माध्यम से कैप्चर किया जाता है। सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के निर्धारित-वार विवरण डेटा के प्रास्थिति कोड को लेखापरीक्षा को प्रेषित नहीं किया गया था जबकि कोडों को आयकर विभाग प्रणाली के माध्यम से कैप्चर किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के लिए केन्द्रित जोखिम निर्धारण, पृथक रूप से, नहीं निकाला जा सका। आयकर विभाग ने सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों (जुलाई 2020) के निर्धारित-वार विस्तृत डेटा के संबंध में प्रास्थिति कोड विवरण प्रदान नहीं करने के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया।

1.10 चयनित नमूने का स्वरूप

चयनित नमूने में महाराष्ट्र राज्य/क्षेत्र से चुने गए लगभग 24.7 प्रतिशत मामले शामिल थे। चयन में दर्शाये गये अन्य प्रमुख राज्यों/क्षेत्रों में गुजरात, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से क्रमशः 9.8 प्रतिशत, 9.0 प्रतिशत, 7.9 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत नमूने एकत्र किये गये थे। सभी क्षेत्रों/ राज्यों से चयन किए गए थे। परिशिष्ट 1 में लेखापरीक्षा नमूने का क्षेत्रवार/ राज्यवार विवरण है।

निर्धारण अभिलेखों के अनुसार कारोबार/गतिविधि की प्रकृति के विवरण की उपलब्धता के आधार पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहकारी क्षेत्र में लगभग 59.8 प्रतिशत निर्धारित बैंकिंग, क्रेडिट और वित्तीय सेवाओं (पीएसीएस सहित) से जुड़े थे इसके पश्चात व्यापार (8.4 प्रतिशत), चीनी (5 प्रतिशत) और आवास (4.7 प्रतिशत) थे। विवरण परिशिष्ट 2 में हैं।

चयनित निर्धारितियों में व्यक्तियों का संघ (एओपी) की प्रास्थिति के अतिरिक्त एओपी (ट्रस्ट), कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी), कंपनी, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण या वैयक्तिक निकाय (बीओआई) के पैन पंजीकरण प्रास्थिति वाले निर्धारित शामिल थे। जबकि 78.4 प्रतिशत निर्धारितियों को एओपी के रूप में आयकर विभाग के साथ पंजीकृत किया गया था, 2.6 प्रतिशत बीओआई के रूप में पंजीकृत थे और शेष 19 प्रतिशत गैर-एओपी/ बीओआई जैसे ट्रस्ट, एजेपी, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी के रूप में पंजीकृत थे।

लेखापरीक्षा में जांचे गए 96.9 प्रतिशत मामलों में, आईटीआर-5 के माध्यम से रिटर्न दाखिल किये गये थे। बाकी मामलों¹⁵ में आईटीआर-2 (2 मामले), आईटीआर-2डी (15 मामले), आईटीआर-4 (18 मामले), आईटीआर-6 (13 मामले) और आईटीआर-7 (21 मामले) का उपयोग निर्धारितियों द्वारा उनके रिटर्न दाखिल करने के लिए किये गये थे।

1.11 आभार

लेखापरीक्षा आवश्यक डेटा/रिकॉर्ड/सूचना प्रदान करने और इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में आयकर विभाग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के आरंभ में, 6 मार्च, 2019 को सीबीडीटी/आयकर विभाग के साथ एक एंटी कांफ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य फोकसवाले क्षेत्रों के बारे में बताया गया था। सबसे पहले मंत्रालय/सीबीडीटी को उनकी टिप्पणियों के लिए 21 मई 2020 को ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी। जुलाई 2020 में सीबीडीटी की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद सीबीडीटी के साथ उनकी टिप्पणियों की तुलना में लेखापरीक्षा निष्कर्षों और लेखापरीक्षा सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए 16 जुलाई 2020 को एक एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी। सीबीडीटी की प्रतिक्रिया और एग्जिट कांफ्रेंस चर्चा को शामिल करते हुए 19 अगस्त 2020 को संशोधित रिपोर्ट मंत्रालय/सीबीडीटी को जारी की गई थी। संशोधित रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया 1 सितंबर 2020 को प्राप्त हुआ था। चर्चा के परिणाम, सीबीडीटी की टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विधिवत शामिल किया गया है।

15 शेष 16 मामलों (0.19 प्रतिशत) में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया और 177 मामलों (2.09 प्रतिशत) में आईटीआर फॉर्म की जानकारी का पता नहीं लगाया जा सका।

अध्याय 2: सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों का कर आधार

अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार, किसी कंपनी या फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आय की रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, यदि उसकी कुल आय अधिकतम राशि; जिस पर आयकर प्रभारित नहीं किया जाता है, से अधिक है। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों के लिए आय की रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने फाईल न करने वालों की निगरानी के लिए नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) मैकेनिज्म को भी संस्थापित किया है।

लेखापरीक्षा ने सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के आंकड़े क्रमशः संबंधित राज्यों के सहकारी समिति पंजीयक (आरओसीएस) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के क्षेत्रीय कार्यालय से मांगे और आयकर विभाग की निर्धारण इकाइयों के साथ-साथ डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा उपलब्ध कराए गए अखिल भारत के डेटा में शामिल आंकड़ों के साथ उन्हें प्रतिसत्यापित करने का प्रयास किया। लेखापरीक्षा ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग के निगरानी तंत्र का विश्लेषण और आकलन किया कि सहकारी समितियाँ और सहकारी बैंक विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। सहकारी क्षेत्र में सत्त्वों के निर्धारण के दौरान विनियामक अनुपालन के सत्यापन के संबंध में विश्लेषण निम्नलिखित पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है।

2.1 कर दायरे से बाहर सहकारी समितियां

2.1.1 2014-15 से 2016-17 की अवधि हेतु संबंधित राज्यों या क्षेत्रों/आरबीआई/नाबार्ड के आरओसीएस के अभिलेखों के अनुसार सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की संख्या और डीजीआईटी (सिस्टम) से प्राप्त आंकड़ों में उपलब्ध सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की संख्या तथा इस बात की पुष्टि के विवरण कि क्या सहकारी समितियां/सहकारी बैंक कर के दायरे में थे/आईटीआर दाखिल कर रहे थे और पैन की उपलब्धता की प्रास्थिति नीचे तालिका 2.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1: पंजीकरण प्राधिकरण की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम) के डेटा के अनुसार सहकारी समितियां/सहकारी बैंक

क्र. सं.	राज्य/क्षेत्र का नाम	आरओसीएस/ आरबीआई/ नाबार्ड के रिकॉर्ड के अनुसार सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की संख्या	वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि के लिए डीजीआईटी (सिस्टम) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की संख्या	2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान आयकर विभाग के डेटाबेस में न दर्शाये गये सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की प्रतिशतता (संख्या)
क	ख	ग	घ	ड.
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	2,195 ¹⁶	168	92.35 (2027)
2	बिहार	24,293	587	97.58 (23706)
3	छत्तीसगढ़	9950	1325	86.68 (8625)
4	दिल्ली	5,985	703	88.25 (5282)
5	गोवा	2,765	236	91.14 (2427)
6	गुजरात	75,967	10,372	86.35 (65595)
7	झारखंड	98	33	66.33 (65)
8	कर्नाटक	41,795	4,583	89.03 (37212)
9	केरल	6716	1671	65.31 (4386 ¹⁷)
10	मध्य प्रदेश	7742	3316	57.17 (4426)
11	महाराष्ट्र	2,04,228 ¹⁸	78,186	61.72 (126042)
12	उत्तर पूर्व क्षेत्र ¹⁹	1783 ²⁰	238	86.65 (1545)
13	उत्तर पश्चिम क्षेत्र ²¹	22,832	16,303	28.60 (6529)
14	ओडिशा	4678	244	94.78 (4434)
15	राजस्थान	16,449	2406	85.37 (14043)
16	तमिलनाडु और पांडिचेरी	26,645	2317	91.30 (24328)
17	उत्तराखंड	280	177	38.54 (111)

- 16 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्रमशः 2 और 4 जिलों के संबंध में आरओसीएस से प्राप्त 2094 और वित्त वर्ष 2014-15 से पहले पंजीकृत 101 सहकारी बैंक।
- 17 5045 मामलों में से 659 मामलों में पैन पंजीकरण हैं।
- 18 1,98,252 (केवल समितियों की संख्या और वेबसाइटों की सूची आरओसीएस द्वारा बिना किसी समितियों की सूची के प्रदान की गई थी) + 5976 बैंक।
- 19 अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।
- 20 7 आरओसीएस में से 4 से 1762 और आरबीआई से 21 मामले।
- 21 चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब।

क	ख	ग	घ	ड.
18	उत्तर प्रदेश	जानकारी आरओसीएस द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई	1466	-
19	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	4014	10719	-
	कुल	4,58,415	1,35,050	72.32(3,31,536)

नोट: i) सभी राज्यों के लिए उपलब्ध आंकड़ों के कुल योग 4,58,415 और 1,35,050।

ii) उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर वास्तविक कमी कुल 3,31,536 है; यदि कमी की तुलना कुल 4,58,415 से की जाये तो 72.32 प्रतिशत है और यदि कुल 4,54,401 से तुलना की जाये, जिसमें डीजीआईटी (सिस्टम) में अधिशेष रिकॉर्ड रखने वाले राज्यों को शामिल नहीं किया गया है, तो यह 72.96 प्रतिशत होगी।

इस प्रकार जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया, पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत पता लगाई गई सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों में से 72.32 प्रतिशत डीजीआईटी (सिस्टम) के डेटाबेस से बाहर पाए गए और इस प्रकार वे कर के दायरे से बाहर हैं।

यद्यपि, कानून में यह अधिदेश दिया गया है कि सभी पंजीकृत सहकारी समितियां नियत तिथि तक वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करेंगी, उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि अधिकांश सहकारी समितियां और सहकारी बैंक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे थे। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि सभी सहकारी समितियां किसी भी ओर अर्थात् या आरओसीएस या आयकर विभाग में इस आवश्यकता का अनुपालन कर रही हैं। प्रक्रियात्मक रूप से, सभी पंजीकृत सहकारी समितियों को पैन प्राप्त करना होता है और रिटर्न दाखिल करना शुरू करना होगा। तथापि, संबंधित आरओसीएस के डेटाबेस में पंजीकृत सहकारी समितियों के पैन को दाखिल करने का कोई तंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त, आरओसीएस और आयकर विभाग के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान का कोई संस्थागत तंत्र नहीं है, जिसके कारण कई खामियां हैं और बड़ी संख्या में पंजीकृत सहकारी समितियां अभी भी कर के दायरे से बाहर हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में आंशिक उत्तर को छोड़कर, आयकर विभाग ने कर पंजीकरण की प्रास्थिति/आईटीआर रिटर्न दाखिल करने की प्रास्थिति/पैन की उपलब्धता की पुष्टि के लिए भेजे गए पत्रों का उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार, चाहे इन सहकारी समितियों/बैंकों को कर के दायरे में शामिल किया गया है या नहीं, लेखापरीक्षा द्वारा यह पुष्टि नहीं की जा सकी थी।

2.1.2 कर्नाटक में, कर्नाटक क्षेत्राधिकार में रिटर्न दाखिल करने वाले 4,583 निर्धारितियों में से, केवल 1,620 निर्धारितियों को सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिससे 2,963 रिकॉर्ड बेमेल थे। 2,963 निर्धारितियों में से 2,180 धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का दावा कर रही थीं जो कि केवल पंजीकृत सहकारी समितियों के लिए थी। इन 2963 बेमेल अभिलेखों में से, 676 निर्धारितियों के नाम पर 'सौहरदा' शब्द लिखा है, जिन्हें कर्नाटक सौहरदा अधिनियम, 1997 के अंतर्गत पंजीकरण का सुझाव दिया गया है, और शेष 2,287 निर्धारितियों के पास उचित पंजीकरण नहीं था। इससे पता चलता है कि रिटर्न दाखिल करने वाली और कटौती का दावा करने वाली अधिकांश सहकारी समितियां या तो पात्र नहीं थीं या नियामक प्राधिकरण पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी नहीं कर रहा था। अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले 2,180 निर्धारितियों में से 168 निर्धारित लेखापरीक्षा नमूने से संबंधित थे जिनमें से 125 मामलों में पंजीकरण के कोई आंकड़े रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, 168 निर्धारितियों में से 17 मामलों में, हालांकि पंजीकरण संबंधी आंकड़े आयकर विभाग के पास उपलब्ध थे, लेकिन यह आरओसीएस के आंकड़ों से मेल नहीं हो पाये। दो मामलों में, यह देखा गया कि कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम, 1959 के साथ-साथ बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत के रूप में नाम दर्शाए जा रहे थे।

एक मामले में, हालांकि सहकारी समितियों के संयुक्त केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित उप-कानूनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र और संशोधन की प्रति प्रस्तुत की गई थी, बहु राज्य सहकारी समितियों के डेटाबेस में नाम नहीं दर्शाया गया था। एक मामले में, पंजीकरण प्रमाण-पत्र पर और निर्धारण रिकॉर्ड के अनुसार नाम अलग-अलग पाया गया।

इसके अतिरिक्त, अन्य 144 अभिलेखों में, जहां निर्धारितियों के नाम समान हैं, 90 निर्धारित रिटर्न दाखिल कर रहे थे,


- क) बिना उचित पंजीकरण के; क्योंकि वे आरओसीएस के डेटाबेस में प्रदर्शित नहीं होते हैं; या
- ख) उस क्षेत्राधिकार के अलावा दूसरे क्षेत्राधिकार में जिसमें वे पंजीकृत थे; या
- ग) कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम, 1959 के साथ-साथ कर्नाटक सौहरदा सहकारी अधिनियम, 1997 के अंतर्गत पंजीकरण वाले और

उनमें से 77 अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का लाभ उठा रहे थे।

महत्वपूर्ण बात यह है कि, समान नाम वाले इन निर्धारितियों में से 30 के पास कई पैन हैं और वे विभिन्न क्षेत्राधिकारों में रिटर्न दाखिल कर रहे थे, जिससे निर्धारण अधिकारियों के लिए ऐसी घटनाओं का पता लगाना मुश्किल हो गया था। इनमें से, 22 निर्धारितियों ने एक ही वर्ष (वर्षों) में विभिन्न क्षेत्राधिकारों के साथ रिटर्न दाखिल किया था और अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती का दावा किया था जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है जो कि पैन के प्रसार को इंगित करता है।

चार्ट 2.1: विभिन्न क्षेत्राधिकार जिसमें निर्धारितियों ने समान वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल किया

विभिन्न क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक ही वर्ष में फाईल किया गया



नोट: चार्ट में प्रत्येक पंक्ति विभिन्न क्षेत्राधिकार में फाईल कर रहे, एक निर्धारितियों और अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का लाभ उठाने की प्रास्थिति को दर्शाती है। उदाहरणतः एक निर्धारितियों दोनों सर्किल 1, हासन और सर्किल 1, रायचूर में दाखिल कर रहा था और दोनों क्षेत्राधिकारों में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का लाभ उठाया था।

इन निर्धारितियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अभाव में, निर्धारण अधिकारियों के पास उनकी वास्तविकता की पहचान करने और यह पता लगाने का कोई साधन नहीं था कि क्या एक ही निर्धारितियों विभिन्न क्षेत्राधिकारों में रिटर्न दाखिल कर रहे हैं।

गोवा में, आरओसीएस, गोवा के साथ पंजीकृत संस्थाओं के नाम के साथ डीजीआईटी (सिस्टम) के आंकड़ों के अनुसार रिटर्न दाखिल करने वाले निर्धारिती के नाम की तुलना में से पता चला है कि गोवा में रिटर्न दाखिल करने वाले 236 निर्धारितियों में से 61 निर्धारितियों को आरओसीएस, गोवा में पंजीकृत समितियों के रूप में नहीं दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, 2014-15 से 2016-17 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान, इन 61 निर्धारितियों ने (137 निर्धारण मामले) अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का दावा किया था, जिसे निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनुमति दी गई थी, जबकि वे आरओसीएस, गोवा में पंजीकृत नहीं थे।

इस प्रकार, आयकर विभाग ने सभी सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को अपने कर दायरे में शामिल नहीं किया जैसा कि पंजीकरण अधिकारियों के आंकड़ों की तुलना में 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान आयकर विभाग के डेटाबेस में नहीं पाए गए सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के बड़े प्रतिशत से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, निर्धारितियों की उपस्थिति, जिनका आरओसीएस डेटा से मेल नहीं हो सका था या जिनके पास कई पैस थे, ऐसा होना अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती के दावे के संभावित दुरुपयोग की ओर भी संकेत करता है। कर पंजीकरण की प्रास्थिति/आईटीआर फाइलिंग की प्रास्थिति/निर्धारितियों के पैस की उपलब्धता की पुष्टि के संबंध में आयकर विभाग से उत्तर/पुष्टि न होने पर, लेखापरीक्षा कर के दायरे से बाहर रहने वाले निर्धारितियों की वास्तविक संख्या पर पहुंचने की स्थिति में नहीं है।

2.2 कर आधार को सुदृढ़ करने के लिए सर्वेक्षण/तलाशी और जब्ती तंत्र का उपयोग न करना

अधिनियम की धारा 132, 133 आयकर प्राधिकारियों को तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाने और कर के दायरे से बाहर रहने वाले निर्धारितियों/संभावित निर्धारितियों/सत्त्वों के वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी एकत्र करने की शक्ति प्रदान करती है। ये तंत्र आयकर विभाग को नए निर्धारितियों की पहचान करने और फाईल न करने वाले, गैर-फाइलकर्ता और कर चोरों के मामलों का पता लगाने और उनको ढूंढने में सक्षम बना सकते हैं।

2.2.1 सर्वेक्षण

निर्धारण प्रभारों और आयकर विभाग के संबंधित विंगों से 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षणों की संख्या पर डेटा के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा मांग की गई। प्रतिक्रिया की प्रास्थिति पर विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.2: 2014-15 से 2018-19 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों का राज्य/क्षेत्रवार विवरण

राज्य/क्षेत्र जहां आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए सर्वेक्षणों की जानकारी मिली	ऐसे राज्य/क्षेत्र जिनमें आयकर विभाग के उत्तर के अनुसार कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया	राज्य/क्षेत्र जिसमें आयकर विभाग से आंशिक जानकारी मिली
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु	बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र ²² , ओड़िशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	कर्नाटक, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ²³ (4 पीसीआईटी)

स्रोत: आयकर विभाग

दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान के संबंध में प्राप्त जानकारी और उपरोक्त राज्यों के मामलों में प्राप्त आंशिक जानकारी नीचे तालिकाबद्ध की गई है:

तालिका 2.3: 2014-15 से 2018-19 के दौरान किए गए सर्वेक्षण

वर्ष	वित्त वर्ष के दौरान किए गए सर्वेक्षण	किए गए सर्वेक्षण		वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वेक्षण में पहचाने गए नए निर्धारितियों की संख्या		कॉलम (ड.) और (च) में से निर्धारितियों की संख्या जिन्होंने आय की रिटर्न फाईल की	
		सहकारी समितियां	सहकारी बैंक	सहकारी समितियां	सहकारी बैंक	सहकारी समितियां	सहकारी बैंक
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज
2014-15	108	0	0	0	0	0	0
2015-16	132	1	1	0	0	0	0
2016-17	317	31	28	0	2	0	2
2017-18	110	4	3	0	0	0	0
2018-19	139	3	1	0	0	0	0
कुल	806	39	33	0	2	0	2

स्रोत: आयकर विभाग

22 अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा

23 चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब

2.2.2 तलाशी और जब्ती

कर आधार बढ़ाने और सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों द्वारा कर अनुपालन को लागू करने के लिए तलाशी और जब्ती गतिविधि की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए सभी राज्यों के सभी निर्धारण प्रभारों और डीजीआईटी (जांच)-विंगों से लेखापरीक्षा द्वारा तलाशी और जब्ती के बारे में जानकारी मांगी गई थी। प्रतिक्रिया की स्थिति के बारे में विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 2.4: 2014-15 से 2018-19 के दौरान किए गए तलाशी और जब्ती का राज्य/क्षेत्रवार विवरण

राज्य/क्षेत्र जहां तलाशी और जब्ती की जानकारी आयकर विभाग द्वारा नहीं दी गई	ऐसे राज्य/क्षेत्र जिनमें आयकर विभाग के उत्तर के अनुसार कोई तलाशी और जब्ती नहीं की गई	राज्य/क्षेत्र जिसमें आयकर विभाग से जानकारी प्राप्त की गई
गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ²⁴ और पश्चिम बंगाल	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वोत्तर क्षेत्र ²⁵ , तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र

स्रोत: आयकर विभाग

गुजरात, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली के संबंध में मिली जानकारी नीचे दी गई है।

24 चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब

25 अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा

तालिका 2.5: 2014-15 से 2018-19 के दौरान चलाया गया तलाशी और जब्ती अभियान

वर्ष	वित्त वर्ष के दौरान की गई तलाशी और जब्ती अभियानों की कुल संख्या	अधिनियम की धारा 132/132ए के तहत तलाशी और जब्ती अभियानों की संख्या		वित्त वर्ष के दौरान तलाशी और जब्ती अभियानों में पहचाने गए नए निर्धारितियों की संख्या		कॉलम (ड.) और (च) के अतिरिक्त निर्धारितियों की सं. जिन्होंने आय की रिटर्न फाईल की		उन मामलों की संख्या जिसमें संदिग्ध लेन-देन में शामिल अन्य निर्धारितियों के संबंध में क्षेत्राधिकारी मूल्यांकन अधिकारी को आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना दी गई थी	
		सहकारी समितियां	सहकारी बैंक	सहकारी समितियां	सहकारी बैंक	सहकारी समितियां	सहकारी बैंक	सहकारी समितियां	सहकारी बैंक
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ण.
2014-15	69	1	0	0	0	0	0	1	0
2015-16	52	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	139	2	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	92	3	3	265	0	149	0	56	0
2018-19	100	1	2	0	0	0	0	0	0
कुल	452	7	5	265	0	149	0	57	0

स्रोत: आयकर विभाग

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2017-18 में महाराष्ट्र में किए गए तीन तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान 265 नए निर्धारितियों की पहचान की गई थी। हालांकि, अन्य वर्षों के संबंध में किसी नए निर्धारितियों को कर के दायरे में नहीं जोड़ा जा सका है। आयकर विभाग द्वारा किए गए कुल सर्वेक्षणों और तलाशी और जब्ती अभियानों की तुलना में सहकारी क्षेत्र के लिए कुल सर्वेक्षण और तलाशी और जब्ती अभियानों की संख्या कम थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कर के दायरे से बाहर अधिक मामलों²⁶ के बावजूद एक वर्ष को छोड़कर सहकारी क्षेत्र में अधिक कर चूककर्ताओं/संभावित निर्धारितियों की पहचान करने में आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षणों और तलाशी और जब्ती अभियानों के तंत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया है।

2.3 सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के पैन पंजीकरण की स्थिति का विवरण

आयकर विभाग करदाता या तो व्यक्ति विशेष, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), फर्म, स्थानीय प्राधिकरण, सहकारी बैंक, सहकारी समिति, किसी

26 अपूर्ण कर दायरे पर पैरा 2.1.1 देखें

अन्य एओपी या बीओआई, सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी या अन्य की स्थिति की पहचान करने के लिए 'स्थिति कोड' का उपयोग करता है। तथापि डीजीआईटी (प्रणाली) ने लेखापरीक्षा के लिए दिए गए मामलों के संबंध में स्थिति कोड उपलब्ध नहीं कराया।

पैन की चौथी वर्णमाला से पहचाने जाने वाले अन्य श्रेणी के निर्धारितियों अर्थात् व्यक्ति विशेष, एचयूएफ, फर्म, कंपनी आदि के विपरीत, सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों को विशेष रूप से उनके पैन द्वारा नहीं पहचाना जाता है। तथापि, उन्हें सामान्य तौर पर एओपी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसलिए आयकर विभाग द्वारा आवंटित उनके पैन पंजीकरण संख्या का चौथा वर्ण 'ए' होना चाहिए। इस प्रकार, ट्रस्ट, एजेपी, बीओआई, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों का निर्धारण सहकारी समितियों के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी ने यह भी कहा है (जुलाई 2020) कि "आयकर अधिनियम, 1961 के उद्देश्य हेतु, सहकारी समितियों को व्यक्तियों का संघ माना जाता है"।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 8,470 निर्धारण मामलों में से, यद्यपि 1,826 मामलों (21.6 प्रतिशत) में, निर्धारित सहकारी समितियां और सहकारी बैंक थे, अतः उन्हें आवंटित पैन में वर्ण 'ए' के स्थान पर कोई अन्य वर्ण था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: गैर-एओपी (पैन के चौथे वर्ण का 'ए' के स्थान पर कोई अन्य वर्ण होना) के रूप में पंजीकृत क्षेत्रवार/राज्यवार निर्धारिती

क्षेत्र/राज्य	एओपी (ट्रस्ट) (पैन में चौथा वर्ण 'टी' होना)	एजेपी (पैन में चौथा वर्ण 'जे' होना)	कंपनी (पैन में चौथा वर्ण 'सी' होना)	फर्म (पैन में चौथा वर्ण 'एफ' होना)	स्थानीय प्राधिकरण (पैन में चौथा वर्ण 'एल' होना)	बीओआई (पैन में चौथा वर्ण 'बी' होना)
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	56	21	1	25	2	6
बिहार और झारखंड	8	23	2	1	0	0
दिल्ली	39	16	0	4	2	4
गुजरात	61	31	3	24	4	28
कर्नाटक	23	51	1	38	30	8
केरल	21	23	6	20	6	18
महाराष्ट्र	148	113	4	40	47	63
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	34	40	1	14	13	20
पूर्वोत्तर क्षेत्र ²⁷	8	3	0	1	2	5
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ²⁸	60	46	5	16	17	20
ओडिशा	11	2	0	0	2	16
राजस्थान	35	41	7	18	14	9
तमिलनाडु	23	16	0	8	6	5
यूपी और उत्तराखंड	84	55	4	26	58	11
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	7	13	0	7	11	11
कुल योग	618	494	34	242	214	224

उपर्युक्त से यह देखा गया है कि सहकारी समितियां पैन के चौथे वर्ण 'ए' की अपेक्षा दूसरे वर्ण के साथ पंजीकृत हो रही हैं। निर्धारितियों के इस तरह के गलत वर्गीकरण से गलत सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों द्वारा लाभ प्राप्त करने की संभावना के अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र की गतिविधियों में

27 अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा

28 चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब

शामिल निर्धारितियों से संबंधित दोषपूर्ण सूचनाओं के सृजन की संभावना पैदा होती है।

प्रधान सीआईटी मैंगलोर प्रभार, कर्नाटक में, एक मामले में, एक निर्धारिती हर साल अपनी स्थिति बदल रहा था। तथापि नि.व. 2014-15 और नि.व. 2015-16 के लिए, उद्घोषित स्थिति "सहकारी समिति" थी, नि.व. 2016-17 में घोषित स्थिति "सहकारी बैंक" और नि.व. 2017-18 में, स्थिति उद्घोषित "एओपी/बीओआई" थी। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की स्थिति का सही ढंग से निर्धारण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, 14 मामलों में, निर्धारितियों की स्थिति के निर्धारण में त्रुटियां थीं। तथापि, कुछ सहकारी समितियां वास्तव में उनकी स्थिति सहकारी समिति होने के बावजूद अपना दर्जा सहकारी बैंक के रूप में घोषित कर रही थीं। इसी प्रकार, कुछ प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिनकी वास्तविक स्थिति सहकारी समिति थी, वे अपना दर्जा सहकारी बैंक के रूप में घोषित कर रहे थे। इस प्रकार, क्रेडिट सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के बारे में कोई स्पष्टता प्रतीत नहीं होती।

आयकर विभाग, पैन आवंटित करते समय, उसके नाम में तुलना में आवेदक की वास्तविक स्थिति और की गई गतिविधि की जांच करें और सहकारी समितियों के लिए केवल चौथे वर्ण 'ए' के साथ पैन को आवंटित करें ताकि निर्धारितियों द्वारा प्राप्त छूटों की पहचान और निगरानी आसानी से की जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि निर्धारितियों की स्थिति में परिवर्तन की पर्याप्त जांच की जाएं और न्यायसंगत बनाया जाएं।

2.4 डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा और निर्धारण रिकॉर्ड के अनुसार डेटा की बेमेलता

डीजीआईटी (सिस्टम) उनके द्वारा प्रस्तुत आईटीआर से प्राप्त डेटा और उसके बाद निर्धारण अधिकारियों द्वारा किए गए निर्धारण के माध्यम से निर्धारितियों द्वारा रिटर्न की गई आय, व्यय, छूटों और कटौतियों के विवरण के बारे में केंद्रीकृत जानकारी रखता है। चूंकि सिस्टम और प्रक्रियाओं को आईटीआर स्तर के डेटा और निर्धारण स्तर के डेटा को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, अतः आदर्शात्मक रूप से डीजीआईटी (सिस्टम) के पास उपलब्ध डेटा और निर्धारण इकाइयों के पास उपलब्ध डेटा के बीच कोई बेमेलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे एक ही स्रोत अर्थात् आईटीआर और निर्धारण प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से

डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और निर्धारण रिकॉर्ड से एकत्र किए गए आंकड़ों के बीच बेमेलता का पता चला जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.4.1 डीजीआईटी (सिस्टम) के अनुसार और निर्धारण प्रभागों में अनुरक्षित मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार निर्धारित किए गए मामलों की सूची में बेमेलता

लेखापरीक्षा ने निर्धारण प्रभागों में अनुरक्षित मांग और संग्रहण रजिस्ट्रों (डीएंडसीआर) से एकत्र किए गए सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों का विवरण मांगा। चूंकि डीजीआईटी (सिस्टम) के डेटा में केवल उन्हीं निर्धारितियों की सूची थी जिन्होंने रिटर्न दाखिल की है और/या वर्ष 2014-15 से 2016-17 के बीच एक बार या अधिक बार उनका निर्धारण किया गया {धारा 143 (1)/143 (3)/154/250 के तहत}, यह तुलना केवल डीएंडसीआर के साथ निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए की जा सकती है। हालांकि डीएंडसीआर में काफी मामले पाये गये, लेकिन निम्नलिखित राज्यों/क्षेत्रों के संबंध में डीजीआईटी (सिस्टम) के डेटा में शामिल नहीं है:

तालिका 2.7: डीजीआईटी (सिस्टम) डेटा और डीएंडसीआर डेटा के बीच बेमेलता

क्र. सं.	राज्य/क्षेत्र ²⁹	डीएंडसीआर रिकॉर्ड की सं. जो की डीजीआईटी (सिस्टम) के डेटा का भाग नहीं था
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	45
2	बिहार	2
3	दिल्ली	3
4	गुजरात	51
5	झारखंड	12
6	उत्तर पूर्व क्षेत्र	76
7	राजस्थान	145
8	पश्चिम बंगाल	26
	कुल	360

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा के लिए प्रदान किए गए डीजीआईटी (सिस्टम) डेटा विस्तृत और पूर्ण नहीं था और इसने आयकर विभाग में

29 छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में डेटा प्राप्त नहीं हुआ / केवल आंशिक रूप से प्राप्त हुए।

निर्धारण की गई संपूर्ण सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों को चित्रित नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मामलों की समीक्षा से पता चला है कि डीएंडसीआर के अनुसार और डीजीआईटी (सिस्टम) डेटा में नहीं पाए गए निर्धारितियों में 72 निर्धारित (360 का 20 प्रतिशत) शामिल थे, जिनका निर्धारण एओपी के रूप में नहीं किया गया था। इन निर्धारितियों में से राजस्थान में 27, गुजरात, एनईआर और झारखंड में क्रमशः 9, 8 और 8 मामलों के अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 17 मामले पाये गये थे। बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक-एक मामला पाया गया। निर्धारितियों के गलत वर्गीकरण से अपात्र सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों द्वारा लाभ प्राप्त किए जाने की संभावना के अतिरिक्त गलत और अविश्वसनीय जानकारी के सृजन की संभावना पैदा होती है।

2.4.2 डीजीआईटी (सिस्टम) के अनुसार और निर्धारण प्रभार में अनुरक्षित मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार डेटा की बेमेलता

डीजीआईटी (सिस्टम) के अनुसार डेटा के बीच सूचनाओं और डीएंडसीआर से एकत्र किए गए डेटा के मेल न होने के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

तालिका 2.8: डीजीआईटी (सिस्टम) के अनुसार और डीएंडसीआर के अनुसार डेटा की बेमेलता

जानकारी जिसको बेमेलता पाई गई	पीसीएसआईटी/सीएसआईटी की सं.	राज्यों की सं.	उन मामलों की सं. जिनमें अंतर/बेमेलता पाई गई थी
रिटर्न की गई आय का मिलान न होना	269	16 ³⁰	1170
निर्धारित आय का मिलान न होना	249	14 ³¹	613
मांग का मिलान न होना	248	14 ³²	903
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज की राशि में अंतर	247	15 ³³	326

- 30 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
- 31 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
- 32 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
- 33 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

जानकारी जिसको बेमेलता पाई गई	पीसीएसआईटी/ सीएसआईटी की सं.	राज्यों की सं.	उन मामलों की सं. जिनमें अंतर/बेमेलता पाई गई थी
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के प्रावधान की राशि में अंतर	247	15 ³⁴	845
अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत दावा की गई कटौती की राशि में अंतर	226	13 ³⁵	561

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा के लिए प्रदान किए गए डीजीआईटी (सिस्टम) डेटा को अद्यतित नहीं किया गया था।

2.5 आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रभावशीलता

2.5.1 नॉन-फाइलर्स और स्टॉप फाइलर्स

लेखापरीक्षा ने यह सत्यापित करने का प्रयास किया कि क्या सहकारी समिति अधिनियम या पंजीकरण प्राधिकरण अर्थात आरओसीएस के साथ किसी भी राज्य में वर्तमान समय के लिए लागू किसी भी कानून के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों का निर्धारण आयकर विभाग के अभिलेखों के अनुसार किया गया था। 4,030 निर्धारितियों (विशेष पैन मामले) की लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि अग्रलिखित मामलों में, नि.व. 2015-16 से 2018-19 के दौरान नियमित आधार पर आईटीआर दाखिल नहीं की गई थी:

तालिका 2.9: नॉन-फाइलर्स और स्टॉप-फाइलर्स

निर्धारण वर्ष	जांच किए गए मामलों की संख्या (विशिष्ट पैन)	उन मामलों की सं. जहां आईटीआर दाखिल की गई थी	उन मामलों की संख्या जहां आईटीआर दर्ज नहीं की गई			
			सहकारी समितियों	सहकारी बैंक	स्थिति उपलब्ध नहीं	कुल
2015-16	4030	3255	250	27	1	278
2016-17	4030	3232	209	23	1	233
2017-18	4030	3056	274	30	1	305
2018-19	4030	2996	309	30	1	339

34 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

35 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान सहकारी बैंकों के 8.8 प्रतिशत से 9.9 प्रतिशत की तुलना में सहकारी समितियों के आईटीआर दाखिल न करने के उदाहरण अनुपातिक रूप से अधिक थे जिसकी सीमा 89.7 से 91.2 प्रतिशत के बीच थीं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए मामलों में से, 155 निर्धारितियों³⁶ जिसमें 132 सहकारी समितियां और 22 सहकारी बैंक³⁷ शामिल हैं, ने सभी चार निर्धारण वर्षों के दौरान आईटीआर दाखिल नहीं की। इसके अतिरिक्त, इन 155 नॉन-फाइलर्स के मामलों में से, 59.4 प्रतिशत निर्धारितियों को एओपी के रूप में निर्धारित किया गया; जबकि अन्य नॉन-फाइलर्स ट्रस्ट (12.9 प्रतिशत), एजेपी (11.6 प्रतिशत), फर्म (7.1 प्रतिशत), स्थानीय प्राधिकरण (3.9 प्रतिशत) और बीओआई (3.2 प्रतिशत) और कम्पनी (1.9 प्रतिशत) के रूप में पंजीकृत थी। लेखापरीक्षा में ऐसे निर्धारितियों के प्रति की गई कार्रवाई का विवरण प्राप्त नहीं किया जा सका। इस संबंध में आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

कर्नाटक में, आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने वाले 263 सहकारी बैंकों में से 43 बैंक रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे थे।

पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त सहकारी समितियों, जिन्होंने कर्नाटक में अपनी आईटीआर दाखिल नहीं की थी, की सूची के विश्लेषण से पता चला कि कुल नॉनफाइलर्स- का 41 प्रतिशत "दुग्ध उत्पादक समितियाँ" थी, इसके बाद 21 प्रतिशत गैर-फाइलकर्ता "क्रेडिट समितियों" से थे। रिटर्न दाखिल न करने वाली कर्नाटक की पंजीकृत सहकारी समितियों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

36 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार और झारखंड, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और गोवा, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

37 गैर - फाइलर (महाराष्ट्र) के एक मामले में निर्धारित की स्थिति उपलब्ध नहीं थी

तालिका 2.10: कर्नाटक में गतिविधि वार नॉन-फाइलर्स सहकारी समितियाँ

नॉन-फाइलर्स सहकारी समिति की गतिविधि का प्रकार	संख्या
दुग्ध उत्पादक समिति	14905
क्रेडिट समिति	7691
अन्य - विविध	3354
जल उपभोक्ता समिति	2878
बहुउद्देश्यीय समिति	2822
कृषक समिति	1446
हाउसिंग समिति	1196
उपभोक्ता समिति	981
मछुआरों का समिति	538

इसी प्रकार, गोवा में, नॉन-फाइलर्स सहकारी समितियों के विश्लेषण से पता चला कि कुल नॉन-फाइलर्स का 70 प्रतिशत "हाउसिंग समिति" थीं। गोवा की रिटर्न दाखिल न करने वाली पंजीकृत सहकारी समितियों का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2.11: गोवा में गतिविधि वार नॉन-फाइलर्स सहकारी समितियां

नॉन-फाइलर्स सहकारी समितियों की गतिविधि का प्रकार	संख्या
आवास	1811
क्रेडिट (क्रेडिट, शहरी क्रेडिट)	296
सेवा क्षेत्र (बैंक, उपभोक्ता, विपणन, सेवा, परिवहन)	151
कृषि क्षेत्र (डेयरी, खेती, मत्स्य पालन, पानीवंताप, मूर्गी पालन, प्रसंस्करण, उत्पादक)	181
औद्योगिक क्षेत्र (औद्योगिक, श्रम, संसाधन)	98
अन्य समिति (सामान्य, संघ महासंघ, शहरी समिति, ब्लैंक)	53

उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से सहकारी समितियों की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने में चूक की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। इसके विपरीत यह आयकर विभाग के नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) की प्रभावहीनता को दर्शाता है।

2.5.2 सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए गलत आईटीआर फॉर्म का उपयोग

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 12 में निर्धारितियों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा भरे जाने वाले भिन्न-भिन्न आईटीआर प्रपत्र निर्दिष्ट किए गए हैं। इसके अलावा, आईटीआर-5 दाखिल करने के निर्देशों के अनुसार, इसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप

(एलएलपी), एओपी, बीओआई, एजेपी, प्रतिनिधि निर्धारिती, सहकारी समिति, पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत अथवा किसी भी राज्य के किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत समिति या अधिनियम की धारा 139(4ई) में संदर्भित और निवेश निधि अधिनियम की धारा 139(4एफ) संदर्भानुसार फॉर्म आईटीआर-7, मृतक व्यक्ति की संपत्ति, किसी दिवालिया की संपत्ति व्यापार ट्रस्ट के रूप में दर्ज किए जाने के निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है। हालांकि, एक व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 139(4ए) या 139(4बी) या 139(4डी) के तहत आय का रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, वह इस फॉर्म का उपयोग नहीं करेगा। सहकारी समितियों का निर्धारण एओपी के रूप में किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 69 निर्धारण मामलों³⁸ में, आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयुक्त प्रपत्र अर्थात् आईटीआर 5 का उपयोग सहकारी क्षेत्र के मामलों में निर्धारितियों द्वारा नहीं किया गया था। गलत आईटीआर फार्म भरने के इन मामलों को सहकारी समितियों के 61 मामलों और सहकारी बैंकों के 8 मामलों में देखा गया। इसके अतिरिक्त, इन 69 मामलों जहां निर्धारितियों द्वारा गलत आईटीआर प्रपत्रों का उपयोग किया गया था, में से 73.9 प्रतिशत निर्धारितियों का निर्धारण एओपी के रूप में किया गया था जबकि शेष 26.1 प्रतिशत को एजेपी, ट्रस्ट, स्थानीय प्राधिकरण, फर्म और कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में 69 मामलों में 11 अनियमितताएं देखी गईं जिन पर अध्याय 3 (₹ 1817 लाख के कर प्रभाव से जुड़े कटौती के अनियमित भत्ते के 4 मामले³⁹) और अध्याय 4 (कर की गणना में गलतियों के 7 मामले⁴⁰ ₹ 847.97 कर प्रभाव से जुड़े ब्याज की उगाही) में चर्चा की गई है। यह भी देखा गया है कि 11 अनियमितताओं में से 9 सहकारी समितियों और 2 सहकारी बैंकों से संबंधित हैं।

सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त आईटीआर के उपयोग के अभाव में, आयकर विभाग सहकारी समितियों के बारे में सही जानकारी जुटाने और यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं होगा कि विशिष्ट कटौती की अनुमति अधिनियम के तहत दी गई है।

38 गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

39 कर्नाटक (2), मध्य प्रदेश (2)।

40 कर्नाटक (1), उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (1), तमिलनाडु (1)।

आयकर विभाग उन मामलों में शुरू की गई कार्रवाई की जांच करें जहां सहकारी क्षेत्र में निर्धारितियों द्वारा गलत आईटीआर फॉर्म दाखिल किए गए थे और यह सुनिश्चित करें कि केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) बेंगलुरु के माध्यम से आईटीआर प्रसंस्करण चरण में ऐसे रिटर्न को अमान्य माना गया है।

2.6 नियामक अनुपालन की जांच करने के लिए अपर्याप्त तंत्र

सभी पंजीकृत सहकारी समितियों को संबंधित सहकारी समिति अधिनियम द्वारा निर्धारित पंजीकरण की आधारभूत शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है। चयनित नमूना मामलों के 8,470 निर्धारण फ़ोल्डर्स की समीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि या तो दस्तावेजीकरण खराब था या सहकारी समितियों द्वारा आधारभूत शर्तों को पूरा नहीं किया जा रहा था, जो आयकर विभाग में संबंधित निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनुचित सत्यापन तंत्र की ओर संकेत करता हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

2.6.1 रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र का प्रत्यक्ष प्रमाण

सहकारी समिति/सहकारी बैंक को किसी भी कटौती की स्वीकृति/ अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो; आरओसीएस में पंजीकृत होने वाली समिति के आधार पर होनी चाहिए। पंजीकरण का प्रमाण आरओसीएस द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र है। इसलिए, निर्धारण अधिकारी के लिए निर्धारण के समय पंजीकरण प्रमाण-पत्र का सत्यापन करना आवश्यक है। हालांकि, यह देखा गया कि लेखापरीक्षा में जांच किए गए 8,470 निर्धारण मामलों में से, 4,376 मामलों⁴¹ में पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्धारण फोल्डर्स में उपलब्ध नहीं था।

दिल्ली में, चार निर्धारितियों के मामले में लेखापरीक्षा में पाया गया कि भले ही उन्होंने ₹ 39.97 करोड़ की कटौती का दावा किया और अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत ₹ 39.03 करोड़ की अनुमति दी गई, परंतु उनके निर्धारण रिकॉर्ड में न तो पंजीकरण प्रमाण-पत्र पाया गया और न ही आरओसीएस, दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा में उनके नाम पाए गए।

41 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार और झारखंड, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

इस संबंध में, आयकर विभाग को चारों मामलों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा प्रश्न किये गये थे। यद्यपि, एक मामले में आयकर विभाग ने आरओसीएस के साथ पंजीकरण की प्रति उपलब्ध कराई थी, पंजीकरण/ नाम/ पंजीकरण संख्या की तारीख आरओसीएस की सूची से मेल नहीं खा रही थी। यह मामला आरओसीएस को भेजा गया था (सितंबर 2019) ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि क्या ये सत्त्व उनके साथ पंजीकृत हैं या नहीं। उनकी पुष्टि प्रतीक्षित है।

उपर्युक्त यह इंगित करता है कि आयकर विभाग में सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों के पंजीकरण की स्थिति के साक्ष्य का प्रत्यक्ष रखने की प्रणाली चूकरहित नहीं है। पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत निर्धारितियों द्वारा किए गए दावे की वास्तविकता कैसे सुनिश्चित की थी।

2.6.2 निर्धारिती के पंजीकरण की स्थिति का सत्यापन

किसी सहकारी समिति का पंजीकरण अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए मान्य होना चाहिए, क्योंकि संबंधित अधिनियमों के अनुसार उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। सहकारी समिति के पंजीकरण की स्थिति का सत्यापन निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निर्धारित करने के लिए किया जाना है कि क्या वह अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत छूट का दावा करने के लिए पात्र है। यह देखा गया कि लेखापरीक्षा में जांच किए गए 8,470 मामलों में से, 842 मामलों⁴² में, निर्धारण के दौरान पंजीकरण की स्थिति की जांच या सत्यापन नहीं किया गया जबकि 5,343 मामलों⁴³ में निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या निर्धारण के दौरान पंजीकरण की स्थिति का सत्यापन किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह जांच करने का प्रयास किया गया कि क्या पंजीकरण निकायों के साथ निर्धारितियों के डेटा/पंजीकरण स्थिति को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है। आयकर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाएं यह थीं कि

42 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

43 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार और झारखंड, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

पंजीकरण की स्थिति को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था या इकाइयां निर्धारण के दौरान आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करती हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुजरात और दिल्ली से निर्धारण इकाइयों द्वारा पंजीकरण स्थिति के सत्यापन के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

तालिका 2.12: निर्धारण अधिकारियों द्वारा पंजीकरण निकायों के साथ पंजीकरण स्थिति का सत्यापन

राज्य/क्षेत्र	जिन इकाइयों से यह पूछताछ की गई थी, यदि उन्होंने निर्धारितियों की पंजीकरण स्थिति का सत्यापन किया	प्रतिक्रिया			
		प्राप्त हुई	पंजीकरण की स्थिति को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र नहीं	मूल्यांकन के दौरान सत्यापित	
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	114	71	46	25	
उत्तर पूर्व क्षेत्र	21	21	19	2	
गुजरात	162	38	32	6	
दिल्ली	81	79	79	-	

उपर्युक्त यह दर्शाता है कि सहकारी समितियों के पंजीकरण की स्थिति को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। तथापि, निर्धारण की कार्यवाही के दौरान कुछ निर्धारण अधिकारियों ने इसका सत्यापन किया।

चैरिटेबल ट्रस्ट के संबंध में, आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 12ए में संशोधन किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी ट्रस्ट या संस्था को पंजीकरण प्रदान करते समय प्रधान कमिश्नर या कमिश्नर, अन्य बातों के साथ-साथ किसी अन्य कानून की आवश्यकताओं के लिए ट्रस्ट या संस्था के अनुपालन के बारे में भी संतुष्ट होंगे जो कि इसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त विधेयक 2020 ने अधिनियम की धारा 10, धारा 12ए या अधिनियम की धारा 12ए में संशोधन किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अधिनियम की धारा 35 के खंड (23सी) के तहत अधिसूचित एक सत्व के लिए छूट के लिए अनुमोदन या पंजीकरण या अधिसूचना एक समय में केवल पांच साल के लिए मान्य होगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जांच के रूप में कार्य करेगी कि छूट जारी रखने के लिए अनुमोदन या पंजीकरण या अधिसूचना की शर्तों का पालन किया जाए।

सीबीडीटी आरओसी/बैंको द्वारा ऐसे निर्धारितियों के पंजीकरण/परिवर्तन की स्थिति को रद्द करने की निगरानी करने के लिए आईटीडी की सुविधा हेतु सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के मामले में इसी तरह के प्रावधान को लागू करने पर विचार कर सकता है।

2.6.3 सदस्यों के रजिस्टर से आईटीआर में सदस्यों के विवरण का सत्यापन (रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे अभिलेख)

रिटर्न दाखिल करने के निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के दौरान सदस्यों में परिवर्तन के मामले में सहकारी समिति के नए सदस्यों के विवरण के साथ-साथ "सदस्य सूचना" के अंतर्गत शेयरों के प्रतिशत का विवरण भी आईटीआर-5 के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसे फिर आयकर विभाग प्रणालियों में अपलोड किया जाता है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 950 मामलों⁴⁴ में निर्धारण के दौरान सदस्यों के विवरण का सत्यापन नहीं किया गया जबकि 6,389 मामलों⁴⁵ में निर्धारण फ़ोल्डर में आईटीडी सिस्टम में आईटीआर-5 में शामिल सदस्यों के विवरण प्रवेश और समाप्ति विवरण, शेयरहोल्डिंग विवरण आदि वाले आरओसीएस द्वारा अनुरक्षित समिति के सदस्यों के रजिस्ट्रार से प्राप्त किए गए सदस्यों के विवरण के सत्यापन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

2.6.4 लेखाओं की लेखापरीक्षा

प्रत्येक सहकारी समिति की लेखापरीक्षा सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त खंड में उल्लिखित लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा की जाएगी, बशर्ते कि ऐसे लेखापरीक्षकों या लेखा परीक्षा फर्मों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्राधिकारी से की जाएगी। प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं की लेखापरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छह महीने के भीतर की जाएगी, जिनसे ऐसे लेखे संबंधित हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के अलावा किसी अन्य अधिनियम के तहत इस तरह की लेखापरीक्षा का ब्यौरा भी आईटीआर-5 के माध्यम से एकत्र किया जाना अपेक्षित है।

44 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार और झारखंड, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

45 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार और झारखंड, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

2.6.4.1 पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई सहकारी समितियों के लेखा

सहकारी समितियों की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 2014-15 से 2018-19 के दौरान आयकर विभाग द्वारा निर्धारण की गई सहकारी समितियों के 6,425 मामलों में से 974⁴⁶ मामले सहकारी समितियों के वार्षिक लेखाओं/वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों द्वारा नहीं की गई।

बिहार में, पीसीआईटी मुजफ्फरपुर प्रभार में, लेखापरीक्षा ने तीन ऐसे मामले देखे, जिनमें एक सनदी लेखाकार (सीए) फर्म द्वारा खातों की लेखापरीक्षा की गई थी जो पैनल आरओसीएस, बिहार के साथ शामिल नहीं थी। तथापि, आईटीआर के सारांश प्रसंस्करण के साथ-साथ संवीक्षा निर्धारण के दौरान लेखापरीक्षित लेखों को बिना सत्यापन के स्वीकार कर लिया गया।

कर्नाटक में, 53 मामलों में यह देखा गया कि एक पैनल में शामिल लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षा फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष एक बार लेखापरीक्षा कराने की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया। उपर्युक्त में से, अधिनियम की धारा 80पी के तहत 31 मामलों में ₹ 23.16 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी।

महाराष्ट्र में लेखापरीक्षा में 2,320 मामलों की जांच की गई और यह देखा गया कि किसी भी मामले में आरओसीएस या भारतीय रिजर्व बैंक के पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों की सूची को रिकार्ड में नहीं रखा गया। ऐसी सूची के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या निर्धारण अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया था कि निर्धारण आरंभ करने से पहले पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों द्वारा सहकारी समितियों के लेखों की लेखापरीक्षा की गई। उपर्युक्त में से अधिनियम की धारा 80पी के तहत 1,126 मामलों में ₹ 130.19 करोड़ की कटौती को अनुमत किया गया था।

उत्तर प्रदेश और गुजरात में, वि.व. 2014-15 से 2018-19 के लिए सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों की सूची संबंधित आरओसीएस से मांगी गई थी, तथापि यह प्राप्त नहीं हुआ था (नवंबर 2019)। लेखापरीक्षा इस बात की पुष्टि नहीं कर

46 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार और झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

सकी कि क्या पैनल सूची के लेखापरीक्षकों द्वारा सहकारी समितियों के वार्षिक खातों/वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की गई थी।

2.6.4.2 पैनल में शामिल सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा न किए गए सहकारी बैंकों के खाते

भारत सरकार, नाबार्ड और अधिकांश राज्य सरकारों के बीच सहकारी सुधार पैकेज के अनुबंधों को लागू करने के लिए समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन किया गया है ताकि सनदी लेखाकारों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट द्वारा सहकारी बैंकों का सांविधिक लेखापरीक्षा करने में सुविधा हो सके। संबंधित सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा परिचालित पैनल में से सनदी लेखाकारों का चयन करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसके मद्देनजर, नाबार्ड द्वारा परिचालित सनदी लेखाकारों पैनल से सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।

संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, रजिस्ट्रार हर साल कम से कम एक बार राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के खातों को किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षित होने की लेखापरीक्षा करेगा या कारण देगा। नाबार्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसटीसीबी और डीसीसीबी की लेखापरीक्षा अब आरबीआई के पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों द्वारा की जाएगी।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान आयकर विभाग द्वारा निर्धारण किए गए 2,039 निर्धारण मामलों में से 84 मामलों⁴⁷ के वार्षिक खातों/वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा नाबार्ड द्वारा परिचालित अनुमोदित पैनल से चयनित सनदी लेखाकारों द्वारा नहीं की गई। उक्त आवश्यकता का अनुपालन न होने के कारण, आयकर विभाग ने निर्धारितियों द्वारा किए गए दावों की वास्तविकता को लेखापरीक्षा द्वारा कैसे सुनिश्चित किया, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

47 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

2.6.5 सहकारी बैंक आरबीआई से लाइसेंस के बिना अपना बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं

बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए, वाणिज्यिक बैंक के मामले में एक सहकारी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 22 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-15 से 2018-19 के दौरान आयकर विभाग द्वारा निर्धारण किए गए 2039 मामलों में से दो राज्यों⁴⁸, जिनमें आठ निर्धारण मामले शामिल थे, के पांच सहकारी बैंकों के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस नहीं था।

इसके अलावा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 7(2) के अनुसार कोई भी फर्म, व्यक्तिगत या व्यक्तियों का समूह किसी भी व्यवसाय को ले जाने के उद्देश्य से, अपने नाम के भाग के रूप में "बैंक", "बैंकिंग" या "बैंकिंग कंपनी" का उपयोग तब तक करेगा जब तक कि आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त नहीं हो जाता है। कर्नाटक में, 33 मामलों में यह देखा गया कि निर्धारित उद्धृत प्रावधानों के विपरीत अपने नाम में "बैंक" शब्द का उपयोग कर रहे थे।

2.7 निष्कर्षों का सारांश

- लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि संबंधित राज्यों/ क्षेत्रीय विनियामक प्राधिकरणों/ पंजीकरण प्राधिकरणों के अभिलेखों के अनुसार सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की संख्या आयकर विभाग के अनुसार संख्या की तुलना में बहुत अधिक थी, जो यह दर्शाती है कि कई सहकारी समितियां और बैंक आयकर विभाग के कर दायरे में नहीं थे।
- आयकर रिटर्न के नॉन-फाइलर्स/ स्टॉप-फाइलर्स के प्रति शुरू की गई कार्रवाई का कोई प्रमाण नहीं था। आयकर विभाग ने आयकर विवरणी गैर-फाइलर्स तथा स्टॉप-फाइलर्स की पहचान करने तथा उन्हें कर के दायरे में लाने के लिए सर्वेक्षण और खोज एवं जब्ती कार्यों के संचालन के माध्यम से इसके पास उपलब्ध उपकरणों का उपयोग नहीं किया।

48 महाराष्ट्र (1), कर्नाटक (7)

- आयकर विभाग के पास पंजीकरण प्राधिकरणों के साथ सहकारी समितियों/बैंकों की जानकारी का नक्शा तैयार करने का तंत्र नहीं है ताकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति का सत्यापन किया जा सके। आरओसीएस के डेटाबेस में पैन डालने और निर्धारिती द्वारा घोषित पंजीकरण स्थिति के किसी भी परिवर्तन की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, जो आयकर विभाग के साथ सूचनाओं के संस्थागत और संरचित आदान-प्रदान में एक प्रमुख बाधा है।
- हालांकि सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों को एओपी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि फर्मा, बीओआई, कंपनियों, स्थानीय प्राधिकरणों आदि के रूप में वर्गीकृत निर्धारिती सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के लिए बनी कटौतियों का अनियमित रूप से लाभ उठा रहे थे। इसमें सहकारी क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल निर्धारितियों से संबंधित गलत जानकारी प्रदान करने की भी संभावना है।
- लेखापरीक्षा में ऐसे मामले देखे गए जहां आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सहकारी क्षेत्र के मामलों में निर्धारितियों द्वारा उपयुक्त प्रपत्र अर्थात आईटीआर 5 का उपयोग नहीं किया गया था।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के रूप में सत्व के पंजीकरण का सत्यापन अपर्याप्त था तथा रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ-साथ समितियों के सदस्यों के विवरण का प्रत्यक्ष प्रमाण या तो निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था या निर्धारण अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, ऐसे मामलों में, लेखापरीक्षा द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी कि क्या वास्तविक निर्धारितियों द्वारा कटौती प्राप्त की गई थी।
- सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के लेखाओं की एक पैनल लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने की आवश्यकता थी और इसका ब्यौरा आईटीआर-5 के माध्यम से एकत्र किया जाना था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि इस महत्वपूर्ण आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार, लेखाओं की विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- आयकर विभाग ने उन सत्वों का सहकारी बैंकों के रूप में निर्धारण किया जिनके पास बैंक के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व

बैंक से वैध लाइसेंस नहीं था जिससे अपात्र निर्धारितियों को कटौती की अनुमति हुई।

- लेखापरीक्षा में निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा प्रस्तुत डेटा सेटों के अनुसार आय और दावों या कटौती की राशि में विसंगतियों और त्रुटियों के मामले पाए गए। निर्धारण अभिलेखों के अनुसार डीजीआईटी (सिस्टम) और डेटा द्वारा प्रस्तुत निर्धारण डेटा में बेमेलता न केवल खराब समन्वय और डेटा अद्यतन पर नियंत्रण का संकेत है बल्कि सूचना की सटीकता का भी एक प्रतिबिंब है।

2.8 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपने डेटाबेस में पैन की सीडिंग की शुरुआत करने और सूचनाओं के संरचित और संस्थागत आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने वाले केन्द्रीय और राज्य स्तरीय पंजीकरण निकायों और नियामक प्राधिकरणों से अनुरोध करने पर विचार कर सकता है। निर्धारित की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का पता लगाने और निगरानी करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की जा सकती है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि चूंकि यह मामला प्रशासनिक मुद्दा है, इसलिए उसने विधायी संशोधन की मांग नहीं की।

लेखापरीक्षा मत है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अयोग्य निर्धारितियों द्वारा कर प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पंजीकरण निकायों और नियामक प्राधिकरणों के साथ पैन पंजीकरण विवरणों और किसी अन्य जानकारी के संरचित और संस्थागत आदान-प्रदान को तैयार करने और इनकी निगरानी करने पर पुनर्विचार कर सकता है।

ख) कर अपवंचन का पता लगाने के लिए नॉन फाइलर्स/स्टॉप फाइलर्स के प्रति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाए। सर्वेक्षण का उपयोग उन सहकारी समितियों/सहकारी

बैंकों की पहचान करने के लिए किया जाए जो अभी भी कर के दायरे से बाहर हैं और उन्हें कर के दायरे में लाया जाए।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा (जुलाई 2020) कि आयकर विभाग के पास पहले से ही नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) के माध्यम से नॉन-फाइलर्स और स्टॉप फाइलर्स की पहचान करने के लिए एक तंत्र है। यदि क्षेत्रीय प्राधिकारियों के पास कोई प्रतिकूल सूचना हो तो क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण/तलाशी कार्रवाई शुरू की जाती है।

लेखापरीक्षा का मत है कि गैर-फाइलर्स और स्टॉप-फाइलर्स की पहचान करने के लिए एक तंत्र होने के बावजूद लेखापरीक्षा में आयकर रिटर्न दाखिल न करने की घटनाएं देखी गईं। सीबीडीटी गैर-फाइलर्स और स्टॉप-फाइलर्स के मामलों की समीक्षा कर सकता है, जबकि ऐसे गैर-फाइलर्स और स्टॉप-फाइलर्स के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित भी कर सकता है।

ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि आयकर विभाग सहकारी समितियों को पैन आवंटित करते समय किए गए अपने नाम और गतिविधि की तुलना में आवेदक की वास्तविक स्थिति की जांच करे। निर्धारितियों द्वारा प्राप्त छूटों की आसानी से पहचान और निगरानी करने के लिए, आयकर विभाग सहकारी समिति के पैन के साथ चौथे अक्षर के रूप में 'ए' को जोड़ने पर विचार कर सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि निर्धारितियों की स्थिति में परिवर्तन की पर्याप्त जांच की जाए।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा (जुलाई 2020) कि स्थायी खाता संख्या (पैन) आयकर विभाग द्वारा आवंटित एक अद्वितीय दस अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। पैन आवंटन के लिए आवेदन आवेदकों से फॉर्म 49ए या 49एए के माध्यम से या एमसीए पोर्टल के माध्यम से भरे गए सामान्य आवेदन पत्र के माध्यम से कंपनियों के मामले में प्राप्त होता है। आवेदक की वास्तविक स्थिति आयकर नियमों, 1962 के नियम 114 में निर्दिष्ट पहचान प्रमाण (पीओआई) के माध्यम से निर्धारित की जाती है। सहकारी समितियों के मामले में आयकर नियमों के नियम 114 के अनुसार आरओसीएस द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति पैन आवंटन के लिए पहचान का प्रमाण है। इसमें

आगे कहा गया है कि किसी विशेष दर्जे वाले सत्व को एक बार पैन आवंटित किए जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि इससे पैन आवंटन के तर्क को नकार दिया जाएगा और डुप्लीकेट पैन की उत्पत्ति होगी। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए के स्पष्टीकरण के अनुसार नई श्रृंखला के तहत स्थायी खाता संख्या (पैन) से तात्पर्य दस अल्फान्यूमेरिक वर्ण वाले पैन हैं। हालांकि, प्रावधान यह निर्दिष्ट नहीं करता कि कौन सा वर्ण किसके लिए है अथवा प्रत्येक वर्ण का अर्थ क्या है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि आयकर अधिनियम यह निर्दिष्ट नहीं करता कि नई श्रृंखला के तहत स्थायी खाता संख्या (पैन) के संबंध में कौन सा वर्ण किसके लिए है अथवा प्रत्येक वर्ण का अर्थ क्या है क्योंकि कार्यालय प्रक्रिया के मैनुअल, खण्ड-11 के पैरा 2.5.1 और पैरा 2.5.2 में सीबीडीटी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि नई श्रृंखला के तहत पैन करदाता (कोर फील्ड) के पांच निरंतर स्थायी मापदंडों पर आधारित है और विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए फोनेटिक साउंडेक्स कोड एल्गोरिदम का उपयोग करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निगमन और स्थिति की तारीख शामिल है। पैन की संरचना के अनुसार पैन के चौथे अक्षर में निर्धारिती की स्थिति दर्शाई गई है। इस प्रकार, एओपी के रूप में मूल्यांकित सत्वों को केवल 'ए' के रूप में चौथे अक्षर के साथ पैन आवंटित किया जाना आवश्यक है। सीबीडीटी ने इस रिपोर्ट के पैरा 3.14(ई) में लेखापरीक्षा सिफारिश के जवाब में यह भी स्पष्ट किया है कि सहकारी समिति को एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के रूप में निर्धारित किया जाए। इसे देखते हुए, सीबीडीटी सहकारी समिति के मामले में चौथे अक्षर के जुड़े पैन के आवंटन के संबंध में लेखापरीक्षा सिफारिश पर पुनर्विचार कर सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारण अधिकारी निर्धारण करने से पूर्व सही स्थिति सुनिश्चित करें तथा निर्धारिती की स्थिति में परिवर्तन यदि कोई हो, तो उसकी पर्याप्त जांच करें।

घ) रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र और सदस्यों के विवरण का प्रत्यक्ष प्रमाण निर्धारण पूरा करने के लिए आवश्यक है। आयकर विभाग निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है और साथ ही आंतरिक नियंत्रण

तंत्र को मजबूत कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा (जुलाई 2020) कि निर्धारण अधिकारी रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के पंजीकरण के संबंध में विवरण और दस्तावेजों तथा सदस्यों के विवरण की जांच करता है। क्योंकि निर्धारण पूरा करने के लिए यह बुनियादी आवश्यकता है। इसमें आगे कहा गया है कि सीएजी द्वारा संज्ञान में ली गई गलतियां आयकर विभाग द्वारा किए गए आकलनों की कुल संख्या की तुलना में संख्या में कम हैं। सीबीडीटी ने सहकारी समितियों के त्रुटि मुक्त निर्धारण को पूरा करने के तरीके को शामिल करते हुए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने पर सहमति व्यक्त की।

लेखापरीक्षा का मत है कि पाए गए मामलों की संख्या जांच किए गए मामलों की संख्या के अनुपात में 51.7 प्रतिशत है जो कि पर्याप्त है।

ड.) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निर्धारण अधिकारियों को यह अनुदेश दे कि वे सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के खातों को तभी स्वीकार करें जब उनकी लेखापरीक्षा पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों द्वारा की गई हो। इसके अलावा, इस नियामकीय आवश्यकता का अनुपालन न करने के मामलों की सूचना संबंधित नियामक प्राधिकरणों (आरओसीएस, आरबीआई आदि) को दी जाए।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सहकारी समितियों के निर्धारण के लिए जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया में लेखापरीक्षा सिफारिश को शामिल करने पर सहमति दी (जुलाई 2020) की।

च) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सिस्टम में कमजोरियों को खत्म करने के उद्देश्य से निर्धारण अभिलेखों के अनुसार डेटा तथा आयकर विभाग के बीच बेमेलता के होने के कारणों की जांच करें। आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा (जुलाई 2020) कि एक तरफ आईटीबीए प्रणाली में दर्ज अनुसार और दूसरी ओर निर्धारण अधिकारी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अनुसार डेटा में अंतर के कई कारण हो सकते हैं। बेमेलता के संभावित कारण मैनुअल रूप से पारित किंतु

प्रणालियों में अपलोड नहीं किए गए निर्धारण के आदेश हैं, सिस्टम में विरासती मांगें अपलोड नहीं की गई हैं, सीपीसी-बेंगलुरु द्वारा अधिनियम की धारा 143(1)(ए) के तहत प्रसंस्करण की डेटा/मांग प्रणाली में उपलब्ध होगी लेकिन निर्धारण अधिकारी आदि द्वारा अनुरक्षित नहीं किया जाता होगा आदि यह भी कहा गया कि आईटीबीए में 'मैनुअल टू सिस्टम' अपलोड करने का आदेश पहले से ही उपलब्ध है और निर्धारण अधिकारी पहले से ही इन आदेशों को अपलोड कर रहे हैं ताकि डेटा/मांगें/प्रतिदाय, यदि कोई हो तो, प्रणाली में उपलब्ध हो। यह कहा गया कि आईटीबीए प्रणाली में विद्यमान डेटा और निर्धारण रिकॉर्ड के अनुसार के बीच बेमेलता को शीघ्र ही निर्धारण अधिकारियों द्वारा कम कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा मत है कि डीजीआईटी (सिस्टम) उनके द्वारा प्रस्तुत आईटीआर से प्राप्त डेटा और निर्धारण अधिकारियों द्वारा किए गए आकलन के माध्यम से निर्धारितियों द्वारा लौटाई गई आय, व्यय, छूटों और कटौतियों के विवरण के बारे में केंद्रीकृत ग्रैनुलर जानकारी रखता है। आदर्श रूप से डीजीआईटी (सिस्टम) और निर्धारण इकाइयों के पास उपलब्ध डेटा के बीच कोई बेमेलता नहीं होनी चाहिए।

छ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उन मामलों में शुरू की गई कार्रवाई की जांच करें जहां सहकारी क्षेत्र में निर्धारितियों द्वारा गलत आईटीआर फॉर्म दायर किए गए थे और यह सुनिश्चित करें कि सीपीसी बेंगलुरु में आईटीआर प्रसंस्करण चरण में ऐसे रिटर्न को अमान्य के रूप से व्यवहारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के रूप में अनुमेय कटौती के दावे, यदि कोई हो, तो उसे अस्वीकृत किया जाए।

अध्याय 3: सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के लिए निर्दिष्ट कर प्रावधानों का अनुपालन

निष्पादन लेखापरीक्षा में अधिनियम के तहत सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन की प्रकृति और सीमा की जांच करने की परिकल्पना की गई है। निर्दिष्ट गतिविधियों में संलग्न सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 80पी के तहत प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट आय पर कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं। अधिनियम की धारा 80पी(2) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट विविध प्रकार की गतिविधियों में संलग्न सहकारी समितियों द्वारा अर्जित आय, जिस पर अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती का दावा स्वीकार्य है। सहकारी समितियों के लिए निर्दिष्ट कटौती के दावे की अनुमति की जांच करते समय निर्धारण अधिकारियों को अधिनियम के तहत निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति की जांच करना अपेक्षित है, जबकि पारस्परिकता⁴⁹ के सिद्धांतों के पालन के आधार पर उनकी पात्रता का निर्धारण भी किया जाता है।

खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के कारण और एक निर्दिष्ट सत्व द्वारा बनाए गए और अनुरक्षित किए गए विशेष रिजर्व के संबंध में बैंकिंग और वित्तीय व्यवसाय में संलग्न सत्वों को कटौती की स्वीकृति अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) द्वारा विनियमित किया जाता है। साथ ही, चीनी निर्माण में लगी सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के तहत गन्ने की खरीद के लिए किए गए खर्च पर कटौती का दावा करने की हकदार हैं। आकलन पूरा करते समय इन कटौतियों के दावों की जांच करने के लिए निर्धारण अधिकारियों की आवश्यकता होती है।


इस अध्याय के पैरा 3.2 से 3.7, 3.11, 3.12 और 3.13 में निर्धारितियों द्वारा किए गए दावों के निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुसार क्रमशः अधिनियम की धारा 80पी, 36(1)(viiए), 36(1)(viii), 36(1)(xvii) के तहत प्रावधानों के अनुपालन की सीमा पर चर्चा की गई है। इन पैरों के बाद ऐसे मामलों की जांच के दौरान पाए गए

49 जहां कई व्यक्ति एक साथ गठबंधन करते हैं और किसी उद्यम या वस्तु के वित्तपोषण के लिए एक साझा निधि में योगदान करते हैं और इस संबंध में किसी बाहरी निकाय के साथ कोई व्यवहार या संबंध नहीं होते हैं, तो उन व्यक्तियों को लौटाए गए किसी भी अधिशेष को लाभ नहीं माना जा सकता है, जो कर के लिए प्रभावी हैं [सीआईटी बनाम बांकीपुर क्लब लिमिटेड 226 आईटीआर पी 97 (एससी)]।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ब्यौरा और उदाहरण दिए गए हैं जो अधिनियम के अंतर्गत सामान्य जांच और लेखापरीक्षा द्वारा किए गए जोखिम आकलन के अनुसार कुछ विशिष्ट जांच के अधीन थे। विशिष्ट जांचों के अधीन मामलों के निर्धारण विवरणों पर इस अध्याय के पैरा 3.8, 3.9 और 3.10 में चर्चा की गई है। सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के आकलन की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा सत्यापन तंत्र पारस्परिकता के सिद्धांतों का पालन करने और आयकर अधिनियम के तहत प्रावधानों में अंतर्निहित शर्तों को पूरा करने में अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य आय अथवा अयोग्य निर्धारितियों पर अस्वीकार्य दावों की अस्वीकृति हुई। सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के लिए निर्दिष्ट उक्त वर्णित प्रावधानों के अननुपालन के मामलों की चर्चा उस अध्याय में की गई है।

3.1 सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के लिए निर्दिष्ट कर प्रावधानों के तहत अनुमति तथा कटौतियों में अनियमितताओं का प्रोफाइल

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए और इस अध्याय में शामिल सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के लिए विशिष्ट कर प्रावधानों के तहत अनुमति और कटौतियों में अनियमितताओं के राज्य/क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे दिए गए चार्ट 3.1 में दर्शाए गए हैं।



लेखापरीक्षा में कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी), व्यक्तियों का संघ(न्यास) (एओपी (ट्रस्ट)), व्यष्टियों का निकाय (बीओआई), फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के संबंध में अनियमितताओं (अनियमितताओं का 22.65 प्रतिशत) के मामले देखे गए। इस प्रकार, जबकि नमूने में इन मामलों का 18.98 प्रतिशत था अतः, इन मामलों के संबंध में अनियमितताएं अधिक अनुपात में थीं। यह उल्लेखनीय है कि एजेपी, बीओआई, कंपनी, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों को सहकारी समितियों के रूप में मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह भी कहा (जुलाई 2020) है कि 'आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन हेतु सहकारी समितियों को व्यक्तियों का संघ माना जाता है।' आयकर विभाग पंजीकृत निर्धारितियों के समान वर्ग के पैन पंजीकरण श्रेणी में एकरूपता सुनिश्चित करने और सहकारी क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा कर अनुपालन की प्रभावी निगरानी को सुगम बनाने के लिए सहकारी समितियां/सहकारी बैंक आयकर विभाग के रूप में आयकर विवरणी दाखिल करने वाले निर्धारितियों की पैन पंजीकरण स्थिति की समीक्षा कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितताओं का धारा-वार विवरण नीचे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.1: सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों पर लागू विशिष्ट धाराओं के तहत अनुमति तथा कटौतियों में अनियमितताएं

आयकर अधिनियम की धारा जिसके तहत लेखा परीक्षा में पाई गई कटौती की अनुमति में अनियमितताएं	लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	कर प्रभाव (राशि ₹ करोड़ में)
36(1)(viiए)	118	375.20
36(1)(viii)	8	14.01
36(1)(xvii)	19	107.75
80पी(2)(ए)(i)	115	49.82
80पी(2)(ए)(ii)	1	0.08
80पी(2)(ए)(iv)	11	1.16
80पी(2)(ए)(vi)	2	0.13
80पी(2)(ए)(vii)	3	0.58
80पी(2)(डी)	367	145.64
80पी(2)(ई)	5	0.12
कुल योग	649	694.50

दावों और कटौतियों के निर्धारण में अनियमितताओं के 649 मामलों में से सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों के लिए विशिष्ट कर प्रावधानों के तहत, अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी), 80(2)(ए)(आई) और 36(1)(viiए) के तहत क्रमशः 56.6 प्रतिशत, 18.2 प्रतिशत और 17.7 प्रतिशत पर अनुमत कटौती में अपेक्षाकृत अधिक त्रुटियां थी। इसने इन धाराओं के संबंध में अनुपालन न होने का अधिक जोखिम दर्शाया। आयकर विभाग केवल पात्र निर्धारितियों और वास्तविक दावों पर योग्य निर्धारितियों को लाभ की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के इन प्रावधानों पर अधिक जोर देने के साथ निर्धारण में ऐसी अनियमितताओं के कारणों की समीक्षा कर सकता है।

सहकारी समितियों/ सहकारी बैंकों के निर्धारण के कार्यकलाप-वार विवरणों से देखा जाए तो लेखापरीक्षा में बैंकिंग, ऋण और वित्तीय सेवाओं में लगे निर्धारितियों के आकलन में 68.7 प्रतिशत अनियमितताएं देखी गई हैं। इसके बाद व्यापार, आवास, चीनी निर्माण और डेयरी व्यवसाय में लगी सहकारी समितियों में क्रमशः 6.0 प्रतिशत, 5.4 प्रतिशत, 5.4 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत अनियमितताएं थी। आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80पी और 36(1)(viiए) के तहत कटौती की अनुमति देने में अंतर्निहित अनियमितताओं के कारणों की समीक्षा कर सकता है। अधिनियम के तहत कटौती की सही अनुमति सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग, ऋण और वित्तीय सेवा क्षेत्रों पर अधिक जोर दे सकता है।

649 मामलों जहां लेखापरीक्षा ने कटौती की अनुमति में गलतियां देखी, में से 86.4 प्रतिशत मामलों (561) का निर्धारण संवीक्षा अर्थात् अधिनियम की धारा 143(3) के तहत किया गया था। 561 संवीक्षा निर्धारण मामलों में से 380 मामलों में संवीक्षा पूरी हो गई थी, 92 में यह सीमित थी, तीन मामलों में यह मैनुअल थी जबकि शेष 86 मामलों में संवीक्षा के प्रकार के ब्यौरे सुनिश्चित करने योग्य नहीं थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिन 453 मामलों में चयन के लिए मापदंडों का ब्यौरा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध था, उनमें अधिनियम की धारा 80पी के तहत क्रमशः ₹ 794.42 करोड़ और ₹ 760 करोड़ की कटौती के दावे और अनुमति से जुड़े 274 मामलों में जांच के लिए मामले के चयन के मापदंड "अध्याय VI-ए के तहत दावा की अधिक कटौती" के कारण थे जिसमें अधिनियम की धारा 80पी भी शामिल है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने कई जोखिम मापदंडों के आधार पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा विस्तृत जांच के अधीन किए जाने के बावजूद अन्य

अनियमितताएं पाई। गलत निर्धारण के ये मामलें निर्धारण के दौरान आय की पात्रता तथा दावों की स्वीकार्यता की जांच के अपर्याप्त स्तर को दर्शाते हैं।

आयकर विभाग सहकारी समिति के व्यवसाय या व्यापार कोड की गतिविधि वर्गीकरण या प्रकृति और अधिनियम की उप-धारा 80पी के साथ निर्धारिती की स्थिति कोड जिसके तहत कटौती का आयकर रिटर्न भरने के चरण में निर्धारिती द्वारा दावा किया जाता है, को जोड़ने पर विचार कर सकता है। अधिनियम की 80पी उप-धारा के साथ गतिविधि कोड और स्थिति कोड को जोड़ने से दावों की प्रभावी निगरानी को सुगम बनाने के अलावा सहकारी क्षेत्र में कटौती के प्रभाव का आकलन योग्य निर्धारितियों की कटौती की अनुमति सुनिश्चित करने अयोग्य दावों की संभावना को कम करने के लिए आयकर भी किया जा सकता। इसके अलावा, केवल योग्य निर्धारितियों को दावों की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों को स्वीकार्य कटौती का दावा करने वाले के पैन पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा कर सकता है।

3.2 अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत सहकारी समितियों के लिए कटौती

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने से बैंकिंग व्यवसाय से आय या आय पर कटौती का प्रावधान करती है। अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने वाली सहकारी समिति के मामले में, ऐसे व्यवसाय से लाभ और अर्जन की पूर्ण राशि घटाई जाती है। निर्धारण वर्ष 2007-08 के बाद से, अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती किसी भी सहकारी बैंक के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट⁵⁰ किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं हैं। एक प्राथमिक कृषि ऋण समाज (पीएसीएस) या एक प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती के लाभ का दावा करने के लिए जारी रहेगा। अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती के दावे के उद्देश्य से ऋण सुविधाओं और सदस्यों शब्द का अर्थ कई मुकदमों के अधीन किया गया है।

3.2.1 लेखापरीक्षा ने सहकारी ऋण समितियों को स्वीकार्य अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती के दावों के 1721 मामलों⁵¹ की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या उस आय, जिस पर कटौती का

50 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड परिपत्र संख्या 6/2010, दिनांक 20 सितंबर, 2010

51 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और गोवा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एनडब्ल्यूआर (चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब), ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

दावा किया गया है, का आकलन सही ढंग से और समान रूप से निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

क. ऑडिट में पाया गया कि ₹ 7,038.39 करोड़ की कटौती के दावे से जुड़े 1,721 मामलों में 1,507 मामले (87.56 प्रतिशत) में निर्धारिती अपने सदस्यों के लिए बैंकिंग व्यवसाय करने पर हुई आय पर ₹ 5,550.62 करोड़ की कटौती का दावा करने या अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत निर्दिष्ट अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के योग्य थे जबकि अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत ₹ 1,461.74 करोड़ की कटौती के दावे वाले 192 मामलों (11.16 प्रतिशत) में निर्धारिती इसके लिए पात्र नहीं थे। शेष 22 मामलों (1.28 प्रतिशत) में अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत स्वीकृत दावों की पात्रता का पता उपलब्ध अभिलेखों से नहीं लगाया जा सकता है।

तालिका 3.2: अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती के दावे

अधिनियम की धारा 80 पी(2)(ए)(i) के तहत किए गए दावों की पात्रता	उन मामलों की संख्या जहां अधिनियम की धारा 80 पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती का दावा किया गया है	अधिनियम की धारा 80 पी(2)(ए)(i) के तहत दावा की गई कटौती की राशि (₹ करोड़ में)
पात्र	1507	5550.62
अपात्र	192	1461.74
सुनिश्चित नहीं	22	26.03
कुल	1721	7038.39

ख. लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,721 मामलों में से 1,356 मामलों (78.79 प्रतिशत) में सहकारी समितियों का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को ऋण और ऋण सुविधाएं प्रदान करना था जबकि 91 मामलों⁵² में (5.29 प्रतिशत) सदस्यों को ऋण और ऋण सुविधाएं प्रदान करना प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। 1,356 मामलों में से, 83 मामलों में, हालांकि सहकारी समितियों ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत ₹ 83.81 करोड़ की कटौती का दावा किया था, वे अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं नहीं दे रहे थे। इन 83 मामलों में

52 शेष 278 मामलों (16.19 प्रतिशत) में ₹ 857.22 करोड़ की कटौती के दावे से जुड़े यह रिकॉर्ड से पता नहीं लगाया जा सकता था कि निर्धारिती का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को ऋण और ऋण सुविधाएं प्रदान करना था या नहीं।

से 74 मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 79.76 करोड़ की कटौती की अनुमति देते हुए अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने की जांच नहीं की थी।

3.2.2 इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा में जांच किए गए मामलों में से 12⁵³ राज्यों/क्षेत्रों में 115 मामले⁵⁴ (1,721 मामलों का 6.7 प्रतिशत) देखे जहां निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत सहकारी गलत तरीके से कटौती की अनुमति दी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 119.98 करोड़ की आय का कम निर्धारण और ₹ 49.82 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

115 मामलों में, जहां लेखापरीक्षा ने कटौती की अनुमति में गलतियां पाई, 93 प्रतिशत मामलों (अर्थात् 107 मामले) को अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारित किया गया था। 95 मामलों, जहां संवीक्षा के प्रकार के बारे में सूचना उपलब्ध थी, में से 69 मामलों में संवीक्षा पूर्ण हुई और 26 मामलों में य संवीक्षा सीमित थी। यद्यपि अधिनियम की धारा 80पी के तहत दावा की गई अधिक कटौती के जोखिम मापदंड के आधार पर जांच के लिए मामलों का चयन किया गया था, तथापि लेखा परीक्षा में अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती की गलत अनुमति से जुड़ी गलतियां देखी गईं। गलत निर्धारण के ये मामलें आय की पात्रता की अपर्याप्त जांच और निर्धारण के दौरान दावों की स्वीकार्यता की ओर इशारा करते हैं।

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती की अनियमित अनुमति सहकारी समिति के गैर-सदस्यों से अर्जित ब्याज, प्राथमिक सदस्यों के अलावा नाममात्र के सदस्यों से अर्जित ब्याज, सेवा शुल्क से आय, कमीशन से अर्जित आय और विविध शुल्क से अर्जित आय आदि के कारण थी। दो मामलों की नीचे व्याख्या की गई है:

53 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल।

54 लेखा परीक्षा आपत्तियों में जेनेरिक जांच के अधीन मामलों के संबंध में लेखा परीक्षा में पाई गई अनियमितताएं और (जैसा कि पैरा 3.1.1 में चर्चा की गई है) और विशिष्ट जांचों के अधीन (जैसा कि इस अध्याय के पैरा 3.8 और पैरा 3.10 में चर्चा की गई है) शामिल हैं।

बॉक्स 3.1

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के तहत कटौती की गलत अनुमति का चित्रण

क) प्रभार: पीसीआईटी-कोझीकोड

निर्धारण वर्ष: 2016-17

निर्धारिती एक पीएसीएस ने शून्य आय के साथ अक्टूबर 2016 में अपनी आईटीआर दायर किया। शून्य आय पर दिसंबर 2018 में निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नि.व. 2015-16 के लिए निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण पारस्परिकता के सिद्धांत की कमी के आधार पर और विभिन्न व्यय पर प्रावधानों की अनुमति न होने पर अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती को अस्वीकृत करते हुए दिसम्बर 2017 में पारित किया गया था। किंतु, अधिनियम की धारा 80पी के तहत नि.व. 2016-17 के लिए आदेश पारित करते समय इसे अस्वीकार नहीं किया गया था। दो निर्धारण वर्षों के दौरान कोई समान मत नहीं लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.54 करोड़ के कर प्रभाव सहित अधिनियम की धारा 80पी के तहत ₹ 10.86 करोड़ की कटौती की अनियमित स्वीकृति हुई थी। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।

ख) प्रभार: पीसीआईटी-कटक

निर्धारण वर्ष: 2015-16

निर्धारिती एक सहकारी बैंक है और बैंकिंग कार्यकलापों से अपनी आय प्राप्त करता है। अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत सारांश प्रसंस्करण दिसंबर 2015 में शून्य आय के साथ पारित किया गया था। लेकिन, आईटीआर-5 की संवीक्षा से पता चला है कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत ₹ 5.97 करोड़ की कटौती का दावा किया था। 01.04.2007 से प्रभावी अधिनियम की धारा 80पी के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सहकारी बैंकों को अधिनियम की धारा 80पी के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत ₹ 5.97 करोड़ की कटौती का अनियमित भत्ता मिला था जिसमें ₹ 2.23 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने लेखपरीक्षा आपत्ति (जुलाई 2019) को स्वीकार किया और कहा कि उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

3.2.3 पारस्परिकता के सिद्धांतों का पालन नहीं करना

पारस्परिकता के सिद्धांतों को, यद्यपि अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है, कई न्यायिक फैसलों⁵⁵ में दोहराया गया है।

97वें संविधान संशोधन (2011) में स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य की आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कार्य-प्रणाली के सिद्धांतों पर सहकारी समितियों के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने के लिए राज्य नियामक अधिनियमों को अनिवार्य किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न अवसरों⁵⁶ पर पारस्परिकता के सिद्धांत की कसौटी पर खरा बनने के लिए इन शर्तों को पूरा करने की बात दोहराई है। इस प्रकार, कानून और न्यायिक घोषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि सहयोगी सदस्यों और नाममात्र के सदस्यों को दिए गए क्रेडिट सहकारी सिद्धांतों को पूरा नहीं करते हैं और इसलिए वे पारस्परिकता के सिद्धांत को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के अंतर्गत कटौती नाममात्र और सहयोगी सदस्यों को छोड़कर नियमित सदस्यों तक सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा, यदि कोई समिति कुछ कार्यकलाप पारस्परिकता के आधार पर करती है और अन्य कार्यकलाप पारस्परिकता पर आधारित नहीं होते हैं, तो यह सिद्धांत केवल उन कार्यकलापों पर लागू होगा, जो पारस्परिक हैं।

लेखापरीक्षा में सहयोगी सदस्य के रूप में सदस्यों को स्वीकार करने के लिए विनियामक अधिनियमों में निर्धारित सीमा के साथ-साथ उपरोक्त निर्णयों के आलोक में कर्नाटक में ऋण सहकारी समितियों के 412 मामलों की जांच की गई। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 83 मामलों में, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है, निर्धारण अधिकारियों ने पारस्परिकता की कसौटी पर अधीन किए बिना, अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी थी, जिससे ₹ 20.95 करोड़ कम उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 80पी के तहत ₹ 34.67 करोड़ की कटौती अनुमति करने के समान 35 मामले, जहां पारस्परिकता के परीक्षण लागू नहीं किए गए थे, विभिन्न

55 आयकर आयुक्त, बिहार वी बांकीपुर क्लब लिमिटेड, (1997) 226 आईटीआर 97 (एससी); बेंगलोर क्लब v. आयकर आयुक्त और एक अन्य, (2013) 350 आईटीआर 509 (एससी); सिटीजन को-ऑपरेटिव सोसायटी बनाम एसीआईटी (2017) 397 आईटीआर 1 (एससी) ।

56 आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम कुंभकोणम म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड ने 07 मई 1964 53 आईटीआर 241 (एससी) पर फैसला किया; भारतीय चाय बागान मालिकों एसोसिएशन बनाम सीआईटी 82 आईटीआर, पी.322(कोलकाता.); बेंगलोर क्लब बनाम आयकर आयुक्त (सुप्रीम कोर्ट), सिविल अपील नंबर 125 2007, दिनांक - 14 जनवरी, 2013; सिटीजन को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड वी एसीआईटी (2017) 397 आईटीआर 1 (एससी) ।

अपीलीय प्राधिकरणों के पास लंबित हैं। ऋण सहकारी समितियों के संबंध में निर्धारण में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

- क. लेखापरीक्षा में देखा गया कि 31 मामलों (24 विशिष्ट निर्धारितियों) में, निर्धारितियों ने नियामक अधिनियमों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नाममात्र और सहयोगी सदस्यों को दिए गए क्रेडिट से आय के लिए अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के अंतर्गत कटौती का दावा किया है, जिसकी अनुमति आकलन अधिकारियों द्वारा दी गई है। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी या तो पारस्परिकता के सिद्धांत की पूर्णता की जांच नहीं कर रहे थे या कानून और न्यायिक घोषणाओं का उल्लंघन करते हुए नाममात्र और सहयोगी सदस्यों को नियमित सदस्यों के समकक्ष व्यवहार जारी रखे हुए थे।
- ख. लेखापरीक्षा में देखा गया कि ऋण सहकारी समितियों के 81 मामलों (61 विशिष्ट निर्धारणकर्ताओं) में सदस्यों के साथ-साथ अन्य लोगों को ऋण देने के लिए, निर्धारण अधिकारियों ने उन्हें सहकारी बैंकों के साथ ऋण व्यवसाय में होने के रूप में बराबर कर दिया था और अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के अंतर्गत दावा की गई कटौती को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया था, बजाय बाहरी ऋण से संबंधित भाग से अप्राप्य को सीमित करने के। इनमें से उनतीस मामले विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित हैं।
- ग. निर्धारण अधिकारियों के बीच इस मुद्दे को लेकर स्पष्टता की कमी प्रतीत होती है कि क्या कर्नाटक सौहार्द सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समितियां आरओसीएस द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और आईटीएटी⁵⁷ के फैसलों के बावजूद अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं, कि कर्नाटक सौहार्द सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां भी कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं। इस प्रकार, आयकर विभाग ने ऐसे मामलों में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती को अस्वीकार करना जारी रखा। कर्नाटक सौहार्दसहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत क्रेडिट समितियों के छह मामलों में अधिनियम की धारा 80पी के तहत ₹ 12.41 करोड़ की कटौती की अस्वीकृति गलत थी और मामले अपीलीय अधिकारियों के पास लंबित थे।

57 उदयसौहरदा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड बनाम सीआईटी (आईटीए नंबर 2831/बेंग/2017, अगस्त 2018) [आईटीएटी बेंगलोर]

3.3 अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(iv) के अंतर्गत सहकारी समितियों को कटौती

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(iv) के अंतर्गत एक सहकारी समिति अपने सदस्यों को आपूर्ति करने के प्रयोजनों के लिए कृषि उपकरणों, बीज, पशुधन या कृषि के लिए अभिप्रागत अन्य वस्तुओं की खरीद से पूरी आय में कटौती के लिए पात्र है।

3.3.1 लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(iv) के तहत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों की पात्रता निश्चित करने के लिए 79 मामलों⁵⁸ की जांच की।

लेखापरीक्षा ने दो⁵⁹ राज्यों में जांचे गये 79 मामलों में से 11 मामले ऐसे पाए जहां निर्धारण अधिकारियों ने कृषि उपकरणों के वितरण के स्थान पर खुदरा व्यापार से अर्जित लाभ के लिए कटौती अनुमति की। इसके परिणामतः ₹ 2.79 करोड़ की आय का निर्धारण हुआ और ₹ 1.16 करोड़ का कर कम उद्ग्रहित हुआ।

3.4 अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत सहकारी समितियों की कटौती

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत इसके सदस्यों के श्रम के सामूहिक निपटान के कार्यकलापों से आय घटाई जाती है। यह धारा मुख्य रूप से श्रम सहकारी समितियों के लिए बनायी गयी है। इन समितियों में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो इसके माध्यम से श्रम के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रम मैनुअल या कुछ तकनीकी या इसी तरह की अन्य सेवाएं हो सकती हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले⁶⁰ के अनुसार अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत अपने सदस्यों के श्रमिकों के सामूहिक निपटान की गतिविधि से आय घटाई जाती है।

3.4.1 लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 41 मामलों की जांच की।

क. लेखा परीक्षा ने पाया कि 38 मामलों⁶¹ में अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत अपने सदस्यों के वास्तविक श्रम के उपयोग

58 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

59 गोवा, कर्नाटक

60 नीलगिरी इंजीनियरिंग को-ऑप सोसायटी लिमिटेड वी सीआईटी [1994] 208 आईटीआर 326 (उड़ीसा)

61 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

के माध्यम से श्रम के सामूहिक निपटान से ₹ 56.71 करोड़ की आय पर ₹ 6.48 करोड़ की कटौती का दावा किया गया था। इन 38 मामलों में से 28 मामलों⁶² में निर्धारण अधिकारियों ने अपने सदस्यों के वास्तविक श्रम के उपयोग के माध्यम से श्रम के सामूहिक निपटान से अर्जित आय पर अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के तहत ₹ 6.48 करोड़ की कटौती के पूरे दावे की अनुमति दी थी। एक मामले⁶³ में कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 0.63 करोड़ के कुल दावे में से ₹ 0.20 करोड़ की कटौती के दावे को आंशिक रूप से अनुमत किया था। आठ मामलों⁶⁴ में कर निर्धारण अधिकारियों ने अपने सदस्यों के वास्तविक श्रम के उपयोग के माध्यम से श्रम के सामूहिक निपटान से होने वाली आय पर अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के तहत दावा किए गए ₹ 6.66 करोड़ की कटौती के पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया था।

ख. लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2 मामलों⁶⁵ में वैतनिक कर्मचारियों द्वारा फील्ड में कार्य का पर्यवेक्षण किया गया था, उन मामलों में श्रम के सामूहिक निपटान के कार्यकलाप से ₹ 1.04 करोड़ की अधिनियम आय की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत कटौती का दावा किया गया था, निर्धारण अधिकारी ने एक मामले में ₹ 0.65 करोड़ की कटौती अनुमत की थी जबकि दूसरे मामले में अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के तहत ₹ 0.39 करोड़ की कटौती के पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया गया था।

ग. लेखापरीक्षा में एक ऐसा मामला⁶⁶ पाया गया जिसमें अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत दावा किए गए ₹0.46 लाख की कटौती को उन मामलों में श्रम के सामूहिक निपटान के कार्यकलाप से होने वाली आय पर अननुमत किया गया जहां न केवल सदस्य बल्कि बड़ी संख्या में गैर-सदस्य भी श्रम के सामूहिक निपटान में योगदान दे रहे थे।

निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत कटौती के दावे की पात्रता का निर्धारण करते समय अंतरपूर्ण रुख अपनाया,

62 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

63 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र

64 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु

65 ओडिशा

66 पश्चिम बंगाल

जैसे कि इसके सदस्यों के वास्तविक श्रम के उपयोग के माध्यम से श्रम के सामूहिक निपटान से अर्जित आय और उन मामलों में श्रम के सामूहिक निपटान की गतिविधि से आय जहां वैतनिक कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में कार्य का पर्यवेक्षण किया गया था। ऐसी आय पर दावों की अनुमति की जांच किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसी प्रकार के मामलों में निर्धारण की एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

3.4.2 इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने कर्नाटक में जांचे गये 41 मामलों में से दो मामले देखे जिनमें निर्धारण अधिकारियों ने अपने सदस्यों के श्रम के सामूहिक निपटान के लिए गलत तरीके से कटौती को अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.34 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 0.13 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एक मामला नीचे सोदाहरण दिया गया है।

बॉक्स 3.2

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत कटौती के गलत अनुमतिकरण के सोदाहरण मामले

प्रभार: पीसीआईटी-4, बंगलुरु

नि.व.: 2015-16

यह पाया गया कि सदस्यता में 595 नियमित सदस्य (रक्षा कर्मी और पूर्व सैनिक या उनके पति या पत्नी), 223 सहयोगी सदस्य (ऊपर के रूप में एक ही बिरादरी से लेकिन कर्नाटक के बाहर निवासी) और 275 नाममात्र के सदस्य (कोई व्यक्ति या संगठन जो समाज के साथ व्यापारिक व्यवहार करने का इरादा रखता है) शामिल थे। तीनों श्रेणियों के कुछ ही सदस्यों को सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात किया गया था। इस प्रकार, अधिनियम द्वारा परिकल्पित श्रम के सामूहिक निपटान के प्रति केवल सीमित संख्या में सदस्य श्रम में योगदान दे रहे थे और निर्धारित अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अंतर्गत कटौती का दावा करने का पात्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.19 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 0.08 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

3.5 अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत सहकारी समितियों को कटौती

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) यह परिकल्पना करती है कि एक निर्धारित की मामले में, एक सहकारी समिति होने के नाते, जहां सकल कुल आय मछली पकड़ने या संबद्ध कार्यकलापों से कोई भी आय शामिल है (पकड़ने, इलाज, प्रसंस्करण, मछली के संरक्षण, भंडारण या मछली के विपणन या उसके संबंध में सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए उन्हें अपने सदस्यों को आपूर्ति के उद्देश्य के लिए) लाभ और व्यापार के लाभ की राशि की पूरी कटौती की जाएगी, बशर्ते समाज के नियम और उपनियम उन व्यक्तियों को मताधिकार सीमित करें जो मछली पकड़ने या संबद्ध कार्यकलापों को जारी रखते हैं।

3.5.1 लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 12 मामलों⁶⁷ की जांच की।

क. मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों के लिए सामग्री और उपकरणों की खरीद: लेखा परीक्षा में पाया गया कि 12 मामलों⁶⁸ में ₹ 9.47 करोड़ की कटौती को अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत किए गए दावे के आधार पर निर्धारण सहकारी समितियों द्वारा मछली पकड़ने और संबद्ध कार्यकलापों से अर्जित ₹ 15.16 करोड़ की आय पर अनुमत किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन मामलों⁶⁹, जिनमें मछली पकड़ने और संबद्ध कार्यकलापों के लिए सामग्री और उपकरण की खरीद हेतु ₹ 5.33 करोड़ की कटौती के दावे शामिल थे, में इसके सदस्यों को आपूर्ति की गई जबकि चार मामलों⁷⁰ जिनमें ₹ 1.88 करोड़ की कटौती शामिल थी, वहां खरीद उसके सदस्यों को आपूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है। तीन मामलों⁷¹ जिनमें ₹ 6.56 करोड़ के दावे शामिल थे, उनमें लेखा बहियों के अनुसार सदस्यों की बिक्री हेतु कोई खरीद नहीं की गई थी। ₹ 1.39 करोड़ के दावे वाले शेष दो मामलों⁷² में उपलब्ध अभिलेखों से मतस्य कार्यकलापों के लिए की गई खरीद के विवरण का पता नहीं लगाया जा सका है।

67 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल

68 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल

69 गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक।

70 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल।

71 दिल्ली

72 कर्नाटक

तालिका 3.3: अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत कटौती का दावा

(₹ करोड़ में)

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत कटौती का दावा			अपने सदस्यों को आपूर्ति के लिए बनाए गए सामान और उपकरण की खरीद (मछली पकड़ने और अनुषंगी गतिविधियों के लिए)		अपने सदस्यों की आपूर्ति के लिए खरीदारी नहीं की गई		
मामलों की सं.	दावा की गई कटौती की राशि	अनुमत की गई कटौती की राशि	मामलों की सं.	दावा की गई कटौती की राशि	मामलों की सं.	दावा की गई कटौती की राशि	अनुमत की गई कटौती की राशि
12	15.16	9.47	3	5.33	4	1.88	1.32

ख. मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों से आय पर कटौती की अनुमति:

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 12 मामलों में से 06 मामलों⁷³ में फिशिंग और अनुषंगी गतिविधियों से आय पर अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत ₹ 7.54 करोड़ की कटौती के संपूर्ण दावे को अनुमत किया गया। इनमें से, ₹ 4.84 करोड़ की कटौती के दावे वाले दो मामलों में सामग्री और उपकरण (मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों के लिए) की खरीद उसके सदस्यों को आपूर्ति के लिए की गई थी, दो मामलों में ₹ 1.31 करोड़ की कटौती की अनियमित अनुमति दी गई थी (जैसा की पैरा 3.5.2 में चर्चा की गई है) जहां खरीद, सदस्यों को आपूर्ति के लिए नहीं थी, जबकि बाकी दो मामलों में ₹ 1.39 करोड़ की कटौती का दावा शामिल है जिसे सुनिश्चित नहीं किया जा सका। 12 में से 5 मामलों में, ₹ 7.22 करोड़ के कुल दावे के प्रति ₹ 1.97 करोड़ की कटौती के दावे को अंशतः अनुमति दी गई थी जबकि एक मामले में ₹ 0.44 करोड़ का संपूर्ण दावा अननुमत किया गया था क्योंकि कटौती का दावा आयोग्य आय अर्थात् बायो-डीजल की बिक्री से आय पर किया गया था।

ग. सदस्यों के मताधिकार: अधिनियम की धारा 80पी की उपधारा (vii) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि समितियों के लिए कटौती इस शर्त पर उपलब्ध होगी कि समिति के नियम और उप-नियम मताधिकार को

73 गुजरात और कर्नाटक

उसके सदस्यों के विशिष्ट वर्गों तक सीमित करेंगे। अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत कटौती के दावे में शामिल 12 मामलों में से, ₹ 1.92 करोड़ की कटौती के दावे के चार मामलों⁷⁴ में मताधिकार उसके सदस्यों के निम्नलिखित वर्गों तक सीमित थे अर्थात् वे व्यक्ति जो मछली पकड़ने और अनुषंगी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे, सहकारी ऋण समितियां जो समिति और राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कर रही थी। ₹ 1.44 करोड़ के दावे वाले मताधिकार सदस्यों तक सीमित नहीं थे जबकि शेष पांच मामलों में सहकारी समितियों में मताधिकारों का आबंटन अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.5.2 कर्नाटक (प्र. सीआईटी, मैंगलोर) में तीन मामलों में, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत कटौती मछुआरा सहकारी समितियों तक विस्तारित थी यद्यपि समितियों ने मताधिकारों को मछली पकड़ने और अनुषंगी गतिविधियों को करने वाले व्यक्तियों तक सीमित नहीं किया था। इस गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 0.58 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

बॉक्स 3.3

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्र.सीआईटी, मैंगलौर

नि.व. : 2015-16

जुलाई 2017 के दौरान रिटर्न आय को स्वीकारते हुए निर्धारित सहकारी समिति के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया गया था, जबकि ₹ 0.96 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई।

समिति के उप-नियमों में तीन वर्गों के सदस्यों के लिए प्रावधान किया गया है जो निम्न हैं:

सदस्यों की श्रेणी	योग्यता मानदंड	शेयर पूंजी	अधिकार
क वर्ग	जाल डालने व मछली पकड़ने की नौका के मालिक व सहयोगी	500	सभी अधिकार

74 दिल्ली (3) और कर्नाटक (1)

ख वर्ग	राज्य सरकार	1000	
ग वर्ग	मछली पकड़ने में संलग्न व्यक्ति और समिति के साथ परिचालित व्यक्ति	100	डिपोजिट करने और ऋण प्राप्त करने के अलावा उन्हें कोई अन्य अधिकार नहीं हैं।

इस प्रकार, वैयक्तिक मछुआरों को 'ग' वर्ग सदस्य के रूप में बिना मताधिकार के शामिल किया गया और मताधिकार केवल 'क' वर्ग में शामिल सदस्यों तक सीमित है। अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अधीन परंतुक के अनुसार कटौती सहकारी समिति के लिए अनुमति योग्य है बशर्ते समिति के नियम और उप-नियम के मताधिकार को सदस्यों तक सीमित करते हैं। चूंकि अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vii) के अंतर्गत शर्त पूरी नहीं की गई, ₹ 0.96 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 0.39 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2020)।

3.6 अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत सहकारी समितियों की कटौती

सहकारी समिति द्वारा किसी अन्य सहकारी समिति में अपने निवेशों से प्राप्त संपूर्ण ब्याज और लाभांश अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती योग्य है। इस खंड के प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं और शर्तें स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। हालांकि 'संपूर्ण ब्याज और लाभांश' शब्द मुकद्दमेबाजी का विषय रहा है। इस मामले पर निर्णय इंगित करते हैं कि कटौती निवर्तमान को समायोजित किए बिना संपूर्ण आय के लिए है।

3.6.1 लेखापरीक्षा में अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए 553 मामलों की जांच की।

क. लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 14 राज्यों/क्षेत्रों⁷⁵ में 553 मामलों में ₹ 455.63 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई, जो कि अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत सहकारी बैंकों में निवेश से ब्याज के आधार पर ₹ 655.48 करोड़ की आय के दावों के आधार पर की गई थी।

75 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

ख. 553 मामलों में से, 126 मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने सहकारी बैंको में निवेश से प्राप्त ₹ 150.31 करोड़ की ब्याज आय पर कटौती के संपूर्ण दावे को खारिज कर दिया था। 347 मामलों में ₹ 366.15 करोड़ के संपूर्ण दावे को अनुमति दी गई थी जबकि 79 मामलों में ₹ 136.47 करोड़ के दावे के प्रति ₹ 86.93 करोड़ की आशिक अनुमति दी गई थी। अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती के दावे को अननुमत करते समय निर्धारण अधिकारियों ने न्यायिक निर्णयों⁷⁶ के अनुसार निर्णय पर भरोसा रखा था। अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) में शामिल अन्य बातों के साथ-साथ अननुमति का कारण जो प्राथमिक कृषि ऋण समाज के अलावा अन्य सहकारी बैंको और ग्रामीण विकास बैंको पर लागू नहीं है, अन्य सहकारी समितियों के साथ अधिशेष धन में निवेश से अर्जित ब्याज आय अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती के दावे के योग्य नहीं थी, सहकारी बैंको से ब्याज आय, लाभ और हानि लेखाओं और अन्य निर्धारण अभिलेखों में नहीं दिखाई गई थी, नाबार्ड बांड्स आदि पर प्राप्त ब्याज पर कटौती का दावा किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह पाया गया कि आठ मामलों⁷⁷ में ₹ 1.97 करोड़ के दावे की अननुमति को हटा दिया गया था और निर्धारितियों को अपील के विभिन्न चरणों में आईटीएटी पर या सीआईटी (अपील) द्वारा कटौती दावे की अनुमति दी गई थी।

3.6.2 निर्धारण अधिकारियों द्वारा लिया गया पृथक निर्णय: लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों सहकारी बैंकों में अपने निवेशों से सहकारी समितियों द्वारा अर्जित ब्याज आय के प्रतिपादन के संबंध में अलग-अलग निर्णय ले रहे थे। कर्नाटक में, 49 मामलों में, सहकारी समितियों ने अर्जित ब्याज की घोषणा अन्य स्रोतों से आय के रूप में की, जबकि 50 मामलों में, निर्धारितियों ने उन्हें व्यावसायिक आय के रूप में माना है, जिन्हें निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनुमति दी गई थी। महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती की अनुमति देते हुए 6 मामलों (3 निर्धारितियों) में अलग-अलग निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.72 करोड़ का कर प्रभाव था। दो निर्धारितियों के

76 प्र. सीआईटी, हुबली बनाम टोटागढ़ सहकारी बिक्री समिति [83 टेक्समेन. कॉम 140 (कर्नाटक उच्च न्यायालय, 2017), एसबीआई कर्मचारी सहकारी जमा और पूर्ति समिति लिमिटेड बनाम सीआईटी अहमदाबाद-1[57 टेक्समेन. कॉम 367 (आईटीएटी अहमदाबाद, 2015)] और गुजरात स्टेट सहकारी बैंक लिमिटेड [250 आईटीआर 229 (गुजरात उच्च न्यायालय, 2000)]

77 गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

मामलें में, सहकारी बैंको से अर्जित ब्याज रूपी आय को अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के तहत एक नि.व. में कटौती की अनुमति दी गई थी हालांकि किसी अन्य नि.व. में उसी कटौती को अस्वीकार कर दिया गया था जिसमें सहकारी बैंको में निवेश से अर्जित आय का निर्धारण शीर्ष “अन्य स्रोत से आय” के तहत किया गया था। साथ ही, सहकारी बैंको से अर्जित आय को अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के तहत एक नि.व. में कटौती की अनुमति दी गई थी जबकि गैर-सदस्यों से जमा प्राप्त के लिए अधिनियम की धारा 263 के तहत आदेश द्वारा कटौती को किसी अन्य नि.व. में अस्वीकार कर दिया गया था। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

बॉक्स 3.4

निर्धारण अधिकारियों द्वारा लिए गए पृथक निर्णय का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्र. सीआईटी-20 मुम्बई

नि.व.: 2013-14

नि.व. 2013-14 के लिए फरवरी 2016 में अधिनियम की धारा 80(2)(डी) के तहत सहकारी बैंकों में निवेश से अर्जित ₹ 1.58 करोड़ के ब्याज के आधार पर कटौती की अनुमति के बाद अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया गया। निर्धारिती सहकारी समिति ने अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने आर गैर-सदस्यों से जमा सवीकार करके अपनी आय प्राप्त की। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निर्धारिती को गैर-सदस्यों से जमा प्राप्त के लिए अधिनियम (मार्च 2019) की धारा 263 के अंतर्गत आदेश द्वारा नि.व. 2014-15 में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती से इन्कार किया गया था। मामलों के तथ्य समान होने के कारण, नि.व. 2013-14 के दौरान भी किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 0.49 करोड़ का कर प्रभाव हुआ। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।

3.6.3 लेखापरीक्षा ने जांच किए गए मामलों में से 12 राज्यों⁷⁸ में 367 मामलें⁷⁹ देखें जहां निर्धारण अधिकारियों ने सहकारी समितियों द्वारा अर्जित

78 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका और गोवा, केरला, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल।

79 इन आपत्तियों में लेखापरीक्षा के नमूने (जैसा कि पैरा 3.6.1 में चर्चा की गई है) की सामान्य जांच के साथ-साथ इस अध्याय के पैरा 3.8 और 3.10 में चर्चा किए गए नमूने पर लागू विशिष्ट जांच के आधार पर की गई लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं।

ब्याज आय के लिए गलत तरीके से कटौती की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 368.84 करोड़ का कम निर्धारण हुआ और ₹ 145.64 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

367 मामलों में, जहां लेखापरीक्षा ने कटौती की अनुमति में त्रुटियों को पाया, 89.6 प्रतिशत (अर्थात 329) मामलों का निर्धारण संवीक्षा अर्थात अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन किया गया था। 329 मामलों में से, 232 मामलों में संवीक्षा को पूर्ण किया गया था और 46 मामलों में यह सीमित थी जबकि शेष 51 मामलों में संवीक्षा के प्रकार को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। सीमित संवीक्षा के तहत जांच किए गए 46 मामलों में से, 33 मामलों में जांच के लिए मामलों के चयन का मानदंड “अध्याय VI-ए के तहत दावा की गई बड़ी कटौती” पर आधारित था। यह देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा में गलतियों को देखा गया जिसमें अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति को शामिल किया गया था, ऐसे मामलों में भी जिन्हें अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत दावा किए गए बड़ी कटौती के जोखिम पैरामीटर के आधार पर जांच के लिए चुना गया था। गलत निर्धारण के ये मामले आय की पात्रता की अपर्याप्त जांच और निर्धारण के दौरान दावों की स्वीकार्यता की ओर इशारा करते हैं।

तीन निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

बॉक्स 3.5

अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति का निदर्शी मामला।

क) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, भोपाल

निर्धारण वर्ष: 2016-17

निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत दिसंबर 2018 में शून्य आय निर्धारित करते हुए पूर्ण किया गया। निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत दिनांक 31.03.2018 को ₹ 9.82 करोड़ की कटौती का दावा करते हुए ‘शून्य’ आय पर नि.व. 2016-17 के लिए आय पर रिटर्न को दायर किया। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने ₹ 9.82 करोड़ की कटौती की अनुमति दी जिसमें सहकारी बैंक/अनुसूचित बैंक से प्राप्त ब्याज के आधार पर अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती शामिल है। जैसा कि सहकारी

बैंक/अनुसूचित बैंक से प्राप्त ब्याज की राशि ₹ 9.82 करोड़ अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत अनुमति योग्य कटौती नहीं है, इसे अननुमत किए जाने की आवश्यकता थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 9.82 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 5.06 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

आयकर विभाग ने अपने उत्तर में यह बतलाया कि सहकारी समिति से प्राप्त ब्याज अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत छूट प्राप्त है और सहकारी बैंक आरओसीएस के साथ पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सहकारी समितियां केवल सदस्यों के लिए कार्य करती हैं और सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। हालांकि, सहकारी बैंक व्यावसायिक बैंकिंग कार्यकलापों में संलग्न थे जो गैर-सदस्यों को भी ऋण देने और जमा राशि लेने में शामिल हैं। अभिलेखों में इस तथ्य पर भी चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने सहकारी बैंको से अधिनियम की धारा 80पी के लाभों को भी वापस ले लिया था। इसलिए, सहकारी बैंको या अन्य बैंकों में जमा या निवेश से निर्धारित द्वारा अर्जित ब्याज अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति योग्य नहीं हैं।

ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-2 जयपुर

निर्धारण वर्ष: 2015-16

नि.व. 2015-16 के लिए एक एओपी के संवीक्षा निर्धारण को ₹ 3.06 करोड़ के उपलब्ध लाभ की सीमा तक, अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत ₹ 4.15 करोड़ की कटौती की अनुमति के बाद 'शून्य' रिटर्न आय पर दिसंबर 2017 में पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि सहकारी बैंक के साथ एफडीआर पर ₹ 3.69 करोड़ की ब्याज राशि अर्जित की गई थी जो अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के प्रावधानों के दायरे में नहीं आती और अनुमति योग्य नहीं थी। हालांकि प्रावधान के अनुसार निर्धारित के ₹ 0.45 करोड़ अनुमति योग्य थे। ₹ 3.69 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 2.61 करोड़ (₹ 3.06 करोड़ - ₹ 0.45 करोड़) की आय की कम गणना हुई, अधिनियम की धारा 244 के अंतर्गत ₹ 0.11 करोड़ के ब्याज को वापस लिया जाना था और अधिनियम की धारा 234घ के अंतर्गत ₹ 0.03 करोड़ प्रभार्य थे। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2020)।

3.7 अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अंतर्गत सहकारी समितियों को कटौती

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अनुसार, सहकारी समितियों द्वारा प्रसंस्करण या वस्तुओं के विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु गोदामों या भंडारागारों को किराए पर देने से प्राप्त किसी भी आय के संबंध में कटौती अनुमति योग्य है। यह न्यायिक रूप से निर्णय⁸⁰ लिया गया है कि वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण या विपणन सुविधा के लिए गोदामों या भंडारागारों को किराए पर देने से एक सहकारी समिति को प्राप्त आय अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अंतर्गत कटौती योग्य है।

3.7.1 लेखापरीक्षा में 11 राज्यों⁸¹ में 38 मामलों की जांच की गई ताकि अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों की योग्यता सुनिश्चित की जा सके। 38 मामलों में से 32 मामलों⁸² में निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अंतर्गत वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण या विपणन सुविधा के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए गोदाम या भंडारागार के किराए पर देने से व्युत्पन्न आय पर कटौती का दावा किया था; 5 मामलों⁸³ में दावा केवल विपणन उद्देश्य के लिए भंडारण को किराए पर देने के लिए व्युत्पन्न आय पर किया गया था और एक मामले⁸⁴ में गोदाम में माल के भंडारण से प्राप्त आय पर कटौती का दावा किया गया था।

यह देखा गया था कि अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अंतर्गत कटौती के दावे के निर्धारण के दौरान 38 मामलों में से 15 मामलों में ₹ 10.34 करोड़ के संपूर्ण दावे की अनुमति दी गई थी, 18 मामलों में ₹ 35.13 करोड़ के संपूर्ण दावे की अननुमति दी गई थी जबकि पांच मामलों में ₹ 45.39 करोड़ के कुल दावे के प्रति ₹ 35.75 करोड़ के आंशिक दावे की अनुमति दी गई थी।

3.7.2 लेखापरीक्षा ने गुजरात में जांच किए गए 38 मामलों में से पांच मामलों देखे जहां निर्धारिती ने वस्तुओं के विपणन की सुविधा या भंडारण, प्रसंस्करण के लिए गोदाम या भंडारागार को किराए पर देने के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित किराया आय के लिए कटौती को अनुमति दी थी। इसके

80 सीआईटी बनाम जिला सहकारी फेडरेशन [2004] 271 आईटीआर 22 (सभी)।

81 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

82 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

83 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश।

84 मध्य प्रदेश

परिणामस्वरूप ₹ 0.30 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 0.12 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

बॉक्स 3.6

अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति का निदर्शी

क) प्रभार: प्र. सीआईटी-3, अहमदाबाद

नि.व.: 2013-14 और 2014-15

निर्धारिती ने अक्टूबर 2013 और अक्टूबर 2014 में क्रमशः नि.व. 2013-14 और नि.व. 2014-15 के लिए शून्य पर आय का रिटर्न दायर किया। अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को नवंबर 2015 और दिसंबर 2016 में रिटर्न की गई आय को स्वीकारते हुए क्रमशः नि.व. 2013-14 और नि.व. 2014-15 के लिए पूर्ण किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि निर्धारिती ने नि.व. 2013-14 के दौरान ₹ 16.87 करोड़ और नि.व. 2014-15 के दौरान ₹ 13.03 करोड़ की कटौती का दावा किया जिसमें ₹ 0.14 करोड़ (नि.व. 2013-14) और ₹ 0.15 करोड़ (नि.व. 2014-15) की किराया आय शामिल है। जैसा कि किराया अनुमति योग्य कटौती नहीं है तो इसे अननुमत किए जाने की आवश्यकता थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप नि.व. 2013-14 और नि.व. 2014-15 के लिए क्रमशः ₹ 0.14 करोड़ और ₹ 0.15 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 0.06 करोड़ और ₹ 0.06 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (जून 2020)।

3.8 सहकारी समितियों के निर्धारणों के मामले में अननुमति

लेखापरीक्षा ने 222 मामलों⁸⁵ में अननुमति के कारणों की जांच करने का प्रयास किया जहां निर्धारिती द्वारा किए गए संवर्धन, अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत ₹ 259.06 करोड़ की राशि के कटौती दावे के समान थे। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि एक मामले⁸⁶ में अधिनियम की धारा 80पी के

85 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

86 मध्य प्रदेश

अंतर्गत ₹ 0.50 लाख की कटौती के संपूर्ण दावे की अनुमति दी गई थी। 13 राज्यों⁸⁷ के 221 मामलों में, अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के दावे को या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से अननुमत किया गया था। 210 मामलों⁸⁸ (94.6 प्रतिशत) में ₹ 125.79 करोड़ की राशि के संपूर्ण दावे को अननुमत किया गया था जबकि 11 मामलों⁸⁹ (5 प्रतिशत) में ₹ 130.66 करोड़ की राशि के दावे को आंशिक रूप से अननुमत किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पता चला कि 221 मामलों में, जहां निर्धारण अधिकारी ने (पूरी तरह या आंशिक रूप से) अननुमत किया था, 111 मामलों⁹⁰ में निर्धारितियों को सहकारी समितियों के लिए स्वीकार्य कटौती के दावे के लिए अयोग्य माना गया था क्योंकि वे बैंकिंग गतिविधियों में शामिल थे; सात मामलों⁹¹ में निर्धारितियों को गैर- प्राथमिक कृषि ऋण समाज माना गया था जबकि 24 मामलों⁹² में अयोग्य आय अर्थात् व्यावसायिक गतिविधि से आय या सहकारी क्षेत्र के अलावा अन्य बैंकों में निवेश से अर्जित आय पर दावा किया गया था। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अननुमति निर्धारितियों के कारण थी जो सहकारी समितियों के लिए अधिनियम में सूचीबद्ध गतिविधियों में शामिल नहीं थे या प्रमुख गतिविधि या व्यापार की तुलना में सीमित सीमा तक विशेष गतिविधि में लगे हुए थे। इसने अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करने वाली और संस्थाओं को गलत तरीके से लाभ लेने का दावा करने वाली संस्थाओं के मुख्य जोखिम को दर्शाया, जिससे सहकारी क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के विधायी इरादे के साथ कर शुरू किए गए प्रावधान का संभावित दुरुपयोग हुआ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 221 मामलों, जहां अननुमति अन्य बातों के साथ इस आधार पर की गई थी कि निर्धारित बैंकिंग व्यवसाय में लगा था या अयोग्य आय अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंको से अर्जित ब्याज पर कटौती का दावा किया गया था या निर्धारित पीएसीएस के रूप में काम नहीं कर रहा है, में से 47 मामलों में निर्धारितियों ने कानूनी कार्यवाही का सहारा लिया। 47 मामलों

87 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ओडिशा, एमपी, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, एनईआर, यूपी और पश्चिम बंगाल

88 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ओडिशा, एमपी, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, एनईआर, यूपी और पश्चिम बंगाल

89 गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा

90 गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एनईआर, राजस्थान और तमिलनाडु

91 केरल

92 गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

में से 32 मामलों⁹³ में सीआईटी (अपील) द्वारा निर्धारिती के पक्ष में अनुमति दी गई थी, एक मामले⁹⁴ में निर्धारिती के पक्ष में आंशिक अनुमति दी गई थी और 14 मामलों⁹⁵ सीआईटी (अपील) के समक्ष मुकदमेबाजी में लंबित थे। इस प्रकार, आयकर विभाग द्वारा की गई अननुमति न्यायालय में ठहर नहीं सकी।

लेखापरीक्षा ने 05 मामलों⁹⁶ में यह पाया कि ₹1.14 करोड़ के कर प्रभाव सहित अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनियमित अनुमति दी गई। इन त्रुटियों को अननुपालना के मामलों में शामिल किया गया है जैसा इस अध्याय के पैरा 3.2 से 3.7 में चर्चा की गई है।

3.9 बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न सहकारी क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण में गैर-एकरूपता

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसार, सहकारी बैंकों से तात्पर्य राज्य सहकारी बैंको (एससीबी), केन्द्रीय सहकारी बैंको (सीसीबी) और प्राथमिक सहकारी बैंको (पीसीबी) से है। अधिनियम की धारा 80पी(4) के अनुसार अधिनियम की धारा 80पी के प्रावधान एक पीएसीएस या एक प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी भी सहकारी बैंक के संबंध में लागू नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा ने सहकारी क्षेत्र के 336 निर्धारण मामलों की जांच की जहां निर्धारिती, ग्रामीण बैंकिंग, कृषि और ग्रामीण विकास बैंकिंग और भूमि विकास बैंकिंग में लगे हुए थे। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, भूमि विकास बैंको और कृषि और ग्रामीण बैंको के रूप में श्रेणीगत निर्धारितियों के निर्धारण को पूर्ण करते समय जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती दावे की अनुमति में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया था। लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, भूमि विकास बैंकों और कृषि और ग्रामीण विकास बैंको के रूप में बैंकिंग गतिविधियों में लगे निर्धारितियों के मध्य अनुमति या अननुमति की सीमा का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 106 मामलों⁹⁷ में

93 कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र।

94 गुजरात

95 केरल

96 कर्नाटक और गोवा और केरल

97 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के दावे की अनुमति दी गई थी, 50मामलों⁹⁸ में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के संपूर्ण दावे को अननुमत कर दिया था। और 180 मामलों⁹⁹ में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा शून्य दावा किया गया था। अननुमति के कारण यह थे कि निर्धारिती बैंकिंग गतिविधियों में शामिल था और अधिनियम की धारा 80पी(4) के अंतर्गत कटौती के दावे के लिए अयोग्य पाया गया था। अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र में कृषि, ग्रामीण और विकास बैंको में शामिल समान वर्ग के निर्धारितियों को कटौती की अनुमति की सीमा नीचे तालिका 3.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.4: बैंकिंग गतिविधियों में शामिल निर्धारितियों को अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनुमति।

बैंको की नामावली	निर्धारण मामले जहां अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का दावा किया गया और अनुमति दी गई					निर्धारण मामले जहां अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के संपूर्ण दावे को अननुमत किया गया				
	सहकारी समितियां (सं.)	सहकारी बैंक (सं.)	जोड़ (सं.)	80पी कटौती दावे की राशि (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा अनुमत 80पी कटौती की राशि (₹ करोड़ में)	सहकारी समितियां (सं.)	सहकारी बैंक (सं.)	जोड़ (सं.)	दावा की गई 80पी कटौती की राशि (₹ करोड़ में)	
ग्रामीण बैंक/रूरल बैंक/ग्रामीण विकास बैंक	21	7	28	354.6	353.7	20	8	28	1916.7	
भूमि विकास बैंक/ लैंड डेवलपमेंट बैंक	20	20	40	33.0	35.9	4	8	12	5.4	
प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/सहकारी कृषि बैंक/राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	33	5	38	914.7	361.9	8	2	10	113.1	
जोड़	74	32	106	1302.3	751.5	32	18	50	2035.3	

98 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार और झारखंड, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

99 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार और झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, केरल, एनईआर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

इस प्रकार, निर्धारण अधिकारियों ने सहकारी क्षेत्र में निर्धारितियों के समान वर्ग से संबंधित मामलों में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनुमति का निर्धारण करते समय समान रूप से अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया। समान शर्तों के तहत एक ही कानून की प्रयोज्यता में व्यापक भिन्नता के कारणों की सहकारी क्षेत्र में समान गतिविधियों में लगे निर्धारितियों के समान वर्ग के निर्धारण में स्थिरता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा नियामक निकायों के अनुसार सहकारी बैंकिंग की संरचना के तहत वर्गीकरण के अनुसार इस तरह के निर्धारितियों के निर्धारण को संरेखित करने के लिए नियामक निकायों के साथ समन्वय करना आवश्यक है।

3.10 अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के उच्च मूल्य दावों के साथ सहकारी समितियों का निर्धारण

आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों के लिए विशेष प्रावधान के अनुपालन की प्रकृति और सीमा की जांच करने के लिए अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के उच्चतम दावे वाले 257 मामलों की लेखापरीक्षा जांच की गई।

- क) 257 शीर्ष मामलों में, जहां ₹ 7,000.73 करोड़ की कटौती का दावा अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत किया गया था, 82 प्रतिशत मामलों में अधिनियम की धारा 80पी(2)(क) (i) के तहत कटौती का दावा बैंकिंग के व्यवसाय या उसके सदस्यों (51.36 प्रतिशत) को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में लगी सहकारी समितियों पर लागू था या अधिनियम की धारा 80पी(2) (डी) के अंतर्गत अर्थात् किसी अन्य सहकारी समिति (30.74 प्रतिशत) के साथ उसके निवेश से सहकारी समिति द्वारा प्राप्त ब्याज या लाभांश के माध्यम से प्राप्त आय।
- ख) 257 मामलों में से 115 मामलों को अधिनियम के अध्याय VI क/धारा 80पी के अंतर्गत बड़ी कटौती के दावे के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन¹⁰⁰ (सीएसएस) के तहत चयनित किया गया था। अध्याय VI क/अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत बड़ी कटौती के दावों के लिए चयनित 115 मामलों में से 100 मामलों का चयन

100 आयकर विभाग ने केंद्रीकृत आधार पर पूर्वनिर्धारित मानदंडों का उपयोग करते हुए अनिवार्य चयन के आधार पर जांच के लिए आयकर रिटर्न का चयन करने के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन (सीएसएस) प्रणाली को लागू किया है।

संपूर्ण संवीक्षा के लिए किया गया और 15 का चयन सीमित संवीक्षा के लिए किया गया था।

ग) संपूर्ण या सीमित संवीक्षा के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच किए गए 115 मामलों में से 32 मामलों में कटौती के संपूर्ण दावे की अनुमति दी गई जबकि 57 मामलों में आंशिक दावे की अनुमति दी गई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 17 मामलों में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की संपूर्ण राशि की अननुमति इन कारणों से दी गई थी जैसे, निर्धारिती बैंकिंग व्यवसाय में शामिल था या अयोग्य आय अर्थात् अन्य स्रोतों से आय पर कटौती का दावा किया गया था। कटौती का दावा करने वाले शीर्ष मामलों में अननुमति का इतना उच्च अनुपात, कटौती के प्रावधान के दुरुपयोग की प्रवृत्ति को दर्शाता है, विशेष रूप से उन सहकारी समितियों द्वारा जो बैंकिंग व्यवसाय में लगे हुए हैं या अधिनियम की धारा 80(2)(डी) के तहत अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं।

3.10.1 लेखापरीक्षा ने 38 मामलों¹⁰¹ में ₹ 52.83 करोड़ के कर प्रभाव सहित अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनियमित अनुमति को पाया। ये त्रुटियां, अधिनियम की धारा 80पी की विभिन्न उप-धाराओं की अननुपालना के मामलों में भी शामिल हैं जैसा कि इस अध्याय के पैरा 3.2 से 3.7 में चर्चा की गई है। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

बॉक्स 3.7

उच्च मूल्य दावों में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनियमित अनुमति के लिए निदर्शी मामला।

क) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, बेंगलुरु

निर्धारण वर्ष: 2012-13, 2013-14 और 2014-15

निर्धारिती, एक एओपी (1) रसायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के वितरण (2) कृषि वस्तुओं की खरीद और विपणन, (3) सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत कृषि खरीद के लिए नोडल एजेंसी, और (4) कुछ उपभोक्ता पदार्थों का वितरण, करने के लिए राज्य की एक सर्वोच्च सहकारी संस्था है। नि.व. 2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए संघीय सहकारी समिति का संवीक्षा निर्धारण, क्रमशः मार्च 2015, मार्च 2016 और

101 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

दिसंबर 2016 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक से अर्जित ब्याज पर की गई कटौती को “अन्य स्रोतों से आय” के रूप में मानते हुए समाप्त किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि राष्ट्रीयकृत बैंक के अलावा निर्धारिती ने अपनी अधिशेष निधि को शीर्ष बैंक में भी जमा कर दिया है जो कर्नाटक के अन्य सभी सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने वाला “केंद्रीय बैंक” है और यह बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा शासित है। अधिनियम की धारा 80पी(4) के सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप शीर्ष बैंक में जमा किए गए अधिशेष राशि पर अर्जित ब्याज कर योग्य है। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः ₹ 0.55 करोड़, ₹ 4.33 करोड़ और ₹ 3.92 करोड़ की कटौती की अनुमति दी है। परिणामस्वरूप, नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः ₹ 0.23 करोड़, ₹ 1.82 करोड़ और ₹ 1.77 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। आयकर विभाग ने अपने उत्तर (मई 2020) में कहा कि नि.व. 2012-13 के संबंध में कोई कार्यवाही संभव नहीं है क्योंकि मामलों समय बाधित है, जबकि अन्य नि.व. के संबंध में उचित उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी और नियत समय में लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

ख) प्रभार: प्र. सीआईटी, मैंगलोर

निर्धारण वर्ष: 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2016-17

निर्धारिती, एक एओपी के रूप में पंजीकृत एक सहकारी समिती है जो कृषि उत्पादों के विपणन की गतिविधियों में संलग्न है अर्थात् अपने सदस्यों द्वारा उगाए गए सुपारी, कच्चे रबर, कोको बीन्स से चॉकलेट का उत्पादन करती है। नि.व. 2012-13, 2013-14, 2014-15, और 2016-17 के लिए सहकारी समिती का संवीक्षा निर्धारण क्रमशः सितंबर 2014, जनवरी 2016, दिसंबर 2016 और नवंबर 2018 के दौरान संपन्न हुआ। निर्धारिती ने सहकारी बैंकों में ₹ 0.19 करोड़, ₹ 0.20 करोड़, ₹ 0.21 करोड़ और ₹ 0.22 करोड़ की सीमा तक निवेश से ब्याज आय अर्जित की और उसका दावा अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती के रूप में किया। निर्धारण अधिकारी ने भी माना कि नि.व. 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2016-17 के लिए क्रमशः ₹ 0.07 करोड़, ₹ 0.08 करोड़, ₹ 0.10 करोड़ और ₹ 0.10 करोड़ की कटौती से राजस्व की हानि हुई। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को न करते हुए जवाब (मई 2020) दिया और कहा कि प्रधान आयकर आयुक्त, हबली बनाम टोटगर की सहकारी बिक्री समिति, 2017 (392 आईटीआर 74) के मामलों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के

फैसले को स्वीकार कर लिया जिसने फैसला सुनाया कि “अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के प्रयोजन के लिये एक सहकारी बैंक को एक सहकारी समिति माना जाना चाहिए” और इस प्रकार सहकारी बैंकों से अर्जित ब्याज के लिए अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत निर्धारिती, कटौती के दावे के लिए योग्य है।

आयकर विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि निर्धारण अधिकारी ने केवल नि.व. 2012-13 के लिए “टोटगर सहकारी बिक्री समिति लि.” के मामले में क्षेत्राधिकारिक उच्च न्यायालय के आदेश (दिनांक 05.01.2017) का उल्लेख किया है। कर्नाटक के क्षेत्राधिकारिक उच्च न्यायालय, धारवाड़ बेंच ने नि.व. 2007-08 से 2011-12 के लिए एक ही निर्धारिती [टोटगर सहकारी बिक्री समिति] के मामले का फैसला करते हुए 5 जनवरी 2017 के अपने स्वयं के आदेश पर विचार करते हुए 16 जनवरी 2017 को फैसला सुनाया (माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा 18 और 19 के अनुसार)। इसके द्वारा यह निर्णय दिया गया कि निर्धारिती सहकारी बैंको से अर्जित ब्याज के लिए अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत कटौती का दावा करने के पात्र नहीं है। जून 2017 में किए गए अनुवर्ती न्यायिक फैसले के मद्देनजर दी गई अनुमति की पुनः जांच करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि आय की प्रकृति की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है जिस पर सहकारी समितियों द्वारा कटौती का दावा किया जा रहा है। आईटीआर, अधिनियम की धारा 80पी की उप-धारा, जिसके तहत निर्धारिती अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का दावा करता है, को दर्ज नहीं करता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट नहीं है कि आयकर विभाग निर्धारिती की पात्रता की पुष्टि किए बिना अनुमति कैसे दे रहा है या विशिष्ट गतिविधियों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित शर्तों की पूर्ति कैसे कर रहा है। जब आयकर अधिनियम ने गतिविधियों की प्रकृति को निर्दिष्ट किया है कि किन सहकारी समितियों के संबंध में अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का दावा किया जा सकता है, उनके पास अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों के लिए कटौती के लाभ की शुरुआत के पीछे विधायी मंशा की पूर्ति का निर्धारण करने के संबंध में इसकी निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है। आयकर विभाग को एक सहकारी समिति द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति की प्रभावी रूप से निगरानी करने के लिए एक तंत्र को तैयार करना चाहिए, साथ ही उन आय को भी सत्यापित करना होगा

जिनपर सहकारी समितियों द्वारा कटौती का दावा किया जा रहा है ताकि केवल योग्य निर्धारितियों को दावे की अनुमति सुनिश्चित की जा सके।

3.11 अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की कटौती की गलत अनुमति

अधिनियम की धारा 36(i)(vii) यह निर्धारित करती है कि अनुसूचित बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अलावा एक सहकारी बैंक या एक प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अनुमत किए गए अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कुल आय के साढ़े सात प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए (अधिनियम के इस खंड और अध्याय vi (क) के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले गणना की गई) और राशि निश्चित तरीकों में ऐसे बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए कुल औसत अग्रिमों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसके अलावा, अधिनियम के 36(2)(v) के अनुसार इस तरह की किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि निर्धारित ने पिछले वर्ष में इस खंड के तहत बनाए गए इस तरह के अशोध्य और संदिग्ध ऋण लेखों के प्रावधानों के लिए ऐसे ऋण या ऋण के भाग को डेबिट नहीं किया है।

लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के आधार पर कटौती का दावा करने वाले सहकारी बैंकों की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए ₹ 4,085.16 करोड़ की कटौती के दावों में शामिल 487 मामलों¹⁰² की जांच की।

क) लेखापरीक्षा में यह पता चला कि 487 मामलों में 324 मामलों (66.5 प्रतिशत) में कटौती के संपूर्ण दावे की अनुमति की गई।

उन 324 मामलों का विवरण जिनमें निर्धारण के दौरान संपूर्ण दावों की अनुमति दी गई थी, नीचे तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

102 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

तालिका 3.5: अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के आधार पर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती का दावा

(₹ करोड़ में)

अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत किए गए दावे		केवल कुल सकल आय पर कटौती का दावा (आयकर विभाग द्वारा पूर्णतः अनुमत)		केवल कुल अग्रिमों पर कटौती का दावा (आयकर विभाग द्वारा पूर्णतः अनुमत)		कुल सकल आय और कुल अग्रिम जहां द्विभाजन उपलब्ध नहीं है, पर कटौती का दावा (आयकर विभाग द्वारा पूर्णतः अनुमत)		कुल सकल आय और कुल अग्रिमों पर कटौती का दावा (आयकर विभाग द्वारा पूर्णतः अनुमत)	
सं.	दावा की गई कटौती की राशि	सं.	दावा की गई कटौती की राशि	सं.	दावा की गई कटौती की राशि	सं.	दावा की गई कटौती की राशि	सं.	दावा की गई कटौती की राशि
487	4,085.16	142	815.64	94	772.13	54	430.67	34	740.21

मौजूदा प्रारूप में आईआर, कुल आय पर और ग्रामीण अग्रिमों पर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दावा की गई कटौती के अलग-अलग आंकड़ों/विवरणों को दर्ज नहीं करता है। लेखापरीक्षा मौजूदा अभिलेखों से उसको सुनिश्चित नहीं कर सका, जिसे ऊपर दर्शाया गया था। यह स्पष्ट नहीं था कि निर्धारण के दौरान निर्धारण करने वाले अधिकारी अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के आधार पर कटौती के दावे की जांच कैसे कर रहे थे। इसलिए, यह सुझाव दिया गया कि कुल आय और ग्रामीण अग्रिमों पर दावा राशि को प्रभावी निगरानी और सहकारी बैंकों के लिए अनुमत कटौती के प्रभाव के निर्धारण के लिए अलग से दर्ज किया जा सकता है।

3.11.1 लेखापरीक्षा ने 18¹⁰³ राज्यों में 118 मामलों¹⁰⁴ को देखा जहां निर्धारण अधिकारियों ने आयकर अधिनियम में निर्धारित शर्तों की पूर्णता सुनिश्चित किए बिना अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के आधार पर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनियमित रूप से कटौती

103 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

104 लेखापरीक्षा आपत्तियों में सामान्य जांच और (पैरा 3.11 में चर्चा की गई) और वे जो विशिष्ट जांच के अंतर्गत (जैसा कि इस अध्याय के पैरा 3.11.3 में चर्चा की गई है।) मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा में देखी गई अनियमितताएं शामिल हैं।

की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1,002.78 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 375.20 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 118 मामलों में से 71 मामलों (अर्थात् 60.1 प्रतिशत) की पूरी संवीक्षा के तहत जांच की गई थी जबकि सीमित संवीक्षा के तहत 18 मामलों की जांच की गई थी। 71 मामलों में शामिल ₹ 909.79 करोड़ की कटौती के दावे और अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 712.58 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई, यद्यपि संवीक्षा जांच का प्रकार पूर्ण संवीक्षा थी, लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति सहित त्रुटियों को पाया। गलत निर्धारणों के ये मामले निर्धारण के दौरान दावों की स्वीकार्यता की आपर्याप्त जांच की तरफ इशारा करते हैं।

तीन निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

बॉक्स 3.8

अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत प्रावधान के लिए कटौती की अनियमित अनुमति का निदर्शी मामला

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-शिलांग

निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत दिसंबर 2016 में ₹ 4.83 करोड़ की आय को निर्धारित करते हुए निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया गया। निर्धारिती ने एक अपील को प्राथमिकता दी और अपील के आदेश के आधार पर नवंबर 2017 में ₹ 3.79 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि निर्धारिती ने लेखाओं में अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 6.00 करोड़ का प्रावधान किया लेकिन ₹ 87.29 करोड़ की कटौती का दावा किया, जो अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण में ₹ 84.78 करोड़ तक सीमित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 78.78 करोड़ के प्रावधान की कटौती की अधिक अनुमति दी गई और ₹ 26.78 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (जून 2020)।

ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-1 पटना,

नि.व.: 2013-14

फरवरी 2016 में ₹ 16.35 करोड़ की आय पर निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि प्रावधान और आकस्मिकता के लिए लाभ और हानि खाते में ₹ 33.91 करोड़ की राशि डेबिट की गई और शुद्ध लाभ ₹ 65.31 करोड़ दिखाया गया। आय की गणना के दौरान, आवश्यकतानुसार समायोजन के बाद, अध्याय VI के तहत कटौती से पूर्व ₹ 104.34 करोड़ की कुल आय की गणना की गई और ग्रामीण अग्रिमों के लिए कटौती के रूप में ₹ 205.69 करोड़ सहित अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 213.51 करोड़ की कटौती का दावा करने के बाद ₹ 109.18 करोड़ की हानि पर रिटर्न आय को दर्ज किया गया। संवीक्षा निर्धारण के दौरान निर्धारिती की रिटर्न आय को शून्य पर लिया गया था और दो शीर्षों के तहत संवर्धन के पश्चात ₹ 16.35 करोड़ पर आय का निर्धारण हुआ था। चूंकि निर्धारिती ने ₹ 33.91 करोड़ के कुल प्रावधान को डेबिट किया था इसलिए दावा की गई ₹ 213.51 करोड़ की कटौती को लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि यानि ₹ 33.90 करोड़ तक सीमित करना अपेक्षित था। हालांकि, ₹ 104.34 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 21.76 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 70.43 करोड़ की कटौती की अधिक अनुमति दी गई। आयकर विभाग का जवाब प्रतिक्षित है (जून 2020)।

ग) प्रभार: सीआईटी जमशेदपुर,

निर्धारण वर्ष: 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15

अधिनियम की धारा 143(3)/147/263 के अंतर्गत नि.व. 2011-12 से 2014-15 के लिए दिसंबर 2016, दिसंबर 2018, मार्च 2016 और दिसंबर 2016 में निर्धारिती के निर्धारण को पूर्ण किया गया और क्रमशः ₹ 3.04 करोड़, ₹ 5.50 करोड़, ₹ 3.61 करोड़ और ₹ 2.65 करोड़ पर निर्धारण किया गया। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि निर्धारिती ने स्वीकार्य से अधिक में ₹ 16.23 करोड़ के प्रावधान किए, जो अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अनुमति योग्य थे। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज

सहित ₹ 8.02 करोड़¹⁰⁵ के कम कर के उदग्रहण सहित ₹ 16.23 करोड़¹⁰⁶ के प्रावधानों की अनियमित अनुमति दी गई। आयकर विभाग ने अपने जवाब (जुलाई 2019) में कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की जाएगी और कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही का विवरण प्रतीक्षित है (जून 2020)।

3.11.2 आयकर रिटर्न के माध्यम से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के आधार पर किए गए दावों की निगरानी

आईटीआर-5 का मौजूदा प्रारूप अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा किए गए दावों को प्राप्त नहीं करता है। इसके अलावा, डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा प्रस्तुत डेटा, लेखा बही के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान की राशि दिखाता है, न कि अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के दावे की वास्तविक राशि को। भाग क-आईटीआर-5 फार्म की अन्य जानकारी, अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती का विवरण प्राप्त करती हैं (अर्थात् लाभ और हानि लेखे में डेबिट की गई राशि, जिस सीमा तक अननुमति योग्य है)। लेखापरीक्षा में यह पता चला कि ऐसे मामले जहां निर्धारिती ने आय की गणना में “अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान” की राशि को वापस जोड़ा, राशि दावा की गई और अशोध्य और संदिग्ध ऋण के प्रावधान पर अनुमत की गई राशि शून्य थी। हालांकि, कटौती का प्रभावी दावा आईटीआर में परिलक्षित नहीं हो रहा था। आयकर विभाग, आईटीआर फार्म में निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दावा की गई कटौती को अधिकृत करने का प्रावधान कर सकता है।

3.11.3 अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के उच्च मूल्य दावे

लेखापरीक्षा ने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के अंतर्गत अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 1,707.78 करोड़ के उच्च मूल्य के दावों

105 ₹ 8.02 करोड़ = ₹ 4.01 करोड़ (नि.व. 2011-12) + ₹ 1.03 करोड़ (नि.व. 2012-13) + ₹ 0.64 करोड़ (नि.व. 2013-14) + ₹ 2.34 करोड़ (नि.व. 2014-15).

106 ₹ 16.23 करोड़ = ₹ 7.69 करोड़ (नि.व. 2011-12) + ₹ 1.85 करोड़ (नि.व. 2012-13) + ₹ 1.51 करोड़ (नि.व. 2013-14) + ₹ 5.18 करोड़ (नि.व. 2014-15).

या कटौती की राशि के 117 मामलों¹⁰⁷ की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के आधार पर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती की जांच की गई थी और सही ढंग से अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने 88 मामलों में ₹ 1,144.06 करोड़ की कटौती के संपूर्ण दावे की अनुमति दी थी जबकि 29 मामलों में ₹ 563.72 करोड़ के कुल दावे के प्रति ₹ 125.30 करोड़ की कटौती के आंशिक दावे की अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने ₹ 39.36 करोड़ के कर प्रभाव सहित अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की अनियमित अनुमति के 12 मामलों¹⁰⁸ को देखा। ये त्रुटियां, इस अध्याय के पैरा 3.10.1 में चर्चा की गई अननुपालना के मामलों में शामिल हैं। गलत अनुमति उसके लिए गए प्रावधानों के दावे की गैर-प्रतिबंधता संशोधित कुल आय की गैर-प्रतिफल के कारण दावे की गणना में त्रुटि आदि के आधार पर दी गई थी। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

बॉक्स 3.9

अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के उच्च मूल्य दावों का निदर्शी मामला

प्रभार: प्र. सीआईटी-2, नागपुर

निर्धारण वर्ष: 2013-14

निर्धारित अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत “अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान” के आधार पर ₹ 15.71 करोड़ की कटौती की अनुमति ने दावा किया और उसे अनुमति दी थी। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निर्धारित ने केवल ₹ 7.04 करोड़ की राशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया था। इसलिए, अनुमति एक सीमा तक प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.68 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 8.67 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति दी गई। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (जून 2020)।

अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के उच्च मूल्य के दावों की अननुपालना का जोखिम था। जैसा कि पहले ही इस अध्याय के पैरा 3.11

107 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एनईआर, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

108 मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, केरल, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र और तमिलनाडु

में सुझाव दिया गया है, आयकर विभाग कुल आय पर और ग्रामीण अग्रिमों पर आईटीआर में दावों की सीमा की निगरानी और उसकी अनुपालना के लिए अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के दावों के अलग-अलग आंकड़ों को प्राप्त करने पर विचार कर सकता है।

3.12 अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व के लिए कटौती की गलत अनुमति

अधिनियम की धारा 36(1)(viii) में यह कहा गया है कि व्यवसाय से गणना की गई आय में, वर्ष के दौरान योग्य व्यवसाय से आय के 20 प्रतिशत की अनुमति एक विशेष संस्था द्वारा बनाए रखे जाने और किसी विशेष रिजर्व के निर्माण के संबंध में दी जाएगी। धारा के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण आगे शर्त को स्पष्ट करता है- 'विशिष्ट संस्था' और 'योग्य व्यवसाय' जो 'भारत में आवास के विकास' से मीन क्लस्टर हाउसिंग बुनियादी ढांचे के विकास तक बिल्डरों और डेवलपर्स को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करके घरे हुए हैं। "आवासीय उद्देश्यों के लिए भारत में घरों के निर्माण या खरीद" के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए कटौती विशेष रूप से "आवासीय वित्त कंपनी" के लिए उपलब्ध है। अधिनियम की धारा 36(1)(viii) और उसके नीचे स्पष्टीकरण के प्रावधान के विषय में सामंजस्यपूर्ण पठन इस प्रकार यह प्रचुरता में स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत आवास ऋण, "आवासीय वित्त कंपनी" के अलावा बैंको/सहकारी बैंको और वित्त संस्थानों के मामले में अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र नहीं यह दक्षिण भारतीय बैंक लि. बनाम एसीआईटी, आईटीएटी कोचीन बैंच के मामले में न्यायिक रूप से निर्णय लिया गया (मार्च 2019) कि अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व कटौती बैंक को व्यक्तिगत आवासीय ऋण से होने वाली आय के संबंध में निर्धारित बैंक को अनुमति योग्य नहीं होगी जिसमें कहा गया कि यह अलग-अलग घरों की खरीद/निर्माण, आवासीय विकास नहीं है।

लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले सहकारी बैंकों की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए 114 मामलों की जांच की।

क) लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 10 राज्यों/ क्षेत्रों¹⁰⁹ में 114 मामलों में जहां निर्धारित ने अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 354.84 करोड़ की राशि की कटौती का दावा किया था जिसमें से निर्धारण अधिकारी ने ₹ 117.81 करोड़ की अननुमति दी जबकि ₹ 237.03 करोड़ के दावे की अनुमति प्रदान की थी।

109 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (एनडब्ल्यूआर), ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और पश्चिम बंगाल।

- ख) 114 मामलों में से 82 मामलों में, अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 212 करोड़ की कटौती के संपूर्ण दावे की अनुमति दी गई। 82 मामलों में से 12 मामलों में, जहां अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 5.21 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई, अवधि मौजूदा अभिलेखों से सुनिश्चित करने योग्य नहीं था, जिसके लिए ऋण या अग्रिम प्रदान किए गए थे। इस प्रकार, निर्धारिती के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने में संलग्न होने की मूल शर्त की पूर्ति को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- ग) 114 मामलों में से 16 मामलों में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 85.98 करोड़ की कटौती के संपूर्ण दावे को निर्धारिती द्वारा किसी विशेष रिजर्व के गैर-निर्माण या निर्धारिती का व्यवसाय केवल दीर्घकालिक वित्त से संबंधित नहीं था, जैसे कारणों के लिए अननुमत किया गया था।
- घ) 114 मामलों में से बचे हुए 16 मामलों में ₹ 56.87 करोड़ के कुल दावे के मुकाबले ₹ 25.03 करोड़ के दावे को आंशिक अनुमति दी गई थी।

3.12.1 अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावे के संबंध में जांच किए गए मामलों में से लेखापरीक्षा ने बिहार और महाराष्ट्र में 08 मामलों में अनियमितताओं को पाया जहां आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से विशेष रिजर्व के लिए प्रावधानों के लिए कटौती की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.20 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ और ₹ 14.01 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 8 मामलों में से 3 मामलों की पूर्ण संवीक्षा के तहत ₹ 10.43 करोड़ के कर प्रभाव सहित जांच की गई थी।

दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

बॉक्स 3.10

अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्र सीआईटी-1 पटना

नि.व.: 2014-15

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 83.03 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने ब्याज से आय, निवेश आय व अन्य आय सहित कुल आय पर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 20.75 करोड़ की कटौती का दावा किया था तथा उसे अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि इस संबंध में लेखा बही में कोई विशेष आरक्षित खाता नहीं बनाया गया था। चूँकि अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के लिए कोई विशेष रिजर्व नहीं बनाया था और आय के स्थान पर सभी आय से कटौती का दावा किया गया था, उसे अस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता थी तथा कुल आय में वापस जोड़ना था। चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति दी गई, जिससे ₹ 9.78 करोड़ (ब्याज सहित) के कर प्रभाव सहित राशि ₹ 20.75 करोड़ की चूक थी। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (जून 2020)।

ख) प्रभार: प्र सीआईटी-1 मुम्बई

नि.व.: 2016-17

महाराष्ट्र में, सहकारी बैंक के रूप में कार्य करने वाले एक निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए संवीक्षा निर्धारण में अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई ₹ 17 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दीर्घकालिक वित्त ऋण के विवरण के अनुसार ₹ 309.69 करोड़ की राशि वास्तु सिद्धि, संपत्ति ऋण योजना, वाणिज्यिक अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित थी। चूँकि ये ऋण अर्हक कटौती के लिए 'पात्र व्यवसाय' के अंतर्गत नहीं आते, दीर्घकालिक वित्त पर उपरोक्त राशि की कटौती की अनुमति गलत थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.18 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 9.36 करोड़ की कटौती की अधिक अनुमति दी गई थी। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

3.13 गन्ने के खरीद के लिए अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत सहकारी समितियों को व्यय की अनियमित अनुमति।

केन्द्रीय सरकार कृषि लागत तथा मूल्यों (सीएसीपी) तथा राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारको से परामर्श के बाद गन्ने के फेयर एंड रेमुनेटिव प्राइस (एफ आर पी) को तय करती है। एफ आर पी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अंतर्गत न्यूनतम मूल्य को तय करता है जिस पर चीनी मिल को गन्ना किसान को भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारे भी समय समय पर चीनी विनिर्माण सत्वों/ चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन तथा योजनाओं को अधिसूचित करती है।

केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा चीनी उत्पादको द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए गन्ने के मूल्य को निर्धारित करती है। नए कीमत तंत्र के अनुसार, 22 अक्टूबर 2009 से फेयर एंड रेमुनेटिव प्राइस (एफआरपी) अस्तित्व में आया। उपरोक्त के अनुरूप, वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा एक नया खंड [धारा 36(1)(xvii)] जोड़ा गया है जो 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी है। अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) प्रावधान करती है कि सरकार द्वारा अनुमोदित या नियत मूल्य के बराबर या उससे कम मूल्य पर गन्ने की खरीद से लिए चीनी उत्पादकों के व्यवसाय में संलग्न सहकारी समिति द्वारा किए गए व्यय की राशि के लिए प्रदान की गई कटौती को अधिनियम की धारा 28 में उल्लेखित आय की गणना में अनुमति दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत ₹ 24,664.78 करोड़ की कटौती के दावे वाले 111 मामलों की जाँच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों के पूरा न होने के कारण निर्धारण अधिकारियों द्वारा 111 मामलों में ₹ 6,668.43 करोड़ (27 प्रतिशत) की अननुमति दी गई थी जबकि ₹ 17,996.35 करोड़ की कटौती स्वीकार की गई। निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की 36(1)(xvii) के अंतर्गत 111 मामलों में से चार मामलों में ₹ 887.05 करोड़ की राशि की कटौती के पूरे दावे को स्वीकृति दी गई थी जबकि 107 मामलों में अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत ₹ 23,777.73 करोड़ की कटौती के दावे के प्रति ₹ 17,109.30 करोड़ की कटौती की आंशिक अनुमति प्रदान की गई थी। निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारिती द्वारा व्यय के रूप में दावा की गई अधिक चीनी खरीद कीमत को अननुमति दी जो सरकार द्वारा नियत की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दर से अधिक था।

तालिका 3.6: गन्ने के खरीद पर व्यय के आधार पर अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती

(₹ करोड़ में)

धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत किए गए दावे		धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण दावा		धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा आंशिक तौर पर स्वीकृत दावा		
मामलों की संख्या	दावा की गई कटौती की राशि	मामलों की संख्या	दावा की गई कटौती की राशि	मामलों की संख्या	दावा की गई कटौती की राशि	अनुमत कटौती की राशि
111	24664.78	4	887.05	107	23777.73	17109.30

राज्यवार दावा की गई कटौती तथा अनुमत राशि नीचे दी गई है।

तालिका 3.7: अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत दावा की गई राज्य-वार कटौती की राशि

(₹ करोड़ में)

राज्य	मामलों की संख्या	धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती	धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत कटौती
गुजरात	38	8291.00	5392.35
महाराष्ट्र	73	16373.78	12604.00
कुल जोड़	111	24664.78	17996.35

चीनी सहकारी समितियों द्वारा किए गए कटौती के दावे की मात्रा काफी अधिक है [चीनी विनिर्माण सत्व धारा 36(1)(xvii) के तहत लगभग ₹ 220 करोड़ कटौती का औसत दावा किया जा रहा है]। चीनी विनिर्माण सहकारी समितियों द्वारा किए जा रहे बढ़ाए गए दावों की संभावना भी अधिक है (111 मामलों में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए अननुमतकरण का 27 प्रतिशत)।

111 मामलों के संबंध में लौटाई गई आय ₹ 135.75 करोड़ थी, जबकि निर्धारण आय ₹ 6,888.88 करोड़ थी, जो ₹ 6,753.13 करोड़ अधिक है। निर्धारण अधिकारी ने ₹ 2,903.16 करोड़ की मांग की।

111 मामलों में, लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग के साथ एओपी के तौर पर पंजीकृत महाराष्ट्र के 19 मामलों में अनियमताएं पाई [19 मामलों के लिए

₹ 30.74 करोड़ का नुकसान और ₹ 1100.36 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया], जहाँ आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत परिवहन तथा कटाई व्यय के लिए कटौतियों की गलत अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 318.53 करोड़ की आय का कम निर्धारण तथा ₹ 107.75 करोड़ का कम कर उद्ग्रहण हुआ था। एक मामला नीचे चित्रित किया गया है।

बॉक्स 3.11

अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत सहकारी समितियों के व्यय की अनियमित अनुमति का निदर्शी मामला

सीआईटी प्रभार: प्र.सीआईटी 3 पुणे

नि.व.: 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एक एओपी के निर्धारण को पूरा करते समय, कटाई तथा परिवहन (एचएंडटी) व्यय को अधिक गन्ना कीमत की अननुमति की गणना करते समय समायोजित नहीं किया गया था। आयकर विभाग द्वारा उठाया गया कदम दूसरे निर्धारती के मामले में एक समान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.60 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 180.21 करोड़¹¹⁰ के व्यय की अनियमित अनुमति दी गई।

इसके अलावा, उसी निर्धारती के मामले में, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण अधिकारी ने निर्धारती द्वारा दावा की गई दर पर गन्ना खरीद के लिए कटौती की अनुमति की बजाय एफआरपी दरों के अनुसार कटौती की अधिक राशि की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.97 करोड़ के कर सहित ₹ 11 करोड़ के गन्ना व्यय की अनियमित अनुमति दी गई। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कटौती की अनियमित अनुमति के 19 मामलों में से, छः मामलों में निर्धारती कृषि विनिर्माण में लगे हुए थे तथा एक मामले में निर्धारती बिजली तथा ऊर्जा के निर्माण में लगे हुए थे जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

110 ₹ 180.21 करोड़ = ₹ 54.52 करोड़ + ₹ 47.82 करोड़ + ₹ 57.24 करोड़ + ₹ 20.63 करोड़

तालिका 3.8: गतिविधि/व्यवसाय कोड के अनुसार अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)					
व्यवसाय कोड	गतिविधि	रिटर्न आय	निर्धारित आय	मामलों की संख्या	कर प्रभाव
101	विनिर्माण - कृषि आधारित उद्योग	0	500.86	6	30.23
114	विनिर्माण - बिजली तथा ऊर्जा	0	7.6	1	3.99
118	विनिर्माण - चीनी	(30.74)	591.90	12	73.53
कुल जोड़		(30.74)	1100.36	19	107.75

अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत चीनी निर्माण के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे हुए निर्धारितियों द्वारा अननुपालन या अयोग्य दावों की संभावना थी। आयकर विभाग अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत कटौतियों के क्षेत्रीय या गतिविधि-वार प्रभाव की निगरानी के लिए आईटीआर चरण में अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती के साथ गतिविधि कोड या व्यवसाय कोड या व्यवसाय की प्रकृति को विभाग जोड़ने तथा चीनी विनिर्माता सत्वों को लाभ पहुँचाने हेतु शुरू की गई इस कटौती के आधार पर कर अनुपालन की सीमा पर विचार कर सकता है।

संवीक्षा के तहत सभी 19 मामलों का निर्धारण किया गया था। इन मामलों में से, 14 मामलों की पूर्ण संवीक्षा के तहत ₹ 63.40 करोड़ की रिटर्न आय तथा ₹ 865.05 करोड़ की निर्धारण आय का निर्धारण किया गया है। यद्यपि कटौती के अनियमित दावे अधिनियम की धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत निर्धारितियों द्वारा प्रावधानों के दुरुपयोग के प्रयासों की सीमा को दर्शाते हैं, निर्धारण अधिकारी इन मामलों में संवीक्षा के लिए मामलों के चयन के लिए शर्तों की जाँच करने में विफल रहे जिसके कारण गलत निर्धारण हुआ तथा ₹ 96.11 करोड़ की कम वसूली हुई।

3.14 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

- पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुपालन के निर्धारण में मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा किया गया सत्यापन अपर्याप्त था। निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के दावों के समान मामलों के निर्धारण में पृथक कदम उठा रहे थे। इससे सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

- अधिनियम की धारा 36(1)(viiए), 36(1)(viii), 36(1)(xvii) तथा अधिनियम की धारा 80पी की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत कटौतियों की अनियमित अनुमति के उदाहरण थे, जहाँ पर उक्त प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं की गई जिसमें 649 मामलों में ₹ 694.50 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।
- कटौती के दावे की अननुमति के लिए मुख्य कारण में निर्धारिती थे जो या तो सहकारी समितियों के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट गतिविधियों में नहीं लगे हुए थे अथवा मुख्य गतिविधि या व्यवसाय की तुलना में छोटे अनुपात में लगे हुए थे। इससे पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित काम न करने वाले का सत्वों का मुख्य जोखिम हुआ, गलत तरीके से लाभों का दावा किया गया तथा सहकारी समितियों पर लागू प्रावधानों का संभावित दुरुपयोग हुआ।
- निर्धारण अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों तथा कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के रूप में वर्गीकृत निर्धारितियों के निर्धारणों को पूरा करते हुए अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती की अनुमति में अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं।
- संवीक्षा निर्धारण करते समय, यह देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने संवीक्षा के लिए मामलों में चयन अर्थात् अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत बड़े कटौतियों के दावों के लिए आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों की विधिवत जाँच नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अनियमित अनुमति मिली।
- जिस आय की प्रकृति पर सहकारी समितियों द्वारा कटौती का दावा किया जा रहा है, उसकी निगरानी के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। सहकारी समितियों द्वारा कटौती के दावे पर आय की अधिनियम की धारा 80पी की उपधारा के संबंध में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं करता, जिसके आधीन निर्धारिती अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती का दावा करता है।
- अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत की गई कटौती के विशिष्ट तथा वास्तविक दावे को आईटीआर के मौजूदा प्रारूप में दर्ज नहीं हो रहा है।
- सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के तौर पर कटौती के दावे का लाभ उन सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों द्वारा उठाया गया था

जो एओपी अर्थात एओपी (ट्रस्ट), कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, बीओआई, फर्म आदि के अलावा पंजीकृत थे, जो सही नहीं था।

- विभिन्न उपधाराओं में से, जिसके अंतर्गत एक सहकारी समिति/सहकारी बैंक कटौती का लाभ उठा सकता है, यह देखा गया कि अधिनियम की 80पी (2)(डी), 36(1)(viiए) तथा 80पी(2)(ए)(i) के अंतर्गत अननुपालन का अपेक्षाकृत अधिक जोखिम था जो लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं की कुल संख्या का क्रमशः 56.55 प्रतिशत, 18.18 प्रतिशत तथा 17.72 प्रतिशत था।
- बैंकिंग, क्रेडिट तथा वित्तीय सेवाओं में लगे हुए निर्धारितियों के संबंध में कटौती के अनियमित दावों की अपेक्षाकृत अधिक प्रवृत्ति थी जो पाई गई अनियमितताओं की कुल संख्या का 68.7 प्रतिशत था।

3.15 सिफारिशें

क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों के संवीक्षा निर्धारणों के दौरान पारस्परिकता के सिद्धांतों की जाँच के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है। यह सहकारी समिति के निर्धारण के लिए नियमित सदस्यों के रूप में असमान अधिकारों के साथ जुड़े हुए तथा नाम-मात्र और सहयोगी सदस्यों के पंजीकरण की प्रक्रिया को संबोधित करने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर सकता है जो पारस्परिकता के सिद्धांत को विफल करता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा (जुलाई 2020) की निर्धारण अधिकारियों को विवरण तथा दस्तावेजों को देखना चाहिए जो निर्धारण को पूरा करने की मूलभूत आवश्यकता है। हालांकि, इस मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। इसमें आगे कहा कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ई-निर्धारण योजना 2019 तैयार की है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए निर्धारण प्रक्रिया को फेसलेस बनाया गया है। गलतियों से बचने के लिए टीम आधारित निर्धारण प्रक्रिया रखी गई है जो यह सुनिश्चित करेगी कि गलतियों को खत्म करने के लिए, यदि कोई गलती है तो, निर्धारण आदेशों को पारित करने से पहले निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारणों की सही तरह से समीक्षा की गई है।

लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए जहाँ निर्धारण अधिकारी निर्धारितियों को अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की

अनुमति दे रहे थे जो सहकारी सिद्धांतों को पूरा नहीं करते थे तथा इसीलिए पारस्परिकता के सिद्धांतों की पूर्ति नहीं करते। लेखापरीक्षा का विचार है कि संवीक्षा निर्धारणों के दौरान पारस्परिकता के सिद्धांतों की जाँच के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया को तैयार करना सहकारी समितियों के निर्धारण में एकरूपता तथा स्थिरता को सरल बनाएगा।

ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय की जांच करते समय भी सहकारी समिति द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति की प्रभावी निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है जिस पर सहकारी समितियों/बैंको द्वारा कटौती दावा किया जा रहा है ताकि पात्र निर्धारितियों के दावे की अनुमति को सुनिश्चित किया जा सके।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा (जुलाई 2020) कि संवीक्षा निर्धारण के लिए मामले का चयन होने के बाद कम्प्यूटर समर्थित सवीक्षा चयन के माध्यम से निगरानी की जाती है। संवीक्षा निर्धारणों के दौरान, सहकारी समितियों/बैंको द्वारा दावा की गई कटौतियों पर आय की जांच आयकर विभाग द्वारा की जाती है। यदि बाद में लेखापरीक्षा के दौरान कोई गलती पाई जाती है तो उपयुक्त मामलों में अनुकूल उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया में इन मामलों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि गलतियाँ न हों।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कटौती के दावे की अनुमति के लिए मुख्य कारण निर्धारित थे जो या तो सहकारी समितियों के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट गतिविधियों में नहीं लगे हुए थे या मुख्य गतिविधि या व्यवसाय की तुलना में छोटे अनुपात में लगे हुए थे। इससे पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित काम न करने वाले का सत्वाँ का मुख्य जोखिम हुआ, गलत तरीके से लाभ का दावा किया गया तथा सहकारी समितियों पर प्रभावी प्रावधानों का संभावित दुरुपयोग हुआ। इसीलिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों द्वारा दावा की गई कटौती पर आय की प्रकृति की जाँच के लिए एक तंत्र तैयार पर विचार कर सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 80पी की उपधारा को ग्रहण करने के लिए आईटीआर फार्म में प्रावधान करने पर भी विचार कर सकता है जिसके तहत निर्धारित अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती का दावा करते हैं।

ग) दावों की प्रभावी निगरानी, अपात्र दावों की संभावना कम करने के लिए तथा केवल पात्र निर्धारितियों को कटौती की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारितियों के गतिविधि कोड तथा स्टेटस कोड को अधिनियम की उपधाराओं 80पी तथा 36(1) के साथ जोड़ा जा सकता है जिसके अंतर्गत आयकर रिटर्न फाइल करने के चरण पर कटौती का दावा किया जाता है। निर्धारण के दौरान जिन मामलों में अयोग्य गतिविधियों में लगे निर्धारितियों द्वारा दावा की गई कटौती को अस्वीकार कर दिया गया था, उनका उपयोग अनुवर्ती वर्षों में संवीक्षा के लिए चयन में प्राथमिकता प्रदान करने के लिए गतिविधियों, क्षेत्र और निर्धारितियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसकी सूचना संबंधित नियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को भी दी जाए।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि यह सिफारिश सीबीडीटी की टीपीएल डिविजन में विचाराधीन है।

घ) अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत की गई कटौती के वास्तविक दावे को कटौती के प्रभाव के निर्धारण, बेहतर प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस), बेहतर निगरानी के लिए आईटीआर फार्म की प्रासंगिक अनुसूची में ग्रामीण अग्रिम तथा कुल आय पर कटौती के अलग आंकड़ों/विवरणों के साथ दर्ज किया जा सकता है क्योंकि मौजूदा प्रारूप में वास्तविक दावे को दर्ज नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि यह सिफारिश सीबीडीटी की टीपीएल डिविजन में विचाराधीन है।

ड.) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि सहकारी समितियों के रूप में कटौतियों का दावा करने वाले निर्धारितियों का पैन स्टेटस केवल एओपी होना चाहिए। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों/बैंकों के विषय में निर्धारितियों की पहचान के लिए, आयकर विभाग के पास उपलब्ध डेटा से सार्थक जानकारी की सुविधा के लिए पैन पंजीकरण स्टेटस की समीक्षा तथा पैन पंजीकरण में एकरूपता सुनिश्चित कर सकती है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा (जुलाई 2020) कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए, सहकारी समितियों को व्यक्तियों का संगठन (एओपी) के रूप में माना जाता है।

लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण देखे गए जहाँ सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के तौर पर कटौती के दावे का लाभ उन सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों द्वारा लिया था जो एआपी के अलावा अर्थात् एओपी (ट्रस्ट), एजेपी, बीओआई, फर्म आदि के तौर पर पंजीकृत थे, जो नियमानुसार नहीं हैं। लेखापरीक्षा का विचार है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी क्षेत्र के विषय में निर्धारितियों के पैन पंजीकरण में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा सहकारी समितियों को स्वीकार्य कटौती की अनुमति को केवल एओपी के तौर पर पंजीकृत निर्धारितियों को देना सुनिश्चित करने के लिए पैन पंजीकरण स्टेटस की समीक्षा कर सकती है।

च) अधिनियम के अंतर्गत धाराओं तथा निर्धारितियों के वर्गों, जहाँ दावों की अनियमित अनुमति की संभावना अधिक थी, की पहचान तथा निगरानी की जानी चाहिए। आयकर विभाग कटौतियों की अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्धारण अधिकारियों के उपायो के लिए उसकी रूपरेखा की एक जाँच सूची तैयार कर सकता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि सिफारिशों पर सहकारी समितियों के निर्धारण के संबंध में जारी किए गए प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया में विचार किया जाएगा।

छ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समान स्थितियों में समान कानून को लागू करने में व्यापक भिन्नताओं के कारणों की जाँच कर सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो, सहकारी क्षेत्र में समान गतिविधियों में लगे हुए निर्धारितियों के समान वर्ग के निर्धारण में एकरूपता तथा अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नियामक निकायों के अनुसार सहकारी बैंकों की संरचना के तहत वर्गीकरण के अनुसार ऐसे निर्धारितियों के निर्धारण को संरेखित करने के लिए नियामक निकायों के साथ समन्वय भी कर सकता है। निर्धारण प्रक्रिया के दौरान देखे गए सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न अपात्र निर्धारितियों को स्वीकार्य कटौती का दावा करने वाले अयोग्य निर्धारण के मामलों की सूचना नियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को दी जाए।

ज) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए कि कटौती की अनुमति केन्द्रीय और राज्य स्तर पर चीनी के मूल्य निर्धारण के संबंध में सरकारी नीतियों के अनुसार हो, धारा 36(1)(xvii) के तहत चीनी विनिर्माण सहकारी समितियों द्वारा किए गए दावों के निर्धारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर सकता है।

अध्याय 4: सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के निर्धारण से संबंधित अनुपालन मुद्दे

निष्पादन लेखापरीक्षा सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों द्वारा निर्धारण प्रक्रिया के दौरान अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अनुपालन की प्रकृति तथा सीमा की जाँच को परिकल्पित करता है।

सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के संबंध में निर्धारण अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में कटौतियों की गलत अनुमति, निर्धारण की गुणवत्ता, निर्धारण से छूट गई आय आदि से सम्बंधित गलतियों को देखा। यह अध्याय उपरोक्त निर्धारितियों के संबंध में निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारियों द्वारा संबंधित नियमों/न्यायिक घोषणाओं तथा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों को लागू करने में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा मामलों की कार्यवाही से संबंधित है। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग में आन्तरिक नियंत्रण की कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।


सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान 8,470 मामलों के नमूने शामिल किए गए, जिसमें लेखापरीक्षा ने 730 मामलों का अवलोकन किया जिसमें ₹ 12,198.18 करोड़ के कर प्रभाव सहित अधिनियम के सामान्य प्रावधान संकलित नहीं थे। निर्धारण तथा तदनुसार कर प्रभाव में देखी गई गलतियों को तालिका 4.1 में संक्षेपित किया गया है। इस संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

तालिका 4.1 निर्धारण में पाई गई गलतियों के प्रकार

क्र. सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की प्रकृति	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1	ब्याज/शास्ति आदि के उद्ग्रहण में गलतियां	277	40.49
2	व्यय, कटौतियों आदि की अनियमित अनुमति	184	376.07
3	आय, कर, अधिभार आदि की गणना में गलतियां	104	1315.93
4	आय का निर्धारण नहीं किया गया/कम निर्धारण किया गया	43	22.24
5	टीडीएस प्रावधानों से संबंधित गलतियां	38	45.63
6	हानि आदि का अनियमित समंजन	36	147.89
7	मूल्यहास की गलत अनुमति	22	54.64
8	निर्धारण के दौरान अन्य गलतियां	12	1.12
9	आय/अधिप्रभार आदि का अधिनिर्धारण	11	577.95
10	बेहिसाबी निवेश/व्यय आदि	4	9616.23
	कुल	730	12,198.18

4.1 सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के निर्धारण में अनियमितताओं की रूपरेखा

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के निर्धारण में अनियमितताओं का राज्य/क्षेत्र वार विवरण चार्ट 4.1 में नीचे दर्शाया गया है:



सहकारी समितियों/सहकारी बैंको के निर्धारणों के पैन पंजीकरण श्रेणी विवरण के अनुसार, लेखापरीक्षा में एजेपी, एओपी (ट्रस्ट), बीओआई, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी तथा कम्पनी के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के संबंध में अनियमितताओं (अनियमितताओं का 20.7 प्रतिशत) के उदाहरण देखे। जैसा कि इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में बताया गया है, आयकर विभाग सहकारी क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा कर अनुपालन की प्रभावी निगरानी को सहज बनाने तथा आयकर विभाग के पास करदाताओं रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के समान वर्ग के पैन पंजीकरण श्रेणी में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों/सहकारी बैंको के तौर पर आय कर रिटर्न फाइल करने वाले निर्धारितियों के पैर पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा कर सकता है।

जैसा की सहकारी समितियों/सहकारी बैंको के निर्धारणों के गतिविधि वार विवरण में देखा गया है, लेखापरीक्षा में बैंकिंग, साख तथा वित्तीय सेवाओं से जुड़े निर्धारितियों के निर्धारण में अनियमितताओं का 67.6 प्रतिशत देखा गया, जिसके बाद कृषि तथा संबंध गतिविधियों, व्यापार, डेयरी व्यवसाय, आवास/नागरिक निर्माण तथा चीनी के विनिर्माण में लगी हुई समितियों में क्रमशः 6.3 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत तथा 3.3 प्रतिशत अनियमितताएं देखी गई। आयकर विभाग सहकारी समितियों और बैंको के संबंध में सही निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग, साख तथा वित्तीय सेवा क्षेत्रों पर अधिक जोर देने के साथ ऐसी अनियमितताओं के कारणों की समीक्षा कर सकता है।

730 मामलों में, जहाँ लेखापरीक्षा में कटौती की अनुमति में गलतियाँ देखी गई, 539 मामलों का (73.8 प्रतिशत) संवीक्षा के अर्थात् अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण किया गया। 543 संवीक्षा निर्धारण मामलों में से, 364 मामलों में संवीक्षा पूरी की गई थी तथा 98 में यह सीमित¹¹¹ थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 465 मामलों में से, जहाँ चयन के लिए मापदंडों का ब्यौरा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध था, 131 मामले में अधिनियम की धारा 80पी के तहत क्रमशः ₹ 193.93 करोड़ तथा ₹ 172.75 करोड़ की कटौती की अनुमति तथा दावा शामिल थे, जाँच के लिए मामले के चयन का मापदंड “अध्याय VI-ए के तहत दावा की गई बड़ी कटौती” के कारण था जिसमें धारा 80पी शामिल थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में निर्धारिती अधिकारियों द्वारा कई जोखिम मापदण्डों पर आधारित विस्तृत जाँच के अनुसार किए गए निर्धारणों के

111 आठ मामलों में चयन के प्रकार की मैन्युअल संवीक्षा की गई थी जबकि 69 मामलों में संवीक्षा के प्रकार का विवरण सुनिश्चित करने योग्य नहीं था।

बावजूद और अनियमितताएं पाई गई। गलत निर्धारण के ये उदाहरण आय की पात्रता की अपर्याप्त जाँच तथा निर्धारण के दौरान दावों की स्वीकार्यता की ओर इशारा करते हैं।

4.2 आय, कर, अधिभार इत्यादि की गणना में गलतियां

सहकारी समितियों के मामले में उद्ग्राह्य आयकर प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के वित्त अधिनियम के लिए पहली अनुसूची के भाग-III के पैरा बी के तहत निर्दिष्ट किया गया था। सहकारी समितियां, जिनकी कुल आय एक करोड़ से ज्यादा थी, के संबंध में आयकर पर अधिभार भी निर्दिष्ट दर पर उद्ग्राह्य था। निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए अधिभार 10 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राह्य है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति जो निवासी है, के पिछले वर्ष की कुल आय, जो भी प्राप्त की गई है या उस व्यक्ति की ओर से भारत में प्राप्त होने वाले या उस स्रोत से प्राप्त की गई सभी आय शामिल हैं; या उस वर्ष के दौरान भारत में उसे उपार्जित करने या उत्पन्न करने के लिए उपार्जित या उत्पन्न किया जाता है, या समझा जाता है।

निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी कर निर्धारणों में गलतियां की। गलत निर्धारणों के इन मामलों में आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय गलतियां, कर तथा अधिभार को गलत दरों पर लागू करना आदि आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रण में कमी दर्शाता है जिन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में 13 राज्यों¹¹² के 104 मामलों में पाया गया कि जहां आय, कर की गणना में गलतियां तथा कर और अधिभार के गलत दरों में लागू करने से ₹ 1,351.93 करोड़ के कर की कम उगाही हुई थी। दो मामलों को नीचे चित्रित किया गया है (बॉक्स 4.1 देखें)।

बॉक्स 4.1: कर, अधिभार आदि की गणना में गलतियों का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्र.सीआईटी, फैजाबाद

नि.व.: 2015-16 और 2016-17

निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए, एक एओपी, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ 333.57 करोड़ तथा ₹ 143.96 करोड़ की आय का निर्धारण फरवरी 2018 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि कर माँग की गणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया था हालांकि वही नि.व. 2015-16 के लिए 10 प्रतिशत की दर पर

112 आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना राज्य, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम

तथा नि.व. 2016-17 के लिए 12 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राह्य था। इसके परिणामस्वरूप नि.व. 2015-16 तथा नि.व. 2016-17 के लिए ब्याज सहित क्रमशः ₹13.91 करोड़ तथा ₹ 6.57 करोड़ का कम उदग्रहण किया गया। आयकर विभाग ने लेखापरीखा आपत्ति को स्वीकार किया। आयकर विभाग ने सूचित किया (मार्च 2020) कि दोनों निर्धारण वर्षों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली गई थी (दिसम्बर 2019)।

ख) प्रभार: प्र.सीआईटी, रोहतक

नि.व.: 2014-15

एक निर्धारिती एओपी का संवीक्षा निर्धारण नवम्बर 2016 में ₹ 1.29 करोड़ की आय निर्धारित कर पूरा कर लिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि निर्धारिती ने बैलेंस शीट में अतिदेय ब्याज रिजर्व अकाउंट ₹ 0.70 करोड़ तक कम कर दिया था। हालांकि, किसी भी अशोध्य तथा संदिग्ध कर्ज को बट्टे खाते में नहीं डाला गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.24 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 0.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

कर तथा अधिभार को गलत दरों में लागू करना तथा आय व कर आदि की गणना में अंकगणितीय गलतियाँ निर्धारण प्रक्रिया तथा आयकर विभाग के आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर इशारा करता है जिन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है। आयकर विभाग कर, अधिभार इत्यादि की गणना में ऐसी गलतियों के लिए कारणों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा कर सकता है।

4.3 ब्याज/शास्ति के उद्ग्रहण की गलतियां

लेखापरीक्षा ने देरी से फाइल किए गए रिटर्न के लिए प्रभारित ब्याज की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारणों की जाँच की, जहाँ ऐसे निर्धारितियों द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के नब्बे प्रतिशत से कम था या भुगतान किया गया अग्रिम कर रिटर्न आय पर देय कर के निर्धारित प्रतिशत से कम था या अधिनियम की धारा 143(1) के तहत वापस की गई राशि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित निर्धारण पर वापस करने योग्य राशि के अधिक है। लेखापरीक्षा ने 16 राज्यों¹¹³ के 277 मामलों में पाया कि आयकर विभाग ने इस अधिनियम के

113 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम

प्रावधानों के अनुसार ब्याज नहीं लगाया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.49 करोड़ के ब्याज का कम प्रभार/शास्ति का अनुद्ग्रहण हुआ। तीन मामलों को नीचे चित्रित किया गया है (बॉक्स 4.2 और 4.3 देखें)।

4.3.1 ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ/ब्याज की वसूली में गलतियाँ

इस अधिनियम में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234ए में निर्दिष्ट दरों और निर्दिष्ट समयावधि के लिए किया गया आय की विवरणी को प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 234बी में निर्दिष्ट दरों और निर्दिष्ट समयावधि में अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234सी में निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए अग्रिम कर की किशतों के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में ₹ 26.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले 101 मामले देखे गए जहां आय की विवरणियों को प्रस्तुत न करने या प्रस्तुत करने में देरी के कारण ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ, अग्रिम कर के भुगतान में चूक, अग्रिम कर की किशतों के भुगतान में चूक, आयकर विभाग द्वारा की गई कर मांग के भुगतान में चूक आदि था। दो मामलें बॉक्स 4.2 में चित्रित है।

बॉक्स 4.2: ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियों का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्र. सीआईटी 2, जोधपुर, राजस्थान

नि.व.: 2014-15

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण दिसम्बर 2016 में ₹ 88.66 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने नवम्बर 2014 में नि.व. 2014-15 के लिए आय का अपना रिटर्न फाइल किया था, जो रिटर्न फाइलिंग की नियत तिथि से दो महीने की देरी से था। कर मांग की गणना करते समय, ब्याज जो विलंबित अवधि के लिए अधिनियम की धारा 234ए(1) के तहत प्रभारित किया जाना अपेक्षित था, प्रभारित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए के तहत ₹ 0.10 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2018) और अधिनियम की धारा 154 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।

ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, भोपाल

नि.व.: 2014-15

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण नवम्बर 2016 में ₹ 111.47 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती अधिकारी द्वारा कर मांग की गणना करते समय अधिनियम की धारा 234सी के तहत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 0.46 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 234बी के तहत ब्याज का ₹ 0.13 करोड़ तक कम उद्ग्रहण भी हुआ था। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धाराओं 234बी और 234सी के तहत ₹ 0.58 करोड़ के ब्याज का कुल कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

4.3.2 शास्ति के उद्ग्रहण में गलतियां

अधिनियम की धारा 269एसएस यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बैंक ड्राफ्ट/खाता प्राप्तकर्ता बैंक चेक के अलावा ₹ 20,000 से अधिक कोई ऋण/जमा प्राप्त/स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रावधान के उल्लंघन में अधिनियम की धारा 271डी के तहत शास्ति ऐसे ऋण/जमा के बराबर राशि पर उद्ग्रहण की जाएगी। अधिनियम की धारा 269टी प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बैंक ड्राफ्ट/खाता प्राप्तकर्ता चेक के अलावा ₹ 20,000 से अधिक कोई ऋण/जमा का पुनर्भुगतान नहीं करेगा तथा इस प्रावधान के उल्लंघन में, अधिनियम की धारा 271ई के तहत पुनर्भुगतान की गई राशि के समान शास्ति लगाई जाएगी।

लेखापरीक्षा ने ₹ 13.82 करोड़ के कर प्रभाव वाले 176 मामलों देखे जहाँ निर्दिष्ट प्रणाली में ऋणों या जमा के पुनर्भुगतान या स्वीकार्यता के संबंध में अधिनियम के तहत प्रावधानों के उल्लंघन के कारण शास्ति के उद्ग्रहण में गलतियां थीं। बॉक्स 4.3 में एक मामला चित्रित किया गया है।

बॉक्स 4.3: शास्ति के उद्ग्रहण में गलतियों का निदर्शी मामला

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-5, अहमदाबाद

नि.व.: 2013-14

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण अक्टूबर 2015 में ₹ 0.53 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि निर्धारिती ने एक खाता प्राप्तकर्ता चेक या खाता प्राप्तकर्ता बैंक ड्राफ्ट के अलावा ₹ 0.88 करोड़ के ऋण या जमा

को स्वीकार किया था जैसाकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सीए द्वारा प्रतिवेदित किया गया था परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई शास्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.88 करोड़ की शास्ति का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

निर्धारण अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों के कारण शास्ति तथा ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों के कारण ब्याज/शास्ति की परिहार्य हानि हुई, जिन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है। आयकर विभाग ब्याज तथा शास्ति के उद्ग्रहण में ऐसी गलतियों के लिए कारणों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा कर सकता है।

4.4 व्यय, कटौतियों आदि की अनियमित अनुमति

उप-धारा (2) के प्रावधानों की दशा में, अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अनुसार, कोई अशोध्य ऋण या उसके हिस्से की राशि, जो पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की राशि अशोध्य के रूप में बड़े खाते में डाली जाती है। बशर्ते एक निर्धारिती के मामले में जहाँ खंड (vii)ए लागू होता है, किसी ऐसे ऋण या उसके हिस्से से संबंधित कटौती की राशि ऐसी राशि तक सीमित होगी जिस तक ऐसा ऋण या उसका हिस्सा इस खंड के बनाए गए अशोध्य व सदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों में क्रेडिट बैलेस से ज्यादा है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 37(1) के अनुसार, कोई व्यय (अधिनियम की धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का व्यय न होने तथा निर्धारिती के पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का न होना) पूरी तरह से या विशेष रूप से व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए खर्च किए गए “व्यवसाय या पेशे के लाभ तथा मुनाफे” के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना में अनुमति दी जाएगी।

अधिनियम की धारा 43बी के अनुसार कुछ सांविधिक व्ययों का केवल भुगतान के वर्ष में ही दावा किया जा सकता है।

अधिनियम के तहत निर्दिष्ट प्रावधान अधिनियम के तहत विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के विषयाधीन विभिन्न कटौतियों तथा व्ययों के दावे के लिए निर्धारिती को अनुमति देता है। यदि इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो संबंधित व्यय/कटौतियों को अनुमति न देने जाना अपेक्षित है तथा निर्धारिती अधिकारियों द्वारा कर योग्य आय को वापिस जोड़ा जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा ने 17 राज्यों¹¹⁴ में 184 मामलों देखे गए जहाँ एओ ने

114 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एनडब्ल्यूआर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल

₹ 376.07 करोड़ के कर प्रभाव सहित व्ययों तथा कटौती की अनियमित अनुमति दी। दो मामलों को अगले पृष्ठ पर चित्रित किया गया है:

बॉक्स 4.4: व्यय, कटौती आदि की अनियमित अनुमति का निदर्शी मामला।

क) प्रभार: प्र. सीआईटी-त्रिशूर

नि.व.: 2015-16

एओपी के तौर पर निर्धारित एक सहकारी बैंक, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 2.40 करोड़ की आय पर नवम्बर 2017 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अशोध्य तथा सदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए ₹ 1.40 करोड़ की राशि की पूरी आय की गणना करते समय कटौती की गई थी जिसके लिए लाभ तथा हानि खाते में कोई क्रेडिट प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी। यह अधिनियम के प्रावधान के तहत एक अनुमति योग्य कटौती नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ की आय की कम गणना तथा ₹ 0.65 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि अधिनियम की धारा 154 के तहत नोटिस जारी किया गया था (अगस्त 2019)।

ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-2, कोल्हापुर

नि.व.: 2016-17

एक एओपी के तौर पर निर्धारित एक सहकारी बैंक, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण, दिसम्बर 2018 में ₹ 16.73 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि निर्धारिती ने नि.व. 2015-16 के लिए कर्मचारियों के बोनस/कमीशन के लिए अग्रणीत भत्ते के रूप में ₹ 2.22 करोड़ की कटौती का दावा किया था तथा उसे निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई थी। कटौती की राशि को न तो गणना में, न ही रिपोर्ट में दर्शाया गया था, इसके अतिरिक्त उसे उस वर्ष की कुल आय में भी वापिस नहीं जोड़ा गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 2.22 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

आयकर विभाग अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद कटौतियों तथा व्यय अस्वीकार्य दावों तथा मदों की अनियमित अनुमति के कारणों की समीक्षा कर सकता है। आयकर विभाग निर्धारण अधिकारी द्वारा गलती से अनुमति दी गई कटौतियों तथा व्यय की ऐसी मदों की पहचान कर सकता है तथा दावों व कटौतियों के निर्धारण के दौरान ऐसी अनियमितताओं की

पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए उसकी एक चेकलिस्ट तैयार कर सकता है।

4.5 टीडीएस प्रावधानों से संबंधित गलतियां

अधिनियम की धारा 40(ए)(i) के प्रावधान के तहत, ब्याज का कोई भुगतान, कमीशन या ब्रोकरेज, किराया, रॉयल्टी, पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, जिस पर अध्याय XVII-बी के तहत स्रोत पर कर कटौती की जाती है तथा इस तरह से कर में कटौती नहीं की गई है या कटौती के बाद भुगतान नहीं किया गया है, व्यवसाय या पेशे के शीर्ष लाभ तथा मुनाफे के तहत प्रभार्य आय की गणना करने में कटौती नहीं की जाएगी।

लेखापरीक्षा में ब्याज, कमीशन या ब्रोकरेज, किराया, रॉयल्टी, पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, जिस पर कर की कटौती अध्याय XVII-बी के तहत स्रोत पर की जानी है, के भुगतान पर टीडीएस की कटौती सुनिश्चित करने के लिए मामलों की जांच की गई थी। लेखापरीक्षा में 8 राज्यों¹¹⁵ के 38 मामलों पाए गए, जहाँ निर्धारिती ने टीडीएस नहीं काटा है या गलत तरीके से अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन करते हुए काटा गया है जिससे ₹ 45.63 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ है। मामलों में से एक नीचे चित्रित किया गया है (बॉक्स 4.5 देखें):

बॉक्स 4.5: अधिनियम की धारा 40(ए)(i) के तहत व्यय की अनियमित अनुमति का निदेशी मामला

क) प्रभार: प्र. सीआईटी-मुजफ्फरपुर

नि.व.: 2014-15

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 176.93 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि निर्धारिती ने जीएमडीएस एजेंट को ₹ 2.75 करोड़ की राशि के कमीशन का भुगतान किया गया था। चूंकि भुगतान किए गए कमीशन पर टीडीएस नहीं काटा गया था, उसे कुल आय में वापिस जोड़ने की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 2.75 करोड़ की कम गणना की गई। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है। (जून 2020)।

टीडीएस की कटौती न करने या टीडीएस की गलत कटौती पर कर का अनुद्ग्रहण निर्धारण अधिकारियों द्वारा चूक की ओर इशारा करता है जिससे

115 बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान

कर की अपरिहार्य हानि हुई, जिसे सम्बोधित करने की आवश्यकता है। आयकर विभाग ऐसी गलतियों के लिए कारणों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा का सकता है।

4.6 निर्धारण से छूटी हुई आय

अधिनियम की धारा 143(3) में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी, लिखित में आदेश के द्वारा निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा तथा किसी ऐसे साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्धारण के आधार पर उसको देय राशि का प्रतिदाय या उसके द्वारा देय किसी राशि का निर्धारण करता है जो निर्धारिती प्रस्तुत करता है तथा ऐसे अन्य साक्ष्यों जिनकी निर्धारण अधिकारी को उसके द्वारा एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के बाद विशेष बिंदुओं पर आवश्यकता हों।

लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित करने के लिए मामलों की जांच की गई थी कि क्या कुल आय, कर तथा ब्याज की गणना करते समय निर्धारण के दौरान दावों और भत्तों की जांच की गई थी। लेखापरीक्षा ने 6 राज्यों¹¹⁶ में 43 मामलों देखे जहाँ आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम में दी गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए पिछले वर्षों के रिटर्न/ निर्धारित आय/अनावशोषित मूल्यहास अग्रोणित हानियों की जांच के बिना व्यय की अनुमति दी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22.23 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। दो मामलों बॉक्स 4.6 में नीचे चित्रित किए गए हैं:

बॉक्स 4.6: निर्धारण से छूटी हुई आय का निर्दर्शी मामला

क) प्रभार: प्र.सीआईटी-हबली, कर्नाटक
नि.व.: 2015-16

यह मामला संवीक्षा निर्धारण के लिए चुना नहीं गया था तथा अधिनियम की धारा 143(1) के तहत शून्य आय पर संसाधित किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओपी के तौर पर निर्धारित एक सहकारी समिति, निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 80पी के तहत ₹ 8.48 करोड़ की कटौती का दावा किया था तथा उसे अनुमति दी गई थी। आगे यह भी देखा गया था कि निर्धारिती को इस वर्ष को छोड़कर अन्य वर्षों के लिए संवीक्षा के लिए चयनित किया गया था तथा अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती का निर्धारिती द्वारा नियमित तौर पर दावा किया जा रहा था तथा निर्धारण के दौरान नियमित तौर पर अननुमति दी गई थी। इस प्रकार, संवीक्षा निर्धारण के लिए मामले का चयन न

116 दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और गोवा, एनडब्ल्यूआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश

होने से ₹ 3.57 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 8.48 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति दी गई। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

ख) प्रभार: प्र.सीआईटी, करनाल

नि.व.: 2014-15

एओपी के तौर पर निर्धारित एक पीएसीएस, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 0.55 करोड़ की हानि पर अगस्त 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली उपयोग कर रहा था परन्तु वर्ष के दौरान बकाया अतिदेय ब्याज राशि ₹ 7.70 करोड़ को लाभ तथा हानि खाते में नहीं डाला गया था, न ही आय की गणना के समय इसे जोड़ा गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.38 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 7.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

निर्धारण के दौरान दावों तथा अनुमतियों का सत्यापन न करना निर्धारण अधिकारियों द्वारा की गई चूको की ओर इशारा करता है जिससे कर की परिहार्य हानि हुई, जिसे सम्बोधित करने की आवश्यकता है। आयकर विभाग ऐसी चूकों के लिए कारणों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा कर सकता है।

4.7 मूल्यहास की गलत अनुमति

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धार 32(i) के अनुसार, निर्धारिती द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वाधिकृत, मूर्त परिसंपत्तियों के नाते भवनों, मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर के डब्ल्यूडीवी पर निर्दिष्ट दरो पर मूल्यहास अनुमति योग्य है तथा व्यवसाय या पेशे के लिए उपयोग की जाती है।

लेखापरीक्षा ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा विषयाधीन मूल्यहास की अनुमति में शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मामलों की जाँच की। लेखापरीक्षा ने 9 राज्यों¹¹⁷ के 22 मामलों देखे जहाँ आयकर विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत मूल्यहास की गलत अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 153.91 करोड़ की आय का कम निर्धारण तथा ₹54.64 के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। दो मामलों को नीचे बॉक्स 4.7 में चित्रित किया गया है:

117 गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु।

बॉक्स 4.7: कटौती की गलत अनुमति का निदर्शी मामला

क) प्रभार: प्रसीआईटी 1, मुम्बई

नि.व.: 2014-15

एक एओपी के तौर पर निर्धारित एक सहकारी बैंक, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 176.24 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने साख पर मूल्य हास का दावा किया था तथा मूल्यहास की अनुमति दी गई थी। हालांकि, ऐसा कोई मूल्याहास बही में डेबिट नहीं किया गया था इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.39 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 121.75 करोड़ के मूल्याहास की गलत अनुमति दी गई थी। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

ख) प्रभार: प्र.सीआईटी 4, अहमदाबाद

नि.व.: 2014-15

एक एओपी, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण, ₹ 11.72 करोड़ की रिटर्न आय को स्वीकारते हुए दिसम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला था कि निर्धारिती ने ₹ 1.59 करोड़ के मूल्य के वाणिज्यिक वाहनों अर्थात् टैंकरों तथा कारों की खरीद पर ₹ 0.30 करोड़ के अतिरिक्त मूल्यहास का दावा किया था। निर्धारण में अनुमत दावे के कारण ₹ 0.30 करोड़ का कम-निर्धारण तथा ₹ 0.15 करोड़ के कर का कम-उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने उत्तर में कहा कि उपरोक्त परिसंपत्तिया ब्लाक प्लांट तथा मशीनरी के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इन्हे अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति प्राप्त है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम के प्रावधान परिवहन वाहनों के अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं तथा इनका उपयोग किसी अन्य मद या वस्तु के निर्माण में नहीं किया जाता।

मूल्यहास की गलत अनुमति निर्धारण अधिकारियों द्वारा चूक के प्रति संकेत करती है जिसके कारण कर की परिहार्य हानि हुई जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा कर सकता है।

4.8 हानि का अनियमित समंजन

अधिनियम की धारा 72(1) के अनुसार जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए, शीर्ष "कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ" के तहत गणना का निवल परिणाम निर्धारिती को हानि होती है, जो सट्टे के कारोबार में उठाई गई हानि न होने के नाते होती है और इस तरह की हानि धारा के प्रावधानों के अनुसार आय के किसी शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति पूरी तरह से समंजित नहीं हो सकती है या समंजित नहीं की जाती, इतनी हानि जिसका अभी तक समंजन नहीं किया गया है, या जहां उसे किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत कोई आय नहीं है, वहां पूरी हानि, इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत, और इसका उसके द्वारा किए गए किसी कारोबार या व्यवसाय और उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धार्य लाभों और अभिलाभों, यदि कोई हों, के प्रति समंजन किया जाएगा; यदि हानि का पूर्ण रूप से इस प्रकार समंजन नहीं किया जा सकता तो इस प्रकार समंजन न की गयी हानि की राशि को आगामी निर्धारण वर्ष और इस प्रकार अग्रणीत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और अध्यधीन हानि में समंजन की अनुमति में शुद्धता का पता लगाने के लिए मामलों की जांच की। लेखापरीक्षा में 11 राज्यों¹¹⁸ में 36 मामलों को देखा गया, जहां आयकर विभाग ने इस अधिनियम के प्रावधानों के विरोधाभास में हानि के समंजन की गलत तरीके से अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 147.89 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था। नीचे दिए गए बॉक्स 4.8 में दो मामलों का वर्णन किया गया है:

बॉक्स 4.8: अधिनियम की धारा 72(1) के अंतर्गत हानि के अनियमित अग्रणीत किए जाने का उदहारण

क) प्रभार: पीसीआईटी-पंचकुला

निर्धारण वर्ष: 2016-17

निर्धारिती एक एओपी (ट्रस्ट) का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 14.08 करोड़ की आय पर में पूरा हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2016-17 में निर्धारिती ने ₹ 14.08 करोड़ की कारोबार हानि को समायोजित करने के बाद ₹ 0.02 करोड़ की आय दर्शाई थी। हालांकि, निर्धारिती ने ₹ 56.70 करोड़ की कुल अग्रणीत हानि को दिखाया था, जिसमें से उसने निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 14.08 करोड़ की समायोजित हानि और के दौरान ₹ 42.61 करोड़ की अग्रणीत हानि का लाभ उठाया था। लेकिन, वर्ष

118 बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16, के लिए निर्धारण आदेश के अनुसार ₹ 3.37 करोड़ की वास्तविक निर्धारित हानि निर्धारण वर्ष 2014-15 के हिसाब में ली गयी थी। इस प्रकार, निर्धारिती को ₹ 14.08 करोड़ की अग्रोनयन हानि का अतिरिक्त लाभ मिला, जिसके परिणामस्वरूप कर ₹ 6.48 करोड़ था और ₹ 42.61 करोड़ की अग्रणीत हानि हुई। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

ख) प्रभार: पीआरसीआईटी-1, पटना, बिहार

निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती, एक एओपी, का निर्धारण अधिनियम की धारा 143(3) के अन्तर्गत दिसंबर 2016 में अधिनियम की धारा 40(ए)(i) के अन्तर्गत ₹ 11.86 करोड़ और धोखाधड़ी और डकैती के प्रावधान को वापस जोड़ने के कारण ₹ 0.49 करोड़ के वर्धन के बाद ₹ 10.76 करोड़ की हानि पर पूरा किया। यह देखा गया कि निर्धारिती की निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 86.06 करोड़ की आय थी, हालाँकि निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए दाखिल की गयी ₹ 109.17 करोड़ की रिटर्न की हानि के आधार पर ₹ 109.17 करोड़ की हानि के समंजन के बाद ₹ 23.11 करोड़ की हानि पर आय (नवंबर 2014) की विवरणी दाखिल की गई थी। निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण अभिलेखों के सहसंबंध में निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारण वर्ष 2013-14 की निर्धारित आय ₹ 16.35 करोड़ थी और इसलिए, समंजन के लिए निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए कोई हानि उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2013-14 से संबंधित ₹ 109.17 करोड़ की हानि का दावा किया था और निर्धारण अधिकारी ने उसे अनुमत किया और ₹ 10.76 करोड़ की हानि पर निर्धारित आय अवधारित की थी। इसके अलावा, कर मांग की गणना करते समय ₹ 10.76 करोड़ की हानि को ₹ 10.76 करोड़ की आय के रूप में लिया गया। त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 87.65 करोड़ (₹ 98.41 करोड़ - ₹ 10.76 करोड़) की आय की कम संगणना हुई और ₹ 33.74 करोड़ के कर और ब्याज का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

हानियों के समंजन की गलत अनुमति निर्धारण अधिकारियों द्वारा चूक की ओर इंगित करती है, जिसके कारण कर की परिहार्य हानि हुई जिसे सम्बोधित करने की आवश्यकता है। ऐसी त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा कर सकता है।

4.9 अस्पष्टीकृत निवेश / व्यय आदि

अधिनियम की धारा 68 में अनुबद्ध है कि जहां किसी भी राशि को एक निर्धारिती की पुस्तक में जमा किया पाया जाता है और निर्धारिती इसके स्वरूप और स्रोत के बारे में कोई उल्लेख नहीं करता है या उसके द्वारा प्रस्तुत उल्लेख संतोषजनक नहीं है, इस प्रकार साख की गयी राशि को निर्धारिती की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभारित किया जा सकता है ताकि दावे का समर्थन करने के लिए समर्थक दस्तावेज के साथ ऋणदाताओं की पहचान, साख और संव्यवहारों की यथार्थता स्थापित की जा सके। अधिनियम की धारा 69 के अनुसार, जहां निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्धारिती ने निवेश किया है जो उन लेखा पुस्तकों यदि कोई है, में दर्ज नहीं किया गया है, जिनका आय के किसी भी स्रोत के लिए उसके द्वारा रखरखाव किया गया है, और निर्धारिती निवेश के स्वरूप और स्रोत के बारे में कोई उल्लेख नहीं करता है या उसके द्वारा किया गया उल्लेख अधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं है, तो निवेश के मूल्य को ऐसे वित्तीय वर्ष की निर्धारिती की आय माना जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने 3 राज्यों¹¹⁹ में 4 मामलों को देखा, जहां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण पूरा करते समय आयकर विभाग ने अस्पष्टीकृत नकद साख और अस्पष्टीकृत निवेश को हिसाब में नहीं लिया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9,616.23 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था। नीचे दिए गए बॉक्स 4.9 में दो मामलों का उदाहरण दिया गया है:

बॉक्स 4.9: अधिनियम की धारा 68 और 69 के अन्तर्गत अद्योषित निवेश/व्यय का उदाहरण

क) प्रभार: पीसीआईटी-1 लखनऊ

निर्धारण वर्ष: 2013-14

एओपी के रूप में निर्धारण किए गए निर्धारिती, एक क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी का संवीक्षा निर्धारण, कुल ₹ 5,222.52 करोड़ की आय अवधारित करने हुए मार्च 2016 में पूरा किया गया। निर्धारण अधिकारी ने बताया कि सदस्यों से प्राप्त ₹ 17,877.54 करोड़ के जमा का स्रोत और ₹ 327.75 करोड़ के शेयरधारक की निधि का स्रोत पूरी तरह से सत्यापन योग्य नहीं था। निर्धारण आदेश के पैरा 5 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती शेयरधारकों के 33 मामलों में लेन-देन की क्रेडिट योग्यता या वास्तविकता साबित करने में सक्षम नहीं था, जिन्होंने ₹ 5.00 लाख और उससे अधिक का अंशदान किया था और उनके पास शेष 4016150 (4016183-33)

119 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश

शेयरधारकों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए, ₹ 17877.54 करोड़ की जमा राशि पर 25 प्रतिशत और ₹ 327.75 करोड़ के शेयरधारकों की निधि क्रमशः ₹ 4,469.38 करोड़ और ₹ 81.94 करोड़ का अस्पष्टीकृत नकद ऋण निकालने के लिए 25 प्रतिशत लागू करना अनियमित था।

चूंकि निर्धारण अधिकारी सदस्यों या शेयरधारकों की निधि से किसी भी पहचान, साख पात्रता या जमा के लेन-देन की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसे ₹ 17877.54 करोड़ की निवल जमा संग्रहण राशि और ₹ 327.75 करोड़ के शेयरधारकों की निधि को अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत अस्पष्टीकृत नकद साख के रूप में मानना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13,653.96 करोड़ के अस्पष्टीकृत नकद साख की कम संगणन हुई और अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत 36 महीनों के लिए ₹ 1,518.87 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 5,737.94 करोड़ के कर का परिणामी कम प्रभार हुआ। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

ख) प्रभार: पीसीआईटी- I, भोपाल

निर्धारण वर्ष: 2015-16

एओपी के रूप में निर्धारण की गई एक सहकारी समिति, एक निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2017 में ₹ 195.70 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए पूरा किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने कारोबार के अनुपात के लिए निवल लाभ और समिति द्वारा किए गए भुगतान पर टीडीएस की कटौती न करने के लिए संवीक्षा के दौरान सीमित जांच की।

2013-14 में ₹ 105.97 करोड़ से ₹ 8,161.10 करोड़ तक समिति की वस्तुओं के प्रति सदस्यों के अंशदान की प्राप्ति में अत्यधिक वृद्धि के सम्बन्ध में पर्याप्त रैंड फ्लैग के बावजूद, अधिनियम की धारा 194एच के तहत टीडीएस की कटौती के बिना, नए सदस्यों को जोड़ने के लिए कमीशन के रूप में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं/ सदस्यों को ₹ 648.47 करोड़ का भुगतान; 'अन्य चालू' परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत 'अन्यों को अग्रिम' के रूप में संवितरित 7,124.67 पर अर्जित अथवा उपचित ब्याज को लेखांकन न करने और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 580.09 करोड़ की राशि के समिति द्वारा गैर चालू निवेशों के बावजूद निर्धारण अधिकारी ने अस्पष्ट आय वाले साख ने क्रेडिट (₹ 8,161.10 करोड़), अस्पष्टीकृत निवेश (₹ 7,124.67 करोड़) और अस्पष्टीकृत व्यय (₹ 648.47 करोड़) की आय के संभावित छूटने की संभावना और कर लगाने की संभावना की जांच करने के लिए स्पष्टीकरण और सबूत मांगने पर विचार नहीं किया।

विभाग ने अपने उत्तर (जून 2018) में कहा कि लेखापरीक्षा की आपत्ति स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि मामले को सीएएसएस के तहत सीमित जांच के लिए चुना गया था और निर्धारण अधिकारी को इसमें उल्लेखित मुद्दे के अलावा किसी भी मुद्दे की जांच नहीं करनी थी। यह आगे कहा गया (अप्रैल 2019) कि आपत्तियों में वसूली कुछ मुद्दों पर की जाती है, जो कि रिकॉर्ड पर किसी भी स्पष्ट सबूत के बिना सुझाव के स्वरूप की होती हैं और जिनमें अस्थायी गणना की जाती है। इसके अलावा, मामलों को केवल संदेह या बार-बार जांच के आधार पर फिर से खोला नहीं जा सकता है जहां कोई स्पष्ट सबूत या यह मानने के कारण नहीं हैं कि एक निर्दिष्ट राशि निर्धारण से बच गई है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और सीबीडीटी के निर्देश संख्या 20/2015 दिनांक 29.12.2015 के मद्देनजर भी, लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार्य नहीं है और उठाई गई आपत्तियां समाप्त करने योग्य हैं।

आयकर विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निर्धारण अधिकारी के पास पहले से ही सीमित संवीक्षा के किसी भी मामले को "पूर्ण संवीक्षा" में परिवर्तित करने का शक्ति थी, अगर आय की संभावित निकासी पांच लाख से अधिक हो। संदेह होने वाली कुल प्राप्तियों में अचानक कई गुना वृद्धि होने के बावजूद; निर्धारण अधिकारी द्वारा सदस्यों की पहचान, लेन-देन की वास्तविकता और आय और परिणामी कर देयों को स्थापित करने के लिए उनकी साख की पहचान के लिए एक पूर्ण संवीक्षा या सर्वेक्षण या तलाशी और जब्ती का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गयी ₹ 7,800 करोड़ की सीमा तक आय के अवनिर्धारण की राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारिती के लेखापरीक्षित तुलनपत्र और नकदी प्रवाह विवरणों पर आधारित है और केवल सांकेतिक स्वरूप की है। आयकर विभाग की ओर से चूक सीएएसएस की अप्रभावकारिता और इस मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम और एक क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है) के मामले पर भी प्रकाश डालती है, जिसमें निर्धारण अधिकारी ने असंतोषजनक ऋण पात्रता और लेन-देन की वास्तविकता के कारण अस्पष्टीकृत नकद साख के 25 प्रतिशत की अननुमति दी थी।

अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट और अद्योषित निवेश की अपर्याप्त जाँच निर्धारण अधिकारियों द्वारा चूक के प्रति संकेत करती है जिसके कारण कर की परिहार्य हानि हुई जिसे सम्बोधित करने की आवश्यकता है। ऐसी त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ऐसी अनियमितताओं की समीक्षा कर सकता है। आयकर विभाग निर्धारणों के दौरान, अस्पष्टीकृत नकदी साख और

निवेश के मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए पर्याप्त रूप से एक दिशानिर्देश भी तैयार कर सकता है।

मौजूदा प्रारूप में आईटीआर-5 रिटर्न दायर करने के निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के लिए अपने पैन के साथ-साथ सहकारी समिति के सभी सदस्यों की सूची का विवरण दर्ज नहीं करता है। आईटीआर-5 में सभी सदस्यों के पैन के साथ विवरण अधिग्रहण करने का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही, वित्तीय लेन-देन की प्रभावी निगरानी के लिए सहकारी समितियों द्वारा एक सीमा से अधिक राशि प्राप्त जमाओं के लिए पैन का उद्धरण अनिवार्य किया जा सकता है।

4.10 निर्धारण के दौरान अन्य गलतियाँ

लेखापरीक्षा में 8 राज्यों¹²⁰ में 12 मामलों में अन्य अनियमितताएं पाई गयी, जिसमें ₹ 1.11 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। लेखापरीक्षा में 7 राज्यों¹²¹ में अधिक आय के अधिक निर्धारण, कर के अधिभार आदि के भी 11 मामले पाए जिनमें ₹ 577.95 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। एक मामले का नीचे उदाहरण दिया गया है।

बॉक्स 4.10: आय के अधिक निर्धारण का चित्रण

क) प्रभार: पीसीआईटी -1, भोपाल

निर्धारण वर्ष: 2016-17

एओपी के रूप में निर्धारण की गई एक सहकारी समिति, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 1,806.18 करोड़ की आय पर पूरा हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी ने ₹ 433.28 करोड़ के 30 प्रतिशत व्यय को अननुमत किया जो ₹ 129.98 करोड़ था। कर योग्य आय की गणना करते समय, अस्वीकृति की राशि को गलती से ₹ 1,299.83 करोड़ माना गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 562.76 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 1,169.85 करोड़ की आय का अधिक निर्धारण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

4.11 निर्धारणों के दौरान किए गए उच्च मूल्य परिवर्धन

लेखापरीक्षा ने 286 अद्वितीय पैन-एवाई मामलों की जांच की, जहां निर्धारण के दौरान रिटर्न की आय में किए गए परिवर्धन ₹ 0.50 करोड़ से अधिक थे

120 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, एमपी, एनईआर, राजस्थान, महाराष्ट्र।

121 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, एनडब्ल्यूआर, ओडिशा।

और यह मांग शून्य थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या निर्धारण में त्रुटियां थीं और क्या कटौती और दावों को सही तरीके से अनुमति दी गई थी। निर्धारण स्तर पर मांग में कमी के कारणों को टीडीएस और अन्य भुगतान यथा अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर इत्यादि के प्रति मांग के समायोजन या विवरणी की हानि की राशि से कम होने के कारण परिवर्धन के रूप में देखा गया था। ऐसे मामलों में जहां मांग अपील के स्तर पर शून्य हो गई थी वहां सकल मांग से अधिक कर का किया गया भुगतान मुख्य कारण था। ऐसे मामलों में जहां मांग अपीलीय स्तर पर शून्य हो गई थी, यह निर्धारण अधिकारियों द्वारा किए गए परिवर्धन को हटाने/निर्धारिती के पक्ष में अपील अनुमत किए जाने के कारण था।

लेखापरीक्षा ने अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुपालन के स्वरूप और सीमा का पता लगाने के लिए उच्च मूल्य परिवर्धन के साथ ऐसे मामलों की भी जांच की।

- i) यह देखा गया कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा की गयी मुख्य अननुमति मदों के कारण थी जैसे मूल्यहास, विधि प्रभारों के प्रावधानों, चोरी और धोखाधड़ी, लेखापरीक्षा शुल्क, उधार ली गई निधि पर ब्याज खर्च, भवन निधि, आयकर, ग्रेच्युटी अन्य स्रोतों से आय के रूप में माना जाने वाला बैंक जमा पर ब्याज आय; अस्पष्टीकृत नकद साख; अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान; आय पर छूट से संबंधित खर्च; अधिनियम की धारा 80पी के तहत दावा की गयी कटौती; सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम, विशेष आरक्षित निधि, फर्जी खरीद आदि का परिशोधन।
- ii) 35 मामलों, जहां अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती के कारण अननुमति दी गयी, में से सात मामलों¹²² में अधिनियम की धारा 80पी के तहत दावा की गयी ₹ 466.10 करोड़ की कटौती अननुमत की गई, चूंकि निर्धारिती बैंकिंग कारोबार में लगा हुआ था या गैर-प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में रखा गया था और इसलिए अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती की अनुमति के लिए अयोग्य ठहराया गया था। इनमें यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती को केवल तीन मामलों में डीजीआईटी (प्रणाली) डेटा के

122 बिहार, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश

अनुसार शून्य के रूप में दिखाया गया था। शेष चार मामलों¹²³ में अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती की राशि डीजीआईटी (सिस्टम) डेटा में कटौती के अनुसार अद्यतन नहीं है। डीजीआईटी (सिस्टम) के आंकड़ों में ₹ 461.28 करोड़ की कटौती के दावे की राशि को शून्य पर अनुमत कटौती की सही राशि के बजाय निर्धारिती द्वारा किए गए दावे के अनुसार दर्शाना जारी रहा।

ऐसे मामलों में जहां कटौती को इस बहाने से अननुमत किया गया कि सहकारी समिति बैंकिंग व्यवसाय में लगी हुई थी, आयकर विभाग को प्रभावी निगरानी के लिए व्यवसाय या गतिविधि के स्वरूप के अनुसार कोड आवंटित करने चाहिए। मौजूदा गतिविधि कोड भी सहकारी बैंकों को पीएसीएस से वर्गीकृत नहीं करते हैं।

इसके अलावा, आयकर विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दावा की गयी और अनुमत कटौती की जानकारी को सिस्टम में विशिष्ट रूप से अंकित/अभिलिखित/दर्ज किया जाना चाहिए।

4.12 उच्च मूल्य के मांग

लेखापरीक्षा में उन 21 मामलों¹²⁴ की जांच की गई जहां रिटर्न की आय निर्धारित की गई आय के समान थी लेकिन मांग उस चरण का निर्धारण करने के लिए ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिस पर मांग उठाई गई थी और क्या कर मांग की गणना करते समय पूर्व-प्रदत्त करों को हिसाब में लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आठ मामलों में, मांग पुनर्निर्धारण चरण (दो मामलों), सत्यापन चरण (दो मामले) और संवीक्षा चरण (चार मामलों) पर उठाई गई थी। 13 मामलों में आईटीआर चरण के इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण के चरण पर ही मांग उठाई गई थी। मांग के उद्ग्रहण के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ संचय या स्वैच्छिक अंशदान और आईटीआर चरण के प्रसंस्करण में पूर्व-प्रदत्त करों का लेखांकन, गलत शीर्ष के तहत जमा किए गए अग्रिम कर को सीपीसी, बेंगलुरु द्वारा भुगतान के रूप में नहीं मानना, अपात्र निर्धारिती अर्थात् सहकारी बैंक द्वारा किए गए अस्वीकार्य दावे के कारण अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती की अननुमति, अन्य पैन से संबंधित निर्धारिती द्वारा

123 केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड

124 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, एनडब्ल्यूआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

दावा किया गया प्रदत्त कर, अधिनियम की धाराओं 234बी एवं 234सी के तहत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण और सीपीसी बेंगलुरु द्वारा अनुमत न की गयी। निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौती शामिल थी।

स्वयं आईटीआर चरण के प्रसंस्करण में मांग बढ़ाने के मामलों की उपस्थिति इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि आयकर विभाग को सीपीसी बेंगलुरु के माध्यम से दावों के समाधान, इसे सक्रिय रूप से हल करने और दावों और भुगतानों के गैर-मिलान की संभावनाओं से बचने के लिए साधनों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सीआईटी शिमला, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र¹²⁵ प्रभार में सहकारी बैंक के एक मामले में, गलत लेखा शीर्ष में जमा किए गए ₹ 1.50 करोड़ के अग्रिम कर को सीपीसी बेंगलुरु द्वारा अग्रिम कर भुगतान के रूप में नहीं माना गया। हालांकि, निर्धारिती द्वारा अपील दायर करने के बाद सीपीसी बेंगलुरु द्वारा अग्रिम कर भुगतान के रूप में इसकी अनुमति दी गई थी।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक्जिट सम्मेलन के दौरान कहा (जुलाई 2020) कि आईटीआर फाइलिंग चरण में निर्धारिती (जो आयकर विभाग के नियंत्रण से भी बाहर हैं) द्वारा की गई इनपुट त्रुटियों के कारण आईटीआर प्रसंस्करण चरण में आयकर विभाग की प्रणाली के माध्यम से गलत तरीके से उत्पन्न मांग को अधिनियम की धारा 154 के तहत प्रावधान के अनुसार सुधारा जाता है।

4.13 निर्धारण अधिकारियों द्वारा किए गए परिवर्धनों में विविधता

अधिनियम की धारा 124(2ए) के प्रावधानों के तहत, यदि उनके समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में, निर्धारण अधिकारी का लेखाओं की प्रकृति और जटिलता और राजस्व के ब्याज के संबंध में, यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक है, वह निर्धारिती को लेखाकार द्वारा लेखाओं को लेखापरीक्षित किए जाने और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित किए गए निर्धारित प्रपत्र में ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और ऐसे विवरणों जिन्हें निर्धारित किया गया हो और ऐसे अन्य विवरणों जिनकी निर्धारण अधिकारी को आवश्यकता हो, को प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकते हैं।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारियों को आय का सही तरीके से अवधारण और निर्धारण करना होता है। लेखाओं, रिकॉर्डों और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों के साथ प्रत्येक संवीक्षा निर्धारण में विस्तृत में जांच होना अपेक्षित है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में समय-समय निर्देश भी जारी किए हैं।

125 चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब

लेखापरीक्षा ने 288 अद्वितीय पैन मामलों¹²⁶ की जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारण वर्षों में एक ही निर्धारिती के संबंध में निर्धारणों के दौरान अनुमति देते समय अलग-अलग रूख अपनाया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारण अधिकारियों ने 22 निर्धारण मामले (10 अद्वितीय पैन मामले) में अलग-अलग रूख अपनाया था जिसमें एक ही निर्धारिती के मामले में विभिन्न नि.व. में समान रूप से अनुमति या अननुमति को नहीं दिया गया था उदाहरणार्थ सहकारी बैंकों के पास जमाओं से प्राप्त ब्याज को असमान माना गया था अर्थात् एक ही निर्धारिती के मामले में विभिन्न नि.व. में अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के तहत कटौती की अनुमति के लिए या तो पात्र आय या अपात्र आय माना गया था। दो मामलों का नीचे बॉक्स 4.11 में उदाहरण दिया गया है:

बॉक्स 4.11: निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धनों में भिन्नता के लिए उदाहरण

**(क) प्रभार: प्रसीआईटी-1 लखनऊ,
निव: 2014-15**

निर्धारिती एक एओपी, का संवीक्षा निर्धारण, दिसम्बर 2016 में ₹ 0.02 करोड़ की 'दान एवं चैरिटी' की राशि और ₹ 0.02 लाख के कर के देरी से भुगतान का अननुमति करके ₹ 0.20 करोड़ की कुल आय पर पूरा हुआ था और निर्धारिती की आय में इसी को वापस जोड़ा गया था। अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत निर्धारण से पहले कोई पूछताछ नहीं की गई थी। नि.व. 2011-12 एवं नि.व. 2012-13 के लिए संवीक्षा निर्धारण जुलाई 2014 और सितम्बर 2015 में क्रमशः ₹ 111.55 करोड़ और ₹ 121.70 करोड़ की आय के साथ पूरा किया गया था जो अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत निर्धारण से पहले पूछताछ के आधार पर क्रमशः ₹ 106.90 करोड़ और ₹ 121.98 करोड़ की अननुमति/परिवर्धन के बाद था। अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत निर्धारण से पहले पूछताछ नहीं करने की चूक के परिणामस्वरूप आय का गलत निर्धारण हुआ।

आयकर विभाग ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2020) कि निर्धारिती नि.व. 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 4.25 करोड़ और ₹ 12.36 करोड़ के गबन में शामिल था। उपरोक्त के मद्देनजर, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा की है, लेकिन नि.व. 2013-14 के दौरान गबन का कोई मामला शामिल नहीं है।

126 वि.व. 2014-15 से 2018-19 के दौरान निर्धारण किए गए 1108 निर्धारण मामले

इसलिए, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए सही तरीके से निर्धारण पूरा कर लिया था। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का दो निर्धारण वर्षों में पता चला था, जो समान स्तर पर जांच की ओर ध्यान दिलाता था। इसके अलावा, निर्धारण आदेश सहित मामले के रिकॉर्डों में कोई विवरण/ दस्तावेज शामिल नहीं थे जो यह सुनिश्चित करते हैं कि नि.व. 2014-15 के दौरान कोई भी गबन का मामला शामिल नहीं था।

(ख) प्रभार: प्रसीआईटी-1 लखनऊ,

नि.व.: 2012-13

एक एओपी के रूप में निर्धारित एक क्रेडिट सहकारी समिति निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण, मार्च 2015 में ₹ 14,509.81 करोड़ के परिवर्धन के बाद ₹ 14,436.65 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। निर्धारण आदेश के पैरा 5 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी ने माना कि ₹ 13,149.08 करोड़ के वर्ष के दौरान सदस्यों से प्राप्त जमा राशि को अधिनियम की धारा 68 के तहत अस्पष्टीकृत नकद साख था।

लाभ और हानि खाते की अनुसूची-11 की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने सदस्यों से प्राप्त जमा पर ब्याज भुगतान के रूप में ₹ 311.10 करोड़ की राशि का दावा किया था और अनुमति दी थी जिसे निर्धारण अधिकारी ने अस्पष्टीकृत नकद साख माना था, इसलिए तदनुसूची व्यय अर्थात् जमा पर ब्याज की अननुमति होनी चाहिए थी और इसे निर्धारिती की आय में वापस जोड़ा जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप 36 महीनों के लिए अधिनियम की धारा 234बी के तहत ₹ 34.61 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 130.74 करोड़ के कर व्यय के परिणामस्वरूप की परिणामी के साथ कम वसूली ₹ 311.10 करोड़ के व्यापार व्यय की अनियमित अनुमति दी गई।

नि.व. 2013-14 एवं 2016-17 के लिए इस निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने सदस्यों से जमाओं को अधिनियम की धारा 68 के तहत अस्पष्ट आय के रूप में लिया और सदस्यों से जमा राशि पर तदनुसूची ब्याज व्यय को अननुमति दी।

आयकर विभाग ने अपने जवाब में कहा (जनवरी 2020) कि अधिनियम की धारा 263 के तहत प्रस्ताव भेजा जा चुका था।

4.14 सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों से संबंधित नियमित अनुपालन लेखापरीक्षाओं से अन्य टिप्पणियां (नमूने के शामिल नहीं मामलों से सम्बंधित)

पूर्ववर्ती अध्याय और इस अध्याय में उल्लिखित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अलावा, सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के संबंध में 128 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (जैसा कि परिशिष्ट 3 में दिखाया गया है) देखी गई थी, जिनका निष्पादन लेखापरीक्षा अर्थात् 2014-15 से 2018-19 की कवरेज अवधि के दौरान निर्धारण किया गया था, जो नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान चयनित नमूनों के अंतर्गत नहीं आई, जिसमें ₹ 130.22 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। अनियमितताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियां, ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियां, अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत कटौतियों और व्ययों की गलत अनुमति और हानियों का अनियमित समंजन शामिल था। दो मामलों का नीचे बॉक्स 4.12 में वर्णन किया गया है:

बॉक्स 4.12 नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का चित्रण

क) प्रभार: प्रसीआईटी-2, अहमदाबाद

नि.व.: 2013-14

निर्धारिती एक सहकारी बैंक है, जो बैंकिंग गतिविधियों में लगा हुआ है, जिसने नि.व. 2012-13 के लिए अपनी आय की रिटर्न 28 सितम्बर 2013 को ₹ 13.90 करोड़ आय घोषित करते हुए दाखिल की। उसी का निर्धारण अधिनियम की धारा 143(3) के तहत (जनवरी 2016) रिटर्न की गई आय को स्वीकार करके किया गया था। निर्धारण रिकॉर्डों के अनुसार, निर्धारिती ने कम्प्यूटर और बाह्य उपकरणों की खरीद पर ₹ 2.06 करोड़ का व्यय राजस्व व्यय के रूप में मानते हुए डेबिट किया। चूंकि कम्प्यूटर की खरीद पर होने वाले व्यय में समय अवधि में स्थायी लाभ देने की क्षमता है अतः यह पूंजीगत व्यय है और इसे राजस्व व्यय के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार कम्प्यूटर और बाह्य उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 2.06 करोड़ के ऐसे राजस्व व्यय को अननुमत करना अपेक्षित था। हालांकि, निर्धारिती ने ऐसे पूंजीकृत कम्प्यूटर पर अधिनियम की धारा 32 के तहत निर्धारित दरों पर मूल्यहास का दावा करने के लिए पात्र था। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ (मूल्यहास अनुमत के बाद) की आय का कम निर्धारण हुआ और इसके फलस्वरूप अधिनियम की धारा 234बी के तहत ₹ 0.15 करोड़ के ब्याज सहित

₹ 0.60 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अपने जवाब में कहा (सितम्बर 2019) कि मामले को पुनः खोलने के लिए अधिनियम की धारा 148 के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया था।

ख) प्रभार: प्रसीआईटी-2, सूरत

नि.व.: 2014-15

एक एओपी के रूप में एक सहकारी क्रेडिट समिति, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण जून 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 0.67 करोड़ की आय के अवधारण के साथ पूरा किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने सहकारी बैंकों में अधिशेष निधियों को जमा करने से अर्जित ₹ 0.49 करोड़ की ब्याज आय पर अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के तहत कटौती का दावा किया था। चूंकि सहकारी बैंकों में निवेश से अर्जित ब्याज आय अन्य स्रोतों से आय है, इसलिए इसे अननुमत करना अपेक्षित था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 0.49 करोड़ तक आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 0.19 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने नए निर्धारण की रूपरेखा बनाने के निर्देश के साथ अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित किए गए संवीक्षा निर्धारण आदेश को रद्द करके अधिनियम की धारा 263 के तहत (मार्च 2019) उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है।

4.15 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

- लेखापरीक्षा ने 858 मामलों में ₹ 12,328.40 करोड़ के कर प्रभाव वाली कटौतियों/व्ययों/समंजन की अनुमति और हानियों को अग्रेनीत करने पर कर और ब्याज की संगणना में गलतियों, टीडीएस की गैर-कटौती, शास्ति के गैर-उद्ग्रहण आदि के संबंध में अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अननुपालन के उदाहरणों को देखा। यह ध्यान देना तर्कसंगत है कि निर्धारण प्रक्रिया स्वचालित थी और निर्धारण आयकर विभाग की प्रणालियों और अनुप्रयोगों के माध्यम से पूरे किये जा रहे थे। यह निर्धारण प्रक्रिया और आयकर विभाग की आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर संकेत करता है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है।
- संवीक्षा के दौरान मामलों की पर्याप्त जांच नहीं की गई थी। संवीक्षा निर्धारण मामलों में से 131 मामलों में, जहां चयन के लिए मानदंड 'अधिनियम के अध्याय VIए के तहत बड़ी कटौतियां थी, उसकी पर्याप्त रूप से जांच नहीं की गई थी।

- लेखापरीक्षा में मांग को उठाने के ऐसे दृष्टांत पाए गए जहां निर्धारण के विभिन्न चरणों में रिटर्न की गई आय निर्धारण की गई आय के बराबर थी, अर्थात् आईटीआर का इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण, सुधार, पुनर्निर्धारण आदि लेखापरीक्षा ने इन मांगों को उठाने के लिए अनेक कारणों को देखा जैसे आईटीआर चरण के प्रसंस्करण में पूर्व प्रदत्त करों का लेखांकन, गलत शीर्ष के तहत जमा किए गए अग्रिम कर को सीपीसी बेंगलुरु द्वारा भुगतान के रूप में नहीं माना जाना आदि। ऐसे मामले इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि दावों और भुगतानों के डेटा को निर्धारण के समय में मिलान नहीं किया गया है।
- लेखापरीक्षा ने निर्धारण के दौरान किए गए उच्च मूल्य परिवर्धनों से जुड़े मामलों की जांच की और उन उदाहरणों को देखा जहां अधिनियम की धारा 80पी(4) के तहत कटौती के दावे को इस बहाने पर अस्वीकृत किया गया था कि सहकारी समिति बैंकिंग कारोबार में लगी हुई थी। मौजूदा गतिविधि कोड सहकारी बैंको को प्राथमिक कृषि ऋण साख समितियों से अलग नहीं करते हैं। आयकर विभाग को प्रभावी निगरानी के लिए कारोबार या गतिविधि की प्रकृति के अनुसार कोड आवंटित करना चाहिए।
- 20.7 प्रतिशत मामले (151 अभ्युक्तियां) उन सत्वों से संबंधित हैं जो एओपी के रूप में पंजीकृत नहीं थे। पैन पंजीकरण में एकरूपता के अभाव में निर्धारितियों के समान वर्ग की श्रेणी, सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किए गए इस मामले में, आयकर विभाग अपने पास उपलब्ध आंकड़ों से सार्थक जानकारी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होगा।

4.16 सिफारिशें

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि:

- क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आय, कर, ब्याज आदि की संगणना में त्रुटियों और अनियमितताओं से जुड़े निर्धारणों को पुनरीक्षण कर सकता है और परिहार्य त्रुटियों की संभावना को समाप्त करने और निर्धारण अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र रख सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता पूर्ण आश्वासन तंत्र पेश कर सकता है कि कर की गणना में त्रुटियां कम से कम की जाएं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि उन मामलों में उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है जहां लेखापरीक्षा ने गलतियों को देखा है। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जुलाई 2020) के दौरान यह कहा गया कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सितम्बर 2019 में फेसलैस ई-एसेसमेंट स्कीम को अधिसूचित किया है जिसे सभी प्रकार के निर्धारितियों के लिए लागू और विस्तारित किया गया है। इस योजना ने समूह निर्धारण की अवधारणा को पेश किया है जिसमें आईटीओ एक निर्धारण करता है, संयुक्त आयुक्त की मंजूरी लेता है और उसके बाद ऐसे मसौदा निर्धारण आदेशों को समीक्षा इकाई को मसौदा निर्धारण आदेश की समीक्षा के लिए भेजा जाता है, जिसमें चर्चा किए गए/मसौदा निर्धारण आदेश में जोड़े गए मुद्दों की आगे की जांच और प्रस्तावित किए गए संशोधनों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच को शामिल किया जाता है। यह भी कहा गया था कि वि.व. 2020-21 में शुरू की जाने वाली अधिकांश जांच ई-एसेसमेंट स्कीम के तहत होगी और इस योजना के तहत इस प्रकार की त्रुटियों और गलतियों का घटित होना कम हो जाएगा।

- ख) अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों होने के बावजूद अस्वीकार्य दावों और व्यय की मदों और कटौतियों की अनियमित अनुमति के कारणों की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समीक्षा की जा सकती है। आयकर विभाग अनियमित अनुमति की उच्च प्रवृत्ति के साथ व्ययों और कटौतियों की मदों की पहचान कर सकता है और निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपयोग के लिए एक जांच बिंदु की रूपरेखा तैयार कर सकता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि संवीक्षा निर्धारण उल्लिखित सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। हालांकि, उपयुक्त मामलों में उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है, यदि बाद में लेखापरीक्षा, समीक्षा और निरीक्षण के दौरान कोई गलती पाई जाती है। प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया में इन मुद्दों को शामिल करना आगे प्रस्तावित है ताकि गलतियां न हों।

लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरणों को देखा गया, जहां निर्धारण अधिकारियों ने व्ययों और कटौतियों की अनियमित अनुमति दी थी। लेखापरीक्षा का विचार है कि आयकर विभाग यह अनियमित अनुमति की उच्च प्रवृत्ति के साथ व्ययों और कटौतियों की मदों की पहचान कर सकता है और

निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपयोग के लिए एक जांच बिंदु की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इसकी समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मानक परिचालन प्रक्रिया में उसी को शामिल करने पर विचार कर सकता है जिसे जारी करने का प्रस्ताव है।

- ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह पता लगा सकता है कि क्या त्रुटियां/अनियमितताएं भूल वश हुई गलतियां हैं और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। आयकर विभाग त्रुटियों और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय कर सकता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि यह पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा देखा जाता है, कि क्या गलती वास्तव में हैं या नहीं। जहां कहीं आवश्यक हो उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि सीबीडीटी यह पता लगा सकता है कि क्या त्रुटियां/अनियमितताएं वश हुई गलतियां हैं और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। आयकर विभाग त्रुटियों और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय कर सकता है।

- घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि आयकर विभाग को दावों और भुगतानों में अन्तर का निपटान करने के लिए सक्रिय रूप से सीपीसी बेंगलुरु के माध्यम से दावों के मिलान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसी के गैर-मिलान की संभावनाओं से बचने के लिए साधन विकसित करने चाहिए।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि उसी के गैर-मिलान की संभावना से बचने के लिए दावों और भुगतानों में अंतर का निपटान करने के लिए अग्रसक्रिय रूप से प्रयास किए जा रहे हैं।

- ड) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार कटौती के दावों की प्रभावी निगरानी के लिए निर्धारण के दौरान अभिनिश्चित किए गए कारोबार या गतिविधि की प्रकृति के अनुसार कोड को निर्दिष्ट/अद्यतन करने पर विचार कर सकता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि नि.व. 2019-20 के लिए आईटीआर-5 की फाइलिंग के लिए निर्देशों में, एक सहकारी समिति/सहकारी बैंक को अपनी प्रास्थिति प्रस्तुत करना निम्नानुसार अपेक्षित है: क) प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति या सहकारी बैंक, ख) अन्य सहकारी समिति, ग) ग्रामीण विकास बैंक, घ) अन्य सहकारी बैंक। इसमें आगे कहा गया कि एक निर्धारिती के लिए आईटीआर में अपनी कारोबार गतिविधि के बावजूद अपनी प्रास्थिति प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार, आईटीआर फॉर्म में आवश्यक विवरण दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा नि.व. 2020-21 के लिए आईटीआर-5 की फाइलिंग के लिए निर्देशों में प्राथमिक कृषि समितियों और सहकारी बैंक के लिए एक अलग श्रेणी प्रदान की जाएगी।


एक्जिट कांफ्रेंस (जुलाई 2020) के दौरान यह भी कहा गया कि नि.व. 2020-21 के आईटीआर फॉर्म को अधिसूचित कर दिया गया है और यूटिलिटी फॉर्म को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्तमान प्रारूप में सहकारी बैंको और पीएसीएस को विभिन्न श्रेणियों के तहत रखा गया है और उन्हें मिलाया नहीं जाएगा। यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 80पी के तहत विभिन्न कटौतियों के लिए 14 नये कोड हैं। एक करदाता को अनुसूची 80पी के तहत वर्गीकृत करना होगा जो उचित कोड को कैप्चर करेगा जिसके तहत निर्धारिती कटौती का दावा कर रहा है। यह भी कहा गया कि कार्यान्वित उपयोगिताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और एक बार वे चालू हो जाते हैं तो इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि इन सुझावों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का तर्क है कि प्रास्थिति को आईटीआर फॉर्म में कैप्चर किया जा रहा है और नि.व. 2019-20 के लिए आईटीआर-5 की फाइलिंग करने के निर्देशों के अनुसार, एक सहकारी समिति/सहकारी बैंक को अपनी प्रास्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत करना अपेक्षित है: क) प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति या सहकारी बैंक, ख) अन्य सहकारी समिति, ग) ग्रामीण विकास बैंक, घ) अन्य सहकारी बैंक स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी एओपी/बीओआई के लिए निर्दिष्ट प्रास्थिति कोड नि.व. 2019-20 के लिए आईटीआर-5 की फाइलिंग करने के लिए निर्देशों के अनुसार 3 है और एओपी/बीओआई के रूप में वर्गीकृत निर्धारितियों के तहत उप-प्रास्थिति में उल्लिखित श्रेणियों के संबंध में संहिताकरण को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा का मानना है कि कोड को स्पष्ट रूप से

पहचानने और सहकारी बैंको एवं पीएसीएस को कैप्चर करने के लिए अद्यतन किया जा सकता है।


- च) आईटीआर-5 में एक सहकारी समिति के सभी सदस्यों की सूची उनके पैन के साथ पिछले वर्ष की रिटर्न दाखिल करने के निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक हो सकती है सहकारी समितियों द्वारा एक सीमा राशि से ऊपर प्राप्त की गयी जमा राशि के लिए पैन का उद्धरण अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रसंभाव्य वित्तीय अनियमितताओं की निगरानी को सरल बनाने के लिए विनियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को अस्पष्टीकृत नकदी साख की महत्वपूर्ण मात्रा वाले उदाहरणों की रिपोर्टिंग करने पर विचार कर सकता है।

नई दिल्ली
दिनांक: 19 नवम्बर 2020


(नीलेश कुमार साह)
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर-II)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 20 नवम्बर 2020


(गिरीश चन्द्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

लेखापरीक्षा नमूना का क्षेत्रवार/राज्यवार वितरण

(देखें: पैरा 1.10)

राज्य/क्षेत्र	मामलों की संख्या
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य (एपीएंडएस)	379
बिहार और झारखंड	182
दिल्ली	243
गुजरात	829
कर्नाटक	669
केरल	764
महाराष्ट्र	2088
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	594
उत्तर पूर्व क्षेत्र ¹²⁷	134
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ¹²⁸	462
ओडिशा	144
राजस्थान	455
तमिलनाडु	478
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	645
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	404
कुल योग	8470

127 अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा

128 चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब

परिशिष्ट 2

लेखापरीक्षित नमूना की गतिविधि-वार प्रोफाइल

(देखें: पैरा 1.10)

सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों का गतिविधि वर्गीकरण	मामलों की संख्या
कृषि	301
बैंकिंग	3038
क्रेडिट	1393
डेयरी व्यवसाय	259
वित्तीय सेवाएं	634
आवास/सिविल निर्माण	401
विनिर्माण	171
चीनी	424
व्यापार	710
अन्य	1139
कुल	8470

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

परिशिष्ट 3

सहकारी समितियों और सहकारी बैंको से संबंधित एलएआर पैरा
(देखें: पैरा 4.14)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा टिप्पणियों की विस्तृत श्रेणियां	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1	अतिरिक्त मूल्यहास की गलत अनुमति	2	0.39
2	अनिश्चित देयता की कटौती की गलत अनुमति अर्थात् अधिनियम की धारा 37(1) के अंतर्गत प्रावधान	6	1.70
3	अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान पर कटौती की गलत अनुमति	9	44.63
4	अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष रिजर्व पर कटौती की गलत अनुमति	1	0.08
5	अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अन्तर्गत कटौती की गलत अनुमति	1	0.74
6	अधिनियम की धारा 36(2)(v) के अन्तर्गत कटौती की गलत अनुमति	2	0.87
7	अधिनियम की धारा 32(i) के अन्तर्गत मूल्यहास की गलत अनुमति	1	0.01
8	अधिनियम की धारा 36(1)(vए) के अन्तर्गत व्यय की गलत अनुमति	2	1.71
9	अधिनियम की धारा 40(ए)(i) के अन्तर्गत व्यय की गलत अनुमति	3	2.22
10	अधिनियम की धारा 43बी के अन्तर्गत व्यय की गलत अनुमति	1	0.62
11	कारोबार आय की गलत गणना	1	1.14
12	अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(i) के अन्तर्गत कटौती की अनियमित अनुमति	7	0.95
13	अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(iii) के अन्तर्गत कटौती की अनियमित अनुमति	1	1.09
14	अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(vi) के अन्तर्गत कटौती की अनियमित अनुमति	2	0.25
15	अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) के अन्तर्गत कटौती की अनियमित अनुमति	55	7.82
16	हानियों की अनियमित अनुमति/समंजन	1	0.06
17	अधिनियम की धारा 80 के अन्तर्गत रिटर्न की देरी से फाइलिंग के कारण अनियमित अग्रेषण	1	0.75

2020 की प्रतिवेदन संख्या 16 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

18	अधिनियम की धारा 37(1) के अन्तर्गत अनियमित व्यय की अनुमति	9	4.39
19	हानियों का अनियमित समंजन/अग्रेषण	9	40.72
20	अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत अधिभार एवं ब्याज का गैर-उद्ग्रहण	1	2.31
21	अन्य अनियमितताएं	3	3.01
22	अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज का कम उद्ग्रहण	4	12.65
23	अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज का कम उद्ग्रहण	2	1.50
24	अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज का कम उद्ग्रहण	1	0.03
25	उद्ग्रहण नहीं किया गया अधिभार	2	0.14
26	आय का कम निर्धारण	1	0.43
	कुल योग	128	130.22

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
www.cag.gov.in